



सबके लिए
शिक्षा

राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत

जून 2003

NIEPA DC



D12117

प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

379.23
B1+A-2

2/2/17

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार की ओर से प्रकाशित

विषय सूची

आमुख	VII
संक्षेपाक्षर	IX
अध्याय 1	
परिदृश्य	1
अध्याय 2	
'डकार' लक्ष्यों की प्राप्ति : भारतीय परिप्रेक्ष्य	7
अध्याय 3	
शैशवकालीन देखमाल और शिक्षा	13
अध्याय 4	
प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण	21
अध्याय 5	
बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण	47
अध्याय 6	
गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति	59
अध्याय 7	
विद्यालयी शिक्षा से वंचित किशोर एवं युवा वर्ग हेतु शिक्षा व्यवस्था	73
अध्याय 8	
प्रौढ़ों हेतु साक्षरता एवं जीवन कौशल कार्यक्रम	81
अध्याय 9	
सबके लिए शिक्षा कार्यक्रमों हेतु वित्तीय अनुदान	89
अध्याय 10	
नियोजन और अनुश्रवण कार्यक्रमों हेतु संगठनात्मक व्यवस्था	97

सारणी-सूची

1.1	साक्षरता दर एवं प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या (1951-2001)	2
3.1	प्रारम्भिक शिशु देखरेख और शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का आच्छादन 1996-97	20
4.1	सन् 1950 से शिक्षा की प्रगति	21
4.2	स्तरवार बालक-बालिका नामांकन (1990-91 से 2000-01)	22
4.3	सकल नामांकन अनुपात- राष्ट्रीय*	22
4.4	प्रदेशों में बाल जनसंख्या, नामांकन तथा विद्यालय से बाहर बच्चे	23
4.5	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी दरें, 1960-61 से 2000-01	24
4.6	वर्ष 2006 से 2010 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या	26
4.7	वर्ष 2006 तथा 2010 में आयु वर्ग 6-11 एवं 11-14 की प्रक्षेपित जनसंख्या	26
4.8	वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर का प्रक्षेपित नामांकन	27
4.9	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का वर्षवार अनुमानित अतिरिक्त नामांकन	27
4.10	बच्चों का विद्यालय न आने के कारण (6-14 वर्ष आयु वर्ग के शालात्यागी/विद्यालय के बाहर के बच्चों का प्रतिशत)	30
4.11	बच्चे शालात्यागी क्यों	30
4.12	प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक पारिवारिक व्यय	36
5.1	महिला शिक्षा के आधार वर्ष 1950/1960	49
5.2	बालिका शिक्षा की दशकीय स्थिति	49
5.3	प्राथमिक शिक्षा में बालक-बालिका असमानता	49
5.4	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बच्चों के सकल नामांकन अनुपात में लैंगिक भेद	50
5.5	बालिका शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत संकेतांक, 2001	50
6.1	अखिल भारतीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं, 1993	60
6.2	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले राज्यों में विद्यालय सम्बन्धी निर्माण कार्य 2002	61
6.3	शिक्षकों की संख्या में वृद्धि	61
6.4	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात, 1950-51 से 1999-2000	62
6.5	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के मध्य अध्यापकों की युक्तिसंगता एवं नियुक्ति	62
6.6	31.3.2002 तक डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों/संकुल संसाधन केन्द्रों की संख्या	63
8.1	1981-2001 की अवधि में भारत में साक्षरता वृद्धि : 7 वर्ष आयु वर्ग तथा उससे ऊपर	81
8.2	भारत में साक्षरता वृद्धि : 2003 से 2015 (7 वर्ष आयु वर्ग तथा उससे ऊपर)- एक प्रक्षेपण	83
8.3	भारत में प्रौढ़ साक्षरता वृद्धि	84
8.4	पौढ़ साक्षरता	84
9.1	प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत	89
9.2	शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु आवश्यक निधि	91
9.3	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मान्य हस्तक्षेप तथा परियोजना अवधि में समग्र आवश्यकता	92
9.4	2007 तक केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निधि की आवश्यकता	93

9.5	दसवीं योजना अवधि में बाह्य निधि सहायता	93
9.6	बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण हेतु निधि की आवश्यकता	93
9.7	अध्यापक शिक्षा का आवंटन	94
9.8	राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलापों हेतु आवंटन	94
9.9	विद्यालय से बाहर किशोरों तथा युवकों की शिक्षा हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	95
9.10	विद्यालय से बाहर किशोरों तथा युवकों की शिक्षा हेतु निधि की आवश्यकता	95
9.11	प्रौढ़ शिक्षा हेतु आवश्यक निधि	95
9.12	'सबके लिए शिक्षा' हेतु कुल आवश्यक निधि	95

बाक्स-सूची

1.1	आन्ध्र प्रदेश-सबके लिए शिक्षा की सम्प्राप्ति हेतु स्थायी प्रोत्साहन योजनाएं	4
2.1	विभिन्न प्रदेशों में नवाचारी कार्यक्रम	11
3.1	समेकित बाल विकास योजना के मुख्य अवयव	15
3.2	बालवाड़ी : शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु नवाचारी पहुँच एवं उत्तरांचल राज्य में सामुदायिक सशक्तीकरण	18
4.1	तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना	32
4.2	प्रथम : "प्रत्येक बच्चा विद्यालय में हो एवं अच्छा सीखे"	40
4.3	श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, उड़ीसा	45
5.1	बालिका शिक्षा	47
6.1	शिक्षा मित्र योजना : महिला शिक्षकों को आमंत्रण	70
6.2	विद्यालय आधारित गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	71
7.1	दूसरा दशक	79
8.1	हिमाचल प्रदेश : सतत सफलता की कहानी	82
8.2	नवसाक्षरों हेतु रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान, कोयम्बटूर	85
8.3	कैथुन साड़ी बुनकर : जन शिक्षण संस्थान की साक्षरता सफलता की कहानी	87
10.1	जन शिक्षा की आख्या : गुणवत्ता हेतु जन साधारण के दायित्व निर्धारण के लिए एक पहल	99
10.2	राष्ट्रीय बाल आयोग	101

रेखाचित्र-सूची

1.1	भारत में शिक्षा की संरचना	2
-----	---------------------------	---



एस.सी.त्रिपाठी

सचिव
प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली


आमुख

यह निःसंकोच रूप से माना जा सकता है कि देश में 1990 का दशक प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए सर्वाधिक गतिशीलता का काल रहा है। इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की सिफारिशों में निर्धारित थी। 1990 में जोमेतियन में बुनियादी शिक्षा के लिए वैश्विक घोषणा से इन प्रयासों को व्यापक रूप से प्रोत्साहन और समर्थन मिला। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। उदाहरणार्थ, इस दशक में प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमशः 14% और 36% की वृद्धि हुई, 243 लाख नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, 130,000 नए विद्यालय खोले गए और 5,30,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इस दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन कुल नामांकन का 41% से बढ़कर 44% हो गया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बालिका नामांकन 38% से बढ़कर 40% हो गया। इसके साथ ही इस दशक में साक्षरता दर में भी 13.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। (1991 में साक्षरता 52.2% थी जो बढ़कर 65.4% हो गई) स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद पहली बार निरक्षरों की कुल संख्या में 320 लाख की कमी आई, 1990 के दशक में सरकार के शिक्षा व्यय में भी वृद्धि हुई। इस दशक के आरंभ में सरकारी शिक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.84% था जो बढ़कर 4.11% हो गया। इन प्रयासों के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार मुद्दे पर व्यापक तथा गहन रूप से विचार-विमर्श हुआ जिसके परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। हमारे सम्मुख आने वाले वर्षों में इस अधिकार को कारगर बनाने के लिए आवश्यक कानून बनाने और कार्यान्वयन की कार्यनीति विकसित करने की चुनौती है।

नई सहस्राब्दि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए परिप्रेक्ष्य और संभावनाएं पैदा हुई हैं। डकार विश्व सम्मेलन 2000 में अंगीकृत सबके लिए शिक्षा (स.लि.शि.) की कार्य योजना इसके नवीन कार्यकारी बिंदुओं को प्रस्तुत करती है। इसके साथ-साथ देश में सबके लिए शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप (सहयोजित) कार्यक्रम है जिसमें स.लि.शि. का लक्ष्य 2010 तक (डकार सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता की निर्धारित समय सीमा 2015 से 5 वर्ष पहले) पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय साक्षरता आयोग की संशोधित कार्य योजना में 2007 तक 75% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से आरंभ है। यह दस्तावेज स.लि.शि. के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हर प्रकार से सुनिश्चित हो सके। प्रस्तुत दस्तावेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, निरक्षरता का उन्मूलन तथा संबंधित

पक्षों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को डकार कार्य योजना के अंतर्गत निर्धारित स.लि.शि. लक्ष्यों के सापेक्ष एकीकृत करके प्रस्तुत किया गया है। संघीय प्रणाली के अंतर्गत शासित भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में 35 राज्य/संघीय क्षेत्र हैं जिनकी शैक्षिक आवश्यकताओं में काफी विविधता है। ऐसी स्थिति में स.लि.शि. की राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना आसान नहीं है। राष्ट्रीय कार्य योजना में इन अंतर-राज्यीय विविधताओं पर ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा नागरिक समाज संगठन, देश भर में बड़े पैमाने पर शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े हैं। इन संगठनों के विचारों को भी राष्ट्रीय कार्य योजना में पर्याप्त जगह देना जरूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के दृष्टिकोणों को जानने और समझने के लिए चार क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक भी आयोजित की गई जिसमें गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और शिक्षाविद् एवं शिक्षाकर्मी भी आमंत्रित किए गए। इन परामर्श बैठकों के द्वारा प्राप्त सुझावों एवं प्रस्तावों को स.लि.शि. के डकार सम्मेलन में निर्धारित छः लक्ष्यों के साथ संयोजित करके राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है।

स.लि.शि. योजना कार्यान्वयन, अनुश्रवण और समीक्षा एवं समग्र नियोजन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत को अभिव्यक्त करती है। देश में 600 जिलों में जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं हैं। यह समग्र प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन प्रयास, विशेषकर जिला स्तरीय नियोजन प्रक्रिया की प्रतिपुष्टि करेगी। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समितियों/अभिभावक अध्यापक संघ, माता-अध्यापक संघ, विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों के संयुक्त प्रयासों से वास्तविक रूप में राष्ट्रीय योजना सिद्ध होनी चाहिए। अतः योजना के कार्यान्वयन पर सतत सुझावों का सदैव हार्दिक स्वागत है।



(एस.सी.त्रिपाठी)

संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर

ए.आई.डी.एस.	AIDS	एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएन्सी सि.ड्रोम
आं.प्र.	AP	आन्ध्र प्रदेश
आं.प्र.प्रा.शि.का.	APPEP	आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
आं.बा.	AW	आंगनवाड़ी
आं.बा.के.	AWC	आंगनवाड़ी केन्द्र
आं.बा.प्र.के.	AWTC	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र
बि.शि.प.	BEP	बिहार शिक्षा परियोजना
ख.वि.के.	BRCs	खण्ड विकास केन्द्र
के.शि.स.स.	CABE	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
के.ए.आई.ई.	CARE	कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर
स.व्या.मू.	CCE	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
स.शि.	CE	सतत शिक्षा
मा.उ.प.	CII	भारतीय उद्योग परिसंघ
बा.श्र.प.	CLP	बाल श्रम परियोजना
प.सं.के.	CLRC	परिधि संसाधन केन्द्र
सं.सं.के.	CRCs	संकुल संसाधन केन्द्र
शि.शि.म.वि.	CTEs	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जि.शि.नि.	DEP	जिला शिक्षा नियोजन
जि.शि. प्र.सं.	DIET	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
जि.प्रा.शि.का.	DPEP	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
म.बा.वि.वि.	DWCD	महिला एवं बाल विकास विभाग
शै.दे.शि.	ECCE	शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा
पू.बा.शि.	ECE	पूर्व बाल्यकाल शिक्षा
स.लि.शि.	EFA	सबके लिए शिक्षा
शि.गा.यो.	EGS	शिक्षा गारन्टी योजना
शै.प्र.सू.प्र.	EMIS	शैक्षिक प्रबन्धन हेतु सूचना प्रणाली
शै.दू.द.	ETV	शैक्षिक दूरदर्शन
स.घ.उ.	GDP	सकल घरेलू उत्पाद
सं.ना.अ.	GER	सकल नामांकन अनुपात
स.रा.उ.	GNP	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
भा.स.	GOI	भारत सरकार
एच.आई.वी.	HIV	ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएन्सी वायरस
मा.सं.वि.	HRD	मानव संसाधन विकास
उ.अ.शि.सं.	IASEs	उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
स.बा.वि.यो.	ICDS	समेकित बाल विकास योजना
सू.सं.प्रौ.	ICT	सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी
अ.ब.स.शि.	IEDC	अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

इं.गां.रा.मु.वि.	IGNOU	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
स.दू.से.प्रा.शि.प्र.	IPTT-IPB	सहक्रियात्मक दूरदर्शन के माध्यम से सेवारत प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण
सू.प्रौ.	IT	सूचना प्रौद्योगिकी
अ.टे.ई.	ITU	अन्तर्राष्ट्रीय टेलीकम्यूनिकेशन इकाई
ज.शि.सं.	JSS	जन शिक्षण संस्थान
क.गां.स्व.वि.	KGSV	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय
कि.श.यो.	KSY	किशोरी शक्ति योजना
के.वि.सं.	KVS	केन्द्रीय विद्यालय संस्थान
लो.जु.प.	LJP	लोक जुम्बिश परियोजना
मा.सं.वि.मं.	MHRD	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
न्यू.अ.स्त.	MLL	न्यूनतम अधिगम स्तर
म.स.	MS	महिला समाख्या
म.शि.के.	MSK	महिला शिक्षण केन्द्र
मै.ट.	MT	मैट्रिक टन
मा.शि.सं.	MTA	मातृ शिक्षक संघ
रा.आ.व्य.अ.प.	NCAER	राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारिक अनुसंधान परिषद्
रा.बा.श्र.प.	NCLP	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
रा.अ.शि.प.	NCTE	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
उ.पू.	NE	उत्तर पूर्व
कु.ना.अ.	NER	कुल नामांकन अनुपात
अ.शि.	NFE	अनौपचारिक शिक्षा
रा.प.स्वा.स.	NFHS	राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण
गै.स.सं.	NGOs	गैर सरकारी संगठन
रा.शै.यो.प्र.सं. (नीपा)	NIEPA	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
रा.मु.अ.सं.	NIOL	राष्ट्रीय मुक्त अधिगम संस्थान
रा.सा.मि.	NLM	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
रा.मु.वि.	NOS	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
रा.शि.नी.	NPE	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
रा.प्र.स.	NSS	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
रा.प्र.स.सं.	NSSO	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
ने.यु.के.	NYK	नेहरू युवक केन्द्र
ने.यु.के.सं.	NYKS	नेहरू युवक केन्द्र संगठन
आ.ब्लै.बो.	OP	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
मु.प्रा.शि.	OBE	मुक्त प्राथमिक शिक्षा
मु.प्रा.शि.का.	OBEP	मुक्त प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
मु.अ.	OLS	मुक्त अधिगम प्रणाली
नि.अ.	PA	निजी अनुदानित
उ.सा.	PL	उत्तर-साक्षरता
प.सू.प्र.प्र.	PMIS	परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली
पं.रा.सं.	PRIs	पंचायती राज संस्थान
प्रा.शि.प्र.रि.	PROBE	प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिक रिपोर्ट
अ.शि.सं.	PTA	अभिभावक शिक्षक संघ
छा.शि.अ.	PTR	छात्र शिक्षक अनुपात
नि.गै.अ.	PUA	निजी गैर अनुदानित
अ.व्य.	PWD	अक्षम व्यक्तियों
प्र.बा.स्वा.	RCH	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य
सं.अ.का.	RSP	संसाधन अनुसमर्थन कार्यक्रम

अं.प्र.के.	SRC	अंतरिक्ष प्रायोगिक केन्द्र
अनु.जा.	SC	अनुसूचित जाति
रा.शै.अ.प्र.प.	SCERT	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
स्व.स.स.	SHG	स्व-सहाय समूह
रा.शि.सं.	SIE	राज्य शिक्षा संस्थान
रा.शै.प्र.प्र.सं.	SIEMAT	राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान
सा.का.स.	SIG	सामाजिक कार्यकारी समूह
शि.क.प.	SKP	शिक्षा कर्मी परियोजना
स्व.अ.सा.	SLM	स्व-अधिगम सामग्री
स.शि.अ.	SSA	सर्व शिक्षा अभियान
अनु.ज.जा.	ST	अनुसूचित जन जाति
यो.ज.सं.	STIs	यौन जनित संक्रमण
शि.शि.सं.स.	TERG	शिक्षक शिक्षा संसाधन समूह
स.सा.अ.	TLCs	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
शि.अ.सा.	TLM	शिक्षण अधिगम सामग्री
श.अ.ब.	UDC	शहरी अपवंचित बच्चे
प्रा.शि.सा.	UEE	प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
यू.एन.	UN	यूनाइटेड नेशन्स
यू.ने.शै.वै.सा.सं.	UNESCO	यूनाइटेड नेशन्स शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यू.एन.पी.एफ.ए.	UNPFA	यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फण्ड
यू.एन.आई.एफ.ई.एम.	UNDFW	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट फण्ड फॉर वोमेन
उ.प्र.	UP	उत्तर प्रदेश
उ.प्र.प्रा.शि.प.	UPBEP	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना
प्रा.शि. का सा.	UPE	प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
उ.से.नि.प.शि.सं.	USNPSS	उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान
सं.शा.प्र.	UTs	संघ शासित प्रदेश
ग्रा.शि.स.	VECs	ग्राम शिक्षा समिति
ज.शि.स.	ZSS	जिला शिक्षा समिति

परिदृश्य

भारत एक विशाल देश है। इसकी सीमा का विस्तार 3,287,263 कि०मी० के क्षेत्रफल में हिमालय की बर्फीली गगनचुम्बी पर्वतमालाओं से दक्षिण में उष्ण कटिबन्धीय, वर्षा के घने जंगलों तक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,027,015,247 है (जिसमें 531,277,078 पुरुष और 495,738,169 महिलाएँ शामिल हैं)। विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग भारत में है। जनसंख्या के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।

प्रशासन की दृष्टि से भारत को 35 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें मिलजुल कर संघीय/संगठित रूप से कार्य करती हैं। केन्द्र सरकार के अंतर्गत रक्षा विभाग, रेल विभाग एवं वित्त विभाग हैं। अन्य क्षेत्रों में राज्यों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है अर्थात् वे क्षेत्र राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों को समवर्ती रूप से मिलकर कार्य करना होता है। ऐसे ही क्षेत्रों में शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारें समवर्ती रूप से कार्य करती हैं। संघ शासित प्रदेश, केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं। भारत के संविधान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों जैसे वैधानिक/कानूनी, प्रशासनिक एवं वित्त सम्बन्धी अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राष्ट्र के विस्तृत हित में, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच संसाधनों की साझेदारी और दायित्व पर एक विस्तृत एवं उपयुक्त कार्य प्रणाली बनी हुई है। राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा के आधार पर राज्यों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना केन्द्र सरकार के लिए मुख्य चुनौती है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रतिभाग करते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्य योजना की प्रक्रिया को एक राष्ट्रीय रूप प्रदान किया जाता है।

शिक्षा व्यवस्था का विस्तार

विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शैक्षिक सुविधाओं एवं प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन में आधारभूत बढ़ोत्तरी हुई है। परिणामस्वरूप प्रत्येक दस वर्षों में साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी हुई है। सारणी 1.1 के अनुसार साक्षरता दर एवं प्राथमिक शिक्षा में विस्तार की लगातार हुई प्रगति को दर्शाया गया है। नवीन आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के अनुसार, विगत दस वर्षों में साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1991 में साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत एवं 2001 में साक्षरता दर बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गई है।

विद्यालयी शिक्षा की संरचना एवं प्रबंध

भारत में विद्यालयी शिक्षा को चार भागों में बांटा गया है— प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 के अनुसार, विद्यालय शिक्षा को पूरे देश में समान रूप से लागू करने के लिए 10+2 की प्रणाली को स्वीकार करना अर्थात् पूरे देश में समान रूप से दस वर्षीय शिक्षा एवं दो वर्ष कक्षा XI एवं XII को इंगित करता है। सभी 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में शामिल उच्चतर माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत कक्षा XI एवं XII हैं (कुछ राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर उच्च शिक्षा का भाग है, जिन्हें जूनियर कॉलेज कहा जाता है)।

सारणी 1.1: साक्षरता दर एवं प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या (1951-2001)

वर्ष	साक्षरता दर (%)			विद्यालयों की संख्या	
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1951	18.33	27.16	8.86	215,036	14,576
1961	28.31	40.40	15.34	351,530	55,915
1971	34.45	45.95	21.97	417,473	93,665
1981	43.56	56.37	29.75	503,763	122,377
1991	52.21	64.13	39.29	566,744	155,926
2001	65.37	75.85	54.16	641,695	198,004


टिप्पणी : वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता दरें पांच वर्षों तथा उससे अधिक तथा वर्ष 1981, 1991 तथा 2001 की साक्षरता दरें सात वर्षों तथा उससे अधिक आयु की जनसंख्या से सम्बन्धित हैं

प्रथम दस वर्षों की विद्यालयी शिक्षा के संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अन्तर है। भारत के 22 प्रदेशों/संघ शासित राज्यों में माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत कक्षा IX एवं X आते हैं, अन्य 13 प्रदेशों में कक्षा VIII, IX, X माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत आते हैं। प्रारम्भिक विद्यालयी स्तर कक्षा VII एवं कक्षा VIII को कुछ प्रदेशों में प्रारम्भिक स्तर कहते हैं। शिक्षा के संगठन और ढांचा संबंधी निर्णय

अधिकांशतः राज्यों/संघीय क्षेत्रों के अधीन आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक कार्य प्रारूप के अंतर्गत राज्य/संघीय क्षेत्र शैक्षिक ढांचे को अंगीकार करते हैं। यह विद्यालय स्तर की शिक्षा पर पूर्णतः लागू होता है। राज्य/संघीय क्षेत्र के अंदर शिक्षा संरचना में लगभग एकरूपता है। सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों के बीच शिक्षा संबंधी जिस ढांचे के प्रति आम सहमति बनी है वह निम्नांकित रेखाचित्र 1.1 में प्रदर्शित है।

विद्यालयी शिक्षा के प्रथम दस वर्षों में सम्पूर्ण देश में सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से विस्तृत दृष्टिकोण से तैयार की गई सामान्य शिक्षा लागू करने के विचार से 10+2+3 सामान्य शैक्षिक संरचना लागू की गयी है। प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या संयोजन (प्रथम दस वर्षों हेतु) इस प्रकार से किया गया है कि पाठ्यचर्या में विविधता एवं भिन्नता/असमानता वाले विषयों को प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर पर मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है।

रेखाचित्र 1.1 भारत में शिक्षा की संरचना



स्रोत : डवलपमेंट आफ एजुकेशन : 1986-1988, नेशनल रिपोर्ट ऑफ इन्डिया, 1988 नीपा

प्रारम्भिक स्तर पर पाठ्यचर्या में मुख्य रूप से स्वस्थ आदतों का विकास/जीवन कौशलों का विकास, साक्षरता के बुनियादी कौशलों का विकास, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा आदि विकास के मुख्य बिन्दुओं को समाहित किया गया है। प्रारम्भिक वर्षों में अधिगम की सामान्य प्रक्रिया को विकसित करने के लिए विषयवस्तु एवं सीखने की प्रक्रिया को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि बच्चों में संप्रेषण एवं लिखने के कौशल को विकसित किया जा सकें।

स.लि.शि. के अन्तर्गत हुए विकास पर एक नजर

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि हम साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में अपेक्षित विकास कर सकें। स.लि.शि. हेतु डकार (DAKAR) की कार्य योजना के अनुसार, स.लि.शि. के अन्तर्राष्ट्रीय (विश्व स्तरीय) लक्ष्य को राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़कर समान रूप से प्रयास करने हैं।

साक्षरता दर एवं विद्यालयों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के अतिरिक्त निम्नांकित क्षेत्रों में विकास हो रहा है :-

- * स.लि.शि. के लक्ष्य को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक सचिव की अध्यक्षता में पृथक विभाग के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की स्थापना नवम्बर, 1999 में की गई।
- * प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु संसद द्वारा संविधान में संशोधन का विधेयक मंजूर हो गया है।
 - इस अधिकार को पूर्ण रूप से लागू किये जाने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, जो निम्नवत् हैं :-
 - केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी का निर्धारण किया गया है।
 - शिक्षा में गुणवत्ता के मान्य मानकों का निर्धारण।
 - यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो तुरंत सुधार करने हेतु उपचारात्मक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
- * सरकारी क्षेत्र में, कुल घरेलू उत्पाद (GDP) पर शिक्षा में हुए व्यय का प्रतिशत 3.84 से बढ़कर 4.11 हो गया है।
- * लैंगिक असमानता
 - 1990 और 2000 के मध्य, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 23 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 38 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो बालकों के नामांकन से अधिक है।
 - कुल नामांकन में बालिकाओं का प्रतिशत नामांकन की दर प्राथमिक स्तर पर 41 प्रतिशत से 44 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 38 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ी है।
 - महिला शिक्षकों का अनुपात 29 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- * शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा
 - वर्ष 2002 तक 5.652 ब्लॉक में उपर्युक्त योजना से 90 प्रतिशत ब्लॉक लाभान्वित हो चुके हैं।
 - वर्ष 1995 में 22 मिलियन (m) से बढ़कर वर्ष 2000 में 30 मिलियन (m) लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हम साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा दोनों के क्षेत्र में कार्य कर सकें।

बाक्स 1.1 : आन्ध्र-प्रदेश-स.लि.शि. की सम्प्राप्ति
हेतु स्थायी प्रोत्साहन-योजनाएं

मांबाड़ी (हमारा विद्यालय)

6-11 आयु वर्ग के सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु छोटे से छोटे आवासीय क्षेत्र जहाँ पर 100-200 तक जनसंख्या है, मांबाड़ी योजना तैयार की गई। कम से कम 10 शिक्षार्थी वाले स्थानीय समुदायों को समुदायिक शिक्षक रखने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इन सामुदायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 1200 मांबाड़ी स्थापित हो चुके हैं।

अक्षर संक्रांति कार्यक्रम

आन्ध्र प्रदेश में, स्व-सहाय समूहों की गतिविधियों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु अति महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, अनेक गतिविधियों पर सामान्य रुचि समूह का गठन किया गया जैसे-मितव्ययिता से लेकर वन संसाधनों का प्रबंधन इत्यादि। इन विकासों के मददेनजर, सतत् शिक्षा-केन्द्रों को नई स्फूर्ति प्रदान करने हेतु स्वयं-सेवित समूहों पर विशेष बल देने हेतु कार्यक्रम संचालन का निर्णय लिया गया। जुलाई में एक विशेष अभियान लागू किया गया, इसके अन्तर्गत ऐच्छिक स्वयं-सेवित समूहों को कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु चिहनांकित किया

गया। इन समूहों के निरक्षर सदस्यों को भी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। 2 अक्टूबर, 2000 को प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 मिलियन निरक्षर लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करना था। अक्षर संक्रांती कार्यक्रम के अन्तर्गत, संक्रांती पर्व के पूर्व, जनवरी के मध्य में प्रथम चरण को पूरा करने का प्रस्ताव था। पूर्व में यह कार्यक्रम पश्चिम गोदावरी जिलों में अग्रज कार्यक्रम के रूप में चलाया गया। इसके अन्तर्गत स्वयं-सेवित-समूहों की 60,000 महिलाओं को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। मार्च, 2001 के अन्त में, राज्य के सभी जिलों को इस कार्यक्रम से संलग्न कर दिया गया। फलतः मार्च, 2001 के अंत तक लगभग 2.9 मिलियन शिक्षार्थियों ने शिक्षा पूरी कर ली थी।

आन्ध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम के फलस्वरूप साक्षरता दर वर्ष 1991 में 44.08 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001 में 61.11 प्रतिशत आंगणित की गई। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्राप्त आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2001 में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं राज्य में साक्षरता दर में दशकीय-वृद्धि-दर सर्वाधिक आंगणित की गई है।

स.लि.शि. के अन्तर्गत वर्तमान रणनीतियाँ

स.लि.शि. 2000 के मूल्यांकन एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आख्या के अनुसार सम्पूर्ण साक्षरता एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु विभिन्न सहगामी कार्य योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है :


- (1) स.शि.अ. (SSA) एवं रा. सा. मि. (NLM) के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से विशेष कार्य योजनाय तैयार कर लागू करेंगी। नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा योजना के माध्यम से विद्यालय न जाने वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देकर उनका विद्यालय में नामांकन कराना योजनान्तर्गत है। वर्ष 1990 से लागू विकेन्द्रित जनपदीय योजना से अपेक्षित है कि उनसे स्थानीय आवश्यकताओं और माँगों की पूर्ति अधिक प्रभावी होगी।
- (2) अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर, ग्राम स्तर पर मुख्य धारा से जुड़े लोगों को कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सक्रिय रूप से शामिल करना द्वितीय योजना है। विभिन्न राज्यों में अत्यधिक भिन्नताएं होने के बावजूद, शैक्षिक प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का निर्णय सभी राज्यों द्वारा लिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार हस्तांतरित कर किया गया है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ग्राम शिक्षा समिति एवं स्कूल प्रबंधन को कुछ अधिकार देकर की गई है। सूक्ष्म-योजना (micro-planning) एवं विद्यालय मानचित्रण (school-mapping) जैसे प्रयोग लोक-जुम्बिश की तरह स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सभी के लिए शिक्षा के अन्तर्गत योजनाएं तैयार की जाती है।
- (3) यह पहचान की जा चुकी है कि गरीब और अपवंचित वर्ग की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। बच्चों को रोजगार देने का कार्य सीधे रूप से उनको शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करना है। स्वयंसेवी संस्थाओं के विशेष प्रयासों द्वारा कुछ राज्यों में विशेष योजनान्तर्गत बालश्रम को

रोका जा रहा है परन्तु कई राज्यों द्वारा सीधे तौर पर प्रयास की गति अभी धीमी है। परन्तु अभिभावकों एवं रोजगार देने वालों का सहयोग बालश्रम को रोकने में अधिक सफलता दिला सकता है।

- (4) प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में एक नियमबद्ध योजना के रूप में लागू करने हेतु कानूनी रुकावटों को दूर करना होगा। बाल अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत में लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है।
- (5) जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार करने एवं लागू करने हेतु सामाजिक गतिविधियों द्वारा प्रौढ़ अशिक्षा को दूर करने हेतु वृहद् साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जन सम्पर्क अभियान एवं कर्नाटक में प्रजायत्न (Prajayatna means people's effort) संस्था एक जन समाज संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

आजकल प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रसारण समाचार पत्रों एवं टेलीविजन इत्यादि पर विशेष रूप से सुर्खियों में है। मीडिया के द्वारा जनसाधारण जागरुक होकर प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने पर दबाव डालेगा। कतिपय राज्यों में इस अभियान को 'सूचना का अधिकार' के अन्तर्गत भी चलाया जा रहा है। स.शि.अ. के अन्तर्गत जन-जन जागरुक होकर सामुदायिक सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक होकर सामाजिक चेतना लाये, यही स.शि.अ. के समर्थन में महत्वपूर्ण कदम होगा।

आजकल प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रसारण समाचार पत्रों एवं टेलीविजन इत्यादि पर विशेष रूप से सुर्खियों में है। मीडिया के द्वारा जनसाधारण जागरुक होकर प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने पर दबाव डालेगा।



'डकार' लक्ष्यों की प्राप्ति :

भारतीय परिप्रेक्ष्य

डकार सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ

अप्रैल, 2000 में डकार सम्मेलन में विश्व शिक्षा फोरम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स.लि.शि. परियोजना के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्य योजना का आधार डकार सम्मेलन में निर्धारित किया गया। उक्त कार्य योजना के अनुसार स.लि.शि. (EFA) के निम्नांकित छः लक्ष्य निर्धारित किये गए :-

1. अपवंचित वर्ग एवं विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों हेतु प्रारम्भिक बाल्यावस्था में व्यापक देखभाल तथा शिक्षा का विस्तार एवं विकास करना।
2. वर्ष 2015 तक सभी बच्चों, मुख्यतः बालिकाओं, कठिन परिस्थितियों में घिरे बच्चों, अल्पसंख्यक समुदाय के सभी बच्चों हेतु मुफ्त, आवश्यक, एवं गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. सभी युवाओं एवं प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया द्वारा जीवन कौशलों से सम्बन्धित कार्यक्रमों की समान रूप से पहुँच सुनिश्चित करना।
4. वर्ष 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता दर में 50 फीसदी वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, मुख्य रूप से महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करना, एवं सभी प्रौढ़ व्यक्तियों तक प्राथमिक एवं सतत शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
5. वर्ष 2005 तक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक भेद समाप्त करना एवं वर्ष 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना, मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु पहुँच सुनिश्चित करना।
6. गुणवत्तापरक शिक्षा के समस्त आयामों का संवर्धन एवं उत्कृष्टता लाना और मुख्य रूप से साक्षरता, संख्या विषयक और जीवनकौशल से सम्बन्धित अधिगम सम्प्राप्ति में उत्कृष्टता लाना एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) की लक्ष्य-प्राप्ति की ओर अग्रसर भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इस संदर्भ में, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को स.शि.अ. के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रम जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम जैसे शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा के विशेष कार्यक्रम तथा समेकित शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर सुनियोजित की गई कार्य योजना का मुख्य भाग कतिपय राज्यों में ही सुचारु रूप से चलता है जो राष्ट्रीय योजना एवं उसके परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से परिलक्षित नहीं होता है। डकार बैठक में निर्धारित छः लक्ष्यों के आधार पर निम्नांकित राष्ट्रीय लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है :-

शैशवकालीन शिक्षा से तात्पर्य ऐसे बच्चों के लिए प्रेरक शैक्षिक वातावरण सृजन करने से है, जो घर पर शैक्षिक वातावरण से वंचित हैं, और इस वातावरण से उनकी इस कमी की प्रतिपूर्ति हो सके।

- * समेकित बाल विकास कार्यक्रम योजना का सार्वभौमीकरण – शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मुख्य रूप से योजनान्तर्गत रखा गया है। (डकार लक्ष्य-1)
- * स.लि.शि. परियोजना के अन्तर्गत स.शि.अ. में, वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्षों की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। (लक्ष्य संख्या 2 और 6)
- * दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत किशोरों के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है जिसमें बालिकाओं को विशेष स्थान दिया गया है। (लक्ष्य 3)
- * राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत 15-35, आयु वर्ग के सभी अशिक्षित प्रौढ़ों को क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करना। (लक्ष्य 3 एवं 4)
 - वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना।
- * सामान्य योजनाओं में बालिकाओं को प्रमुख स्थान देने के अतिरिक्त बालिकाओं के लिए एक विशिष्ट योजना बनाना। (लक्ष्य 5)
 - सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाते हुए, सभी बच्चों के लिए वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा (I-V) एवं वर्ष 2010 तक शिक्षा प्रारंभिक (I-VIII) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

भारतीय संदर्भ में प्रमुखताओं का निर्धारण

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) द्वारा स.शि.अ. के अन्तर्गत निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा हेतु दो संस्तुतियों की पुष्टि की गई है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा (CABE) शैक्षिक कार्यक्रमों के सुदृढीकरण हेतु अनुशंसा की गई। स.शि.अ. के लक्ष्य को पूरा करने हेतु विस्तृत योजनाओं की कार्य योजना तैयार करने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक निवेश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई। समिति ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं से हम विद्यालय भवन का निर्माण, नवीन विद्यालय खोलना एवं शिक्षकों की नियुक्ति के अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग कर शैक्षिक सुदृढीकरण कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियों के लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी।

शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE)

शैशवकालीन शिक्षा से तात्पर्य ऐसे बच्चों के लिए प्रेरक शैक्षिक वातावरण सृजन करने से है, जो घर पर शैक्षिक वातावरण से वंचित हैं, और इस वातावरण से उनकी इस कमी की प्रतिपूर्ति हो सके। जबकि एक ओर, यह अनुभव किया गया है कि बच्चों को प्राथमिक पाठ्यक्रम से सामंजस्य स्थापित कराने से पूर्व उनमें आवश्यक परिपक्वता एवं अनुभव के साथ प्राथमिक पाठ्यक्रम से सामंजस्य स्थापित करने हेतु तैयार किया जाए। इस योजना के प्रभाव से प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है क्योंकि बालिकाओं पर उनके छोटे भाई-बहनों की देखभाल का दायित्व उपर्युक्त योजनान्तर्गत वहन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पढ़ना, लिखना एवं गिनना सिखाने के लिए खेल-कूद आधारित/रुचिपूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चों में जीवन कौशल के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अन्तर्गत बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में देखभाल सम्बन्धी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वृहद स्तर पर किया जाता है। इस परियोजनान्तर्गत बच्चों को विद्यालय पूर्व शैक्षिक सुविधाएं/वातावरण सृजन का कार्य अभी कुछ वर्षों से प्रारम्भ किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पूर्व विद्यालयी शिक्षा की बागडोर अधिकतर निजी क्षेत्रों के हाथों में है, जिस पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन नहीं प्रदान किया जाता है। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इस वय वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु जो लक्ष्य रखा गया है,

वह अति आधुनिक है। देश भर में करीब 2 मिलियन पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों द्वारा वर्ष 2000 तक करीब 70 प्रतिशत बच्चों तक योजना का लाभ पहुँचाने पर विचार किया गया था।

प्रारम्भिक शिक्षा

वर्ष 1950 से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2002 में संविधान में यह संशोधन किया गया कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के मूलभूत अधिकार के अन्तर्गत है जबकि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) के अन्तर्गत संविधान में प्रावधान किया गया है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापरक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य प्रारम्भिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण से है जिसके अन्तर्गत नामांकन के लक्ष्य से आगे सहभागिता, ठहराव एवं सम्प्राप्ति स्तर तक विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है।

सभी तक पहुँच सुनिश्चित करना

स.लि.शि. के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आंकड़ों के आधार पर अभियान की प्रगति हेतु कृत प्रयासों का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए अधिक कड़े एवं कारगर प्रयासों की आवश्यकता है। परन्तु क्षेत्रीय भिन्नताएं इस दिशा में मुख्यतः कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नताओं वाले अपवंचित वर्ग तक सभी के लिए प्राथमिक-शिक्षा की पहुँच का लक्ष्य इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। मुख्यतः स.शि.अ. का लक्ष्य सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है। इस योजनान्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित के अनुसार शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जानी है :-

- प्राथमिक कक्षाओं में सभी बच्चों का नामांकन, विशेषकर बालिकाओं, अनु. जाति, अनु. जन जाति एवं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना एवं इन बच्चों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- शालात्याग बच्चों, श्रमिक बालकों एवं बालिकाओं, जो किसी कारणवश औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा सकती, हेतु अनौपचारिक शिक्षा (NFE) एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

ठहराव सुनिश्चित कराना

सभी तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में देश ने काफी प्रगति की है। हाल ही में हुए सर्वेक्षणों से पता चलता है, कि जनसंख्या के 95 प्रतिशत भाग के लिए 1 कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक शिक्षा की पहुँच है। कुल नामांकन की दर में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। जबकि, वे बच्चे जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा का प्रथम चरण, नियमित विद्यालयों में पूरा कर लिया है, उनके लिए भी विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करना है। बहुत से बच्चे विद्यालयों में नामांकित तो हो जाते हैं, परन्तु अनेक कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते। विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या की स्थिति में भी राज्यों की स्थिति में अन्तर स्पष्ट रूप से परिलक्षित है जैसे केरल, गोआ और मिजोरम जैसे राज्यों में बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं में होने के उपरान्त बच्चे 4-5 वर्षों तक विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करते हैं परन्तु अन्य प्रदेशों के आंकड़ों के अनुसार शालात्याग बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। अतः स.शि.अ. योजना के अन्तर्गत शालात्याग बच्चों की संख्या में कमी लाना मुख्य उद्देश्य के रूप में लिया गया है। इसलिए वर्ष 2010 तक शालात्याग बच्चों की संख्या शून्य पर लाना इस योजना का उद्देश्य है।

गुणवत्ता सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन के विभिन्न आयामों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु अनेक योजनाएं एवं निर्देशावली तैयार की गई है।

वर्ष 2002 में संविधान में यह संशोधन किया गया कि 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के मूलभूत अधिकार के अन्तर्गत है जबकि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) के अन्तर्गत संविधान में प्रावधान किया गया है।

विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार व्यवस्था

विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ नीति निर्धारण में योजना के अन्तर्गत विद्यालय जाने वाले बच्चों की अधिगम सम्प्राप्ति के स्तर पर भी ध्यान केन्द्रित गया है।

अधिगम सम्प्राप्ति पर विशेष बल

विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ नीति निर्धारण ने योजना के अन्तर्गत विद्यालय जाने वाले बच्चों की अधिगम सम्प्राप्ति के स्तर पर भी ध्यान केन्द्रित गया है। भारत सरकार द्वारा 1990-91 में राष्ट्रीय स्तर पर गठित समिति ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों द्वारा संप्राप्त "न्यूनतम अधिगम स्तर" योजना की रूपरेखा सुनिश्चित की।

शिक्षकों का क्षमता संवर्धन

गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षकों की व्यवस्था के अन्तर्गत संरचनात्मक ढांचे में हो रहा अभूतपूर्व विस्तार भी शिक्षक की गुणवत्ता शिक्षक-शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने वाली व्यवस्था को प्रभावित करता है। पिछले दस वर्षों में, एक महत्वपूर्ण नवीन योजनान्तर्गत सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर एवं सह-जिला स्तर पर संस्थान की व्यवस्था की गई। इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षण व्यवस्था, सतत शैक्षिक निर्देशन एवं अनुसमर्थन हेतु विकेन्द्रित व्यवस्था की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया।

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम

रा.सा.मि. (NLM) का मुख्य लक्ष्य शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना है (जिसके अन्तर्गत वर्ष 2007 तक कम से कम 75 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति)। रा.सा.मि. (NLM) के विचार से योजनान्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ अशिक्षित व्यक्तियों हेतु क्रियात्मक-साक्षरता प्रदान करने पर विशेष बल देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की योजना के अनुसार अशिक्षित लोग कम से कम पढ़ना, लिखना, गिनना (Three R's Reading, Writing Arithmetic) जान सकें और उनकी दक्षता प्राप्ति में आत्मनिर्भर हो सकें। इससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति एवं जीवनस्तर सुधारने की सुविधाएँ भी मिलेंगी। शिक्षा महिलाओं को समानता का अधिकार, छोटे परिवार का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्य स्थापित करने में मदद कर सकें जिससे वह देश की विकास प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सकें।

क्रियात्मक साक्षरता के अन्तर्गत, उपरोक्त समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति ही रा.सा.मि. (NLM) का लक्ष्य है। वह जनपद जहाँ पर महिला साक्षरता दर कम है, वहाँ के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। नवीन-साक्षर व्यक्तियों हेतु जीवन कौशल से सम्बन्धी शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु जन-शिक्षण संस्थान की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया।

सबके लिए शिक्षा (वर्ष 2002-2015) हेतु लक्ष्य निर्धारण

प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व दशक में अनेक नवीन प्रयास किये गए। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनियोजित वित्तीय सहयोग से वृहद परिप्रेक्ष्य में स.शि.अ. लागू किया गया है। यह अभियान जिला स्तरीय प्रबंधन (विकेन्द्रित प्रणाली) एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू किया जायेगा। इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने पर विचार किया गया है, स.शि.अ. के चार मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

- * वर्ष 2003 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से या किसी समकक्ष वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की पहल सुनिश्चित करना।

विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नवाचारी कार्यक्रमों की संरचना की गई।

हेड स्टार्ट (Head start)

मध्य प्रदेश में राजीव गांधी राजकीय मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कम्प्यूटर का प्रयोग मार्गदर्शी परियोजना के रूप में किया गया। इसके अन्तर्गत देशी रीति रिवाज पर आधारित शैक्षिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। इसके पीछे तर्क यह था कि प्रत्येक विषय के कठिन संबोधनों की समझ विकसित करने की योग्यता में सुधार लाने हेतु कक्षा-कक्षा गतिविधियों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाए तथा साथ ही कम्प्यूटर साक्षरता हेतु भी प्रयास किया जाए। अधिगम के कठिन संबोधनों की पहचान करते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया गया एवं सभी विषयों पर शैक्षिक सॉफ्टवेयर का विकास शैक्षिक सत्र 2002-03 में प्रयोग हेतु किया गया।

नवम्बर, 2000 में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (Middle School) 648 हेड स्टार्ट केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया गया, इन केन्द्रों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा विभाग भी है यह जन-शिक्षा-केन्द्र के रूप में कार्य करता है एवं 8 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालयों हेतु संकुल संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है। कम्प्यूटर-सक्षमता शिक्षा के अन्तर्गत कुल 2,358 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ज्ञानकलश

हिमाचल प्रदेश में डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत अखिल भारतीय रेडियो, शिमला के सहयोग से प्राथमिक-शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु सप्ताह में दो दिन 15 मिनट का "ज्ञानकलश" नामक कार्यक्रम का प्रसारण प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम की मदद से शिक्षकों तक ज्ञान की पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में सुधार हुआ, विशेषतः

दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षकों के लिए जहाँ पर अन्य प्रचलित माध्यमों से शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करना दुष्कर कार्य है। ज्ञानकलश कार्यक्रम के प्रथम चरण में, विषयों को चिह्नकित किया गया एवं रेडियो कार्यक्रम की रूपरेखा के विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में संदर्भ व्यक्तियों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं राज्य एवं जिला स्तर के शिक्षक-शिक्षा से जुड़े शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। आगामी चरण में, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कार्यक्रम के निर्माण एवं प्रसारण हेतु संबद्ध किया गया, "ज्ञानकलश" के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए।

नली कली

कर्नाटक राज्य में वर्ष 1999 में निजी प्रबंधन वाले विद्यालयों में नली कली (Nali Kali) कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वय-वर्ग-आधारित दक्षताओं के अनुसार, पारस्परिक क्रियाओं के अन्तर्गत अधिगम क्रिया होती है। बच्चों को समूहों में विभाजित किया जाता है एवं उनको एक दक्षता में पारंगत होने के बाद दक्षता के दूसरे स्तर पर पहुँचने के लिए अन्य समूहों में भेजा जाता है। बच्चे अपनी स्वयं की क्षमता एवं गति के अनुसार सीखते हैं। तथा दक्षता के एक स्तर पर पहुँचने के उपरान्त दूसरे स्तर की ओर कदम बढ़ाते हैं, वे पूरे समूह की अधिगम सम्प्राप्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। शिक्षण अधिगम की सभी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत गीत, खेल, सर्वेक्षण, कहानी सुनाना एवं शैक्षिक खिलौनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के प्रयोग से औपचारिक प्रक्रियाओं जैसे उपस्थिति लेना, परीक्षा, प्रोन्नति, श्रेणीकरण इत्यादि समस्त प्रक्रियाओं की प्रभावी रूप से त्याग दिया गया है। 5 से 14 आयुवर्ग के मध्य यह सब औपचारिक माध्यम उचित प्रतीत नहीं होते हैं।

- * वर्ष 2007 तक, सभी बच्चों द्वारा 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना।
- * वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा 8 वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- * वर्ष 2010 तक सभी के लिए गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

इस कार्यक्रम को इस प्रकार से लागू किया जायेगा कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु समुदाय स्वयं पहल करे, इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं एवं निजी क्षेत्र समुदाय को आवश्यक एवं कार्यरत अवसर उपलब्ध कराएंगे। पूर्व अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए, स.शि.अ. के अन्तर्गत प्रभावी विकेन्द्रीकरण, वित्तीय अनुसमर्थन, सार्वभौमीकरण हेतु मितव्ययी कार्य योजनाएं, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम, समुदाय की आवश्यकता अनुरूप योजनाएं एवं क्रियान्वयन, बालिका शिक्षा पर विशेष बल, अपवंचित जाति विशेष एवं अल्पसंख्यक समुदाय इत्यादि बिन्दुओं पर कार्य योजना में विशेष बल दिया गया है। स.लि.शि. (EFA) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा मुख्यतः दो लक्ष्य निर्धारित किये गये :-

- * वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना और वर्ष 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तर में 50 प्रतिशत तक सुधार लाना
- * वर्ष 2007 तक सभी जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार

भारत में स.शि.अ. की योजना एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया

गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता की वजह से कार्य योजना में परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है एवं जन-सामान्य की सामाजिक एवं आर्थिक अभिलाषाएँ भी इस अभियान की प्रगति में तेजी से सहायक सिद्ध होंगी। स.लि.शि. के सम्बन्ध में डकार बैठक में दी गई संस्तुतियों एवं स.शि. अ. के अन्तर्गत सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के एक मात्र सामाजिक एवं राजनैतिक लक्ष्य से समाज के सभी समुदायों को एक अभियान के रूप में एक सामान्य मंच पर लाना होगा।

भारत जैसे विशाल देश के लिए, स.शि.अ. जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम की कार्य योजना तैयार करना आसान नहीं है, क्योंकि स.शि.अ. के लक्ष्यों के अनुसार सभी राज्य अलग-अलग स्थिति में हैं। इन अन्तर्राज्यीय विविधताओं को ध्यान में रखकर ही उद्देश्यपरक कारगर कार्य योजना तैयार की जा सकती है। दूसरा, राष्ट्रीय कार्य योजना में उन सभी जन एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए जो शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तीसरा, लक्ष्य निर्धारण एवं कार्य योजना तैयार करने में कार्य नीतियों को ध्यान में रखना चाहिये। इन सभी को ध्यान में रखकर राज्यों के संस्थाध्यक्ष एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की चार बैठके लगातार होंगी जिनमें राज्यों की कार्य योजना का निर्धारण किया जाएगा। स.लि.शि. के अन्तर्गत डकार बैठक में निर्धारित छः लक्ष्यों के आधार पर राज्यों द्वारा स.शि.अ. की कार्य योजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना पर व्यापक विचार-विमर्श किया जायेगा ताकि राष्ट्रीय कार्य योजना में सभी प्रतिनिधियों के विचार एवं योजनाओं को ध्यान में रखा जा सके जो स.शि.अ. के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त स.शि.अ. के अन्तर्गत क्षमता संवर्द्धन सम्बन्धी योजनाओं के निर्धारण हेतु बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न राज्यों की अलग-अलग स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारगर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना एक वास्तविक चुनौती है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के आदेश पर कार्य योजना तैयार करना मात्र एक सोच है। एक कारगर कार्य योजना तैयार कर उसको वास्तविक रूप में धरातल पर उतारना निम्नांकित दो बातों पर निर्भर करता है :-

1. राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित कार्य योजना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स.शि.अ. के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाये। स.शि.अ. और शिक्षा का सार्वभौमीकरण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ मिलकर प्रयासरत रहें। यह उपलब्धि मुख्य रूप से स.शि.अ. की सफलता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है। वास्तविक प्रगति के मूल्यांकन हेतु केवल लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति का मूल्यांकन हो आवश्यक नहीं है बल्कि वास्तविक क्षेत्र में कार्य की प्रगति का अनुभव भी आवश्यक है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्थागत व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।
2. राष्ट्रीय नेतृत्व की राजनैतिक प्रतिबद्धता भी राष्ट्रीय कार्य योजना के महत्व को मुख्य रूप से प्रभावित करेगी साथ ही जन-सामान्य को निर्धारित लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी।

भारत में सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कदम पर किये गये प्रयासों पर किसी प्रकार के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। एक मौलिक अधिकार के रूप में सभी के लिए गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता की वजह से कार्य योजना में परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है एवं जन-सामान्य की सामाजिक एवं आर्थिक अभिलाषाएँ भी इस अभियान की प्रगति में तेजी से सहायक सिद्ध होंगी। स.लि.शि. के सम्बन्ध में डकार बैठक में दी गई संस्तुतियों एवं स.शि.अ. के अन्तर्गत सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के एक मात्र सामाजिक एवं राजनैतिक लक्ष्य से समाज के सभी समुदायों को एक अभियान के रूप में एक सामान्य मंच पर लाना होगा।

शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व, विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में व्यापक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुसार बच्चों के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था की गई है, फलस्वरूप कुछ वर्षों से इस व्यवस्था पर पुनः बल दिया जा रहा है, जो राज्यों को शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) संबंधी योजनान्तर्गत सुविधाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

भारत के संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम, 2001 के पारित होने के पूर्व ही संविधान के अनुच्छेद-45 के अनुसार (राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत) भारतीय संविधान द्वारा राज्यों को निर्देशित किया गया है कि 14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्यों का दायित्व है। संविधान के इस निर्देशक सिद्धान्त के तहत, जो 0-6 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था, उसकी मंशा यह थी कि बच्चों के समग्र विकास हेतु परिस्थितियाँ सृजित की जाएं जिसमें विद्यालय पूर्व शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक होगी।

संविधान के 86वें संशोधित अधिनियम, 2001 के अनुरूप 0-14 आयु वर्ग के बच्चों को स्पष्टतः दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिससे उनके हितों का अनुक्षण संविधान के पृथक अनुच्छेदों के तहत किया जा सके। अनुच्छेद 21A को, अनुच्छेद 21 के तत्काल बाद मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है जिसका तात्पर्य है "राज्य अपने क्षेत्र में सभी 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस रूप में प्रावधानित करेगा जो राज्य द्वारा अपने स्तर पर विधिक रूप में निर्धारित करे। 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं की विशेष रूप से संतुष्टि हेतु 86वें संवैधानिक अधिनियम में अनुच्छेद-45 (राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धान्त) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है कि इसके अनुसार "राज्य अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा सुलभ करने का प्रयास करेगा।"

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अधिकतर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जाती थी। वर्ष 1970 के दशक में बाल विकास सेवा कार्यक्रमों का विस्तार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अन्य क्षेत्रों तक किया गया। 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति को स्वीकार किया गया और 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम (ICDS) एक योजना के रूप में लागू किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मानव संसाधन विकास की कार्यनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनुसमर्थन एवं कामकाजी महिलाओं को सहगामी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मुख्य नीति निर्देश इस प्रकार हैं :-

- * राष्ट्रीय बाल नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप से छोटे बच्चों के विकास पर पूंजी लगाने का प्रावधान किया गया है, विशेषकर जनसंख्या का वह भाग, जहाँ से प्रथम पीढ़ी विद्यालय में आ रही है।
- * सम्पूर्ण बाल विकास जैसे पोषण, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं भावनात्मक विकास के महत्व को पहचान कर शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) योजना को एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम (ICDS) के अन्तर्गत उचित एवं विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण में शिशु देखभाल केन्द्र (Day-care-centre) का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यह केन्द्र उन बालिकाओं को विद्यालय जाने में मदद करता है जिन्हें घर पर अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी पड़ती है एवं गरीब कामकाजी महिलाओं के बच्चों की भी देखभाल कर उन्हें सुविधा प्रदान करता है।
- * शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा के अन्तर्गत बाल केन्द्रित एवं खेल-आधारित रुचिपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित किये जाने चाहिए। शैशवकालीन में पढ़ना, लिखना और गणित (तीन R) सिखाने तथा औपचारिक पद्धतियों को हतोत्साहित किया जाए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।
- * प्राथमिक शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के सुदृढीकरण एवं प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बाल परिचर्या के लिए पूर्ण रूप से समेकित प्रयास करना होगा। शैशवकालीन अनुक्रम में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी सुदृढ करना होगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे बच्चों/शैशवकाल के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इस कार्य योजना के अनुसार—

- * शैशवावस्था में विकास पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए 'बच्चों के विकास' हेतु निजी निवेश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। देश के भविष्य के लिए, यह निवेश सबसे अधिक सामाजिक महत्व ही नहीं रखता है बल्कि यह प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास अपनी क्षमतानुसार कर सके।
- * राष्ट्रीय नीति और बच्चों का अधिकार पत्र (2002) की रूपरेखा के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बाल अधिकार की रूपरेखा के आधार पर कार्यक्रमों की पहुँच सुनिश्चित करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित मुख्य कार्य योजनाओं का प्रावधान है :-

- * बालकों एवं बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की वर्ष 1992 को दो कार्य योजनाओं के अनुसार, देश के प्रत्येक बच्चे को जीवन, सुरक्षा और विकास सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
- * राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS), स.शि.अ. (SSA) एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य, राष्ट्रीय टीकाकरण, पोषण एवं शिक्षा की सुविधाओं की पहुँच हेतु सफल क्रियान्वयन एवं विकास सुनिश्चित करना।
- * एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) को बच्चों एवं माताओं के सम्पूर्ण विकास के लिए मुख्य रूप से लागू करना, विशेषतः इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश में बालिकाओं के लिए प्रभावी ढंग से लागू करना।
- * शैशवावस्था से छः वर्ष तक बच्चों के विकास की नाजुक अवस्था के रूप में पहचान की गई है, गर्भावस्था से प्रथम तीन वर्ष तक की अवस्था अति नाजुक एवं विशेष होती है क्योंकि इसी दौरान व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास एवं जीवनपर्यन्त शिक्षा का आधार निर्धारित होता है।

संस्था आधारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त परिवार एवं समुदाय केन्द्रित कार्यक्रमों की प्रतिबद्धता हेतु पुष्टि की गई है, विशेष रूप से वे बच्चे जिनका जीवन, वृद्धि और विकास खतरे में है, इस योजनान्तर्गत किशोरियों एवं महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय संदर्भ में शैशवाकालीन शिक्षा (ECE)

महिला एवं बाल विकास विभाग (DWCD) द्वारा एकीकृत बाल-विकास सेवा योजना (ICDS) के अन्तर्गत शैशवकालीन शिक्षा योजना का संचालन सम्पूर्ण देश में वृहद स्तर पर किया जा रहा है। वर्ष,

1975 में देश के 33 ब्लॉकों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सम्पूर्ण विकास में आ रही बाधाओं के चक्र (कुपोषण, बीमारी, सीखने की क्षमता में कमी एवं मृत्यु दर) को तोड़ने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजनान्तर्गत स्वास्थ्य पोषण एवं बाल्यावस्था में शिक्षा एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों के अन्तर्गत भी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) सहयोग प्रदान कर रही है। इस योजना के अधीन शैशवकालीन स्वास्थ्य एवं अधिगम सुविधाएँ प्रदान कर पूर्व प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि, अधिगम एवं सामाजिक कौशलों के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है। बालिकाओं के पास अपने भाई-बहनों की देखभाल के अतिरिक्त भार को भी इस योजनान्तर्गत वहन कर उनकी प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

देश में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के अन्तर्गत वर्तमान में 50725 परियोजनाएँ एवं लगभग 620,000 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इस योजनान्तर्गत लगभग सम्पूर्ण देश के 3-6 वर्ष तक के लगभग 169,555,641 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शैशवकालीन, देखभाल और शिक्षा सुविधाएँ (ECCE) प्रदान करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) मुख्य परियोजना के रूप में कार्य करेगी।

दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (वर्ष 2002-2007) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना हेतु 121.46801 मिलियन रु. का प्रावधान है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैशवकालीन शिक्षा : (ECE under DPEP)

महिला एवं बाल विकास विभाग (DWCD) के एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) एवं महिला समाख्या परियोजनान्तर्गत कृत प्रयासों का शैशवकालीन शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) एक पूर्ण कार्यक्रम के रूप में परिलक्षित है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आधार के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जबकि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) पूर्व में ही इस क्षेत्र में वृहद स्तर पर कार्य कर रही है एवं सर्वव्यापी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

शैशवकालीन शिक्षा व्यवस्था हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वृहद कार्य योजना अपनाई गई। इस योजनान्तर्गत, कुछ चयनित आई.सी.डी.एस. केन्द्रों के साथ विभिन्न नवीन योजनाओं पर औपचारिक प्राथमिक विद्यालय के साथ समयानुकूल सामंजस्य स्थापित कर इन केन्द्रों का सुदृढीकरण किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय स्तर पर एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम प्रभावी रूप से कार्य कर सके। यद्यपि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कुछ चुनिंदा प्रयास किये गए और जिन क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. केन्द्र नहीं थे, वहाँ पर औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में ही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान किया गया एवं विद्यालय द्वारा शिक्षा पूर्व तैयारी हेतु अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई गई।

बाक्स 3.1 : समेकित बाल विकास योजना के मुख्य अवयव

पोषण

- संपूरक पोषण प्रदान करना।
- वृद्धि का मूल्यांकन एवं प्रोन्नतीकरण
- पोषण एवं स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

- प्रतिरक्षण
- स्वास्थ्य-परीक्षण
- अतिरिक्त-स्वास्थ्य-सेवाएँ
- छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज

शैशवकालीन शिक्षा एवं पूर्व-विद्यालयी शिक्षा

- 0-3 वर्ष के बच्चों की प्रारम्भिक देखभाल एवं अभिप्रेरण
- 3-6 वर्ष के बच्चों हेतु प्रारम्भिक अवस्था में सीखने की तैयारी हेतु कार्यक्रम


महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत अभी तक देश में सबसे अधिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा सेवा प्रदान की गई।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की निर्देशावली

वह ग्रामीण क्षेत्र जहाँ शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (ECCE) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थे, वहाँ पर डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत नवीन ई.सी.सी. केन्द्र स्थापित कर शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा के विस्तार हेतु वित्तीय अनुदान दिया गया।

वह राज्य जहाँ पर ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुभव की कमी थी, वहाँ प्रारम्भ में उपर्युक्त केन्द्र खोले जाने हेतु कम अनुदान दिया गया, जैसे जहाँ पर जिले में अन्तर्भिन्नताएं थीं वहाँ पर एक जिले में, विकास खण्ड में या एक राज्य के एक जिले में ई.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय अनुदान दिया गया। यह कार्य डी.पी.ई.पी. योजना में धीरे-धीरे प्रगति की ओर अग्रसर रहा। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत पोषण हेतु अनुदान नहीं दिया गया।

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु सामग्री विकास एवं कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत, आई.सी.डी.एस. आंगनबाड़ी/बालबाड़ी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया गया।



जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैशवकालीन शिक्षा (ECE) हेतु विभिन्न कार्य योजनाएं अपनाई गई, वे इस प्रकार हैं—

पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत समेकित रूप से विभिन्न कार्यनीतियाँ अपनाई गई। इसके अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. केन्द्रों के पूर्व प्राथमिक भाग का सुदृढीकरण एवं आई.सी.डी.एस. केन्द्र रहित क्षेत्रों में ई.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत अभी तक देश में सबसे अधिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा सेवा प्रदान की गई। डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत आई.सी.डी.एस. के साथ संयोजन कर ई.सी.सी.ई. सेवा की कार्यनीति अपनाई गई।

आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत, चयनित ब्लॉकों के 1000 की जनसंख्या वाले गाँवों में आंगनबाड़ी केन्द्र चलाये जाते हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन का प्रावधान है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का विस्तार देश के समस्त जिलों तक है, यह केन्द्र सभी डी.पी.ई.पी. योजना से आच्छादित जनपदों में कार्यरत है।

डी.पी.ई.पी. एवं आई.सी.डी.एस. केन्द्र संयुक्त रूप से निम्नांकित क्षेत्रों में समन्वय करेंगे—

- * विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में समन्वय स्थापित करना, जिससे वे बालिकाएं जो घर पर छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती हैं, वे अपने भाई बहनों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुँचाकर स्वयं विद्यालय जा सकें।
- * आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय आस-पास हों जिससे दोनों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित हों सकें।

- * पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करना।
- * आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन कर शैशवकालीन शिक्षा ई.सी.ई. केन्द्रों का क्षमता संवर्द्धन करना।
- * डी.पी.ई.पी. व्यवस्था के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. केन्द्रों एवं विद्यालयों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करना।

आई.सी.डी.एस. योजना के अनुसार ही डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत नवीन केन्द्र स्थापित किये गए हैं, यह केन्द्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में ई.सी.ई. केन्द्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य उन बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा व्यवस्था है जिनके भाई-बहन उनकी देखभाल के कारण विद्यालय नहीं जा पाते। इन केन्द्रों की स्थापना कार्य के अन्तर्गत गाँव में शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा सेवा की आवश्यकता को आंकते हुए, प्राथमिक विद्यालय के पास ई.सी.ई. केन्द्रों हेतु स्थान का चुनाव, ई.सी.ई. केन्द्रों हेतु कार्यकर्ताओं की भर्ती, पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं प्रशिक्षण पैकेज का विकास इत्यादि कार्य आते हैं।

अधिकतर राज्यों में यह कार्य राज्य संदर्भ समूह की सहायता से सम्पन्न किया जाता है। कतिपय राज्यों में इन केन्द्रों का प्रबन्धन कार्य स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ग्राम शिक्षा समिति एवं मातृ समूहों के सहयोग से किया जाता है। डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी./सी.आर.सी./समन्वयकों द्वारा इन केन्द्रों को समय-समय पर शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाता है। असम में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था हेतु प्राथमिक विद्यालयों में ही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से पूर्व बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने की योजना देश के समस्त राज्यों में लागू है। आई.सी.डी.एस. एवं डी.पी.ई.पी. मॉडल दोनों में ही कक्षा I के प्रारम्भ से या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक ई.सी.ई. सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। विद्यालय पूर्व तैयारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं शिक्षण कार्य ई.सी.ई. केन्द्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों में साथ-साथ चलाया गया।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में पूर्व प्राथमिक तैयारी हेतु पृथक-पृथक मॉडल/कार्य योजना अपनाई गई परन्तु सभी राज्यों की कार्यनीति एक सी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के चयनित क्षेत्र इस प्रकार है—

प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र/ई.सी.ई. केन्द्र के मध्य सह सम्बन्धों का सुदृढीकरण

इसके अन्तर्गत बच्चे को विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना/विद्यालय पूर्व तैयारी, ई.सी.ई. केन्द्रों से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की स्थिति का अनुश्रवण, गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना, ई.सी.ई. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था, आवश्यक बुनियादी ढांचे में वृद्धि, विद्यालय जाने वाले बच्चों के छोटे भाई-बहनों की देखभाल सम्बन्धी समस्या का निराकरण, ई.सी.ई. केन्द्रों के संचालन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना और प्रगति आंकलन/परिणाम तक पहुँचने के लिए ई.सी.ई. एवं प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण अति आवश्यक है।

बच्चों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के दायित्व से मुक्त रखने पर विद्यालय नामांकन पर प्रभाव

अधिकांश सामाजिक सर्वेक्षणों एवं लैंगिक शोध में यह परिलक्षित होता है कि मुख्य रूप से विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं पर अपने-अपने छोटे भाई-बहनों की परिचर्या का अतिरिक्त भार है, इसी कारण वह विद्यालय नहीं जा पाती हैं। इस आधार पर इस बात पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न कार्यनीतियाँ अपना कर बालिकाओं को विद्यालय पहुँचाने हेतु रणनीति तैयार कर क्रियान्वित की गई। इसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय एक ही परिधि में या एक दूसरे के नजदीक रखने का प्रयास किया गया ताकि बच्चे मुख्यतः बालिकाएँ अपने भाई-बहनों को ई.सी.ई./ए.डब्ल्यू.सी. में भेजकर स्वयं

प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से पूर्व बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने की योजना देश के समस्त राज्यों में लागू है। आई.सी.डी.एस. एवं डी.पी.ई.पी. मॉडल दोनों में ही कक्षा I के प्रारम्भ से या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक ई.सी.ई. सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है।

बाक्स 3.2 : बालवाड़ी : शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) हेतु नवाचारी पहुँच एवं उत्तरांचल राज्य में सामुदायिक सशक्तीकरण

उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा के अन्तर्गत संचालित बालबाड़ियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग, भारत सरकार का अनुसमर्थन प्राप्त है। इन बालबाड़ियों का उद्देश्य, उत्तरांचल के हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के आर्थिक रूप से पिछड़े सूदूर गांवों में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापरक शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करना था।

उत्तरांचल के 10 पर्वतीय जिलों से 29 सामुदायिक समूहों द्वारा शिक्षा एवं विकास के सामान्य दर्शन के अनुसार कार्य किया गया इसके अन्तर्गत इन समूहों द्वारा शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सामाजिक व्यवस्था एवं परिवेश के अनुसार एक स्थायी ग्रामीण समुदाय के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किया। वर्ष 1988 में यह कार्यक्रम दो गांवों में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह योजना 321 गांवों में प्रसारित हो चुकी है, इस कार्यक्रम से लगभग 7000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से बालिकाओं की संख्या अधिक है। इस कार्यक्रम से बच्चों का सीखने की प्रक्रिया से मात्र अभिमुखीकरण ही नहीं, अपितु बाल विकास एवं सामुदायिक शिक्षा मंच तक पहुँचना भी सुलभ हो गया है। उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम एवं प्रवेश-प्रक्रिया दोनों को ही केन्द्रीय रूप से लचीला बनाया जाए। जैसे ही बालिकाएँ 3 वर्ष की होती हैं वे शैशवकालीन शिक्षा केन्द्र में आना प्रारम्भ कर देती हैं। पांच-छः वर्ष की अवस्था में पहुँचने पर इन बालिकाओं का प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हो जाता है। विगत वर्षों में, पूर्व प्राथमिक केन्द्र वाले सभी गांवों में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की सम्प्राप्ति की गयी है। बालवाड़ी से आये बच्चों का स्वागत प्राथमिक शिक्षकों द्वारा किया जाता है क्योंकि ये बच्चे अधिक आत्मविश्वासी एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति करने (बोलने) वाले होते हैं। शिक्षिकाओं के रूप में कार्यरत अधिकांश बालिकाएँ, जो अब इन्टरमीडिएट या स्नातक हैं और वे आगे भी पढ़ना चाहती हैं। इस व्यवस्था के चलते, गांवों में बालिकाओं का विवाह देर में होने के चलन में अचानक वृद्धि हुई है। महिलाओं के 412 समूहों का नेटवर्क उत्तराखण्ड महिला परिषद् कहलाता है। इसके अन्तर्गत 12... ग्रामी. महिलाओं को तैयार कर बालवाड़ी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

पर्यावरणीय शिक्षा बालवाड़ी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसका उद्देश्य बच्चों में स्थानीय पर्यावरण के प्रति जानकारी एवं जागरूकता उत्पन्न करना है एवं इस जागरूकता का प्रयोग कौशल विकास एवं क्रियात्मक रूप में विकसित करने में मदद करता है। इन केन्द्रों में बच्चे गीत, कहानी-कविताओं, खेलों के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे फूलों एवं सब्जियों की क्याशियां स्वयं लगाते हैं एवं गांव में रास्तों, जल स्रोतों को साफ रखने के अभियान में अपना योगदान देते हैं।

प्रत्येक केन्द्र का स्वामित्व समुदाय के पास है एवं स्वामित्व की इसी भावना एवं प्रतिबद्धता के कारण बालवाड़ी के माध्यम से, शिक्षा एवं स्थायी विकास के कार्य को गति मिली है।

- बालवाड़ी केन्द्र हेतु समुदाय के द्वारा कमरा प्रदान किया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा भूमि दान में दी जाती है एवं बाल भवन निर्माण हेतु निःशुल्क श्रमदान दिया जाता है।
- महिला समूह के सदस्यों द्वारा केन्द्रों की देखरेख की जाती है। वे दीवारों पर एवं फर्श पर मिट्टी से पुताई करती हैं, कूड़े का गड्ढा बनाने में मदद करती हैं एवं केन्द्रों के पास अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाती है।
- प्रत्येक वर्ष, स्थानीय स्वयं सेवी संगठन, समुदाय एवं बालवाड़ी केन्द्रों द्वारा संयुक्त रूप से बाल-मैले का संचालन किया जाता है। बच्चे जो सीखते हैं वही प्रदर्शित करते हैं।

बालवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से समुदाय को शिक्षा की मजबूत कड़ी से जोड़ने के लिए ग्रामीणों एवं बच्चों को एक सुरक्षित अधिगम रूपरेखा प्रदान की जाती है। प्रत्येक गांव में, जहाँ बालवाड़ी केन्द्र कार्यरत है वहाँ महिलाओं के समूह बनाये गये हैं। महिला समूहों एवं स्थानीय सामुदायिक समूह द्वारा ग्राम स्तर पर अयोजित मासिक बैठक में कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा तदन (USNPSS) द्वारा आयोजित नियमित बैठकों में नवीन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं नियमित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

विद्यालय जा सकें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए शिशु शिक्षा केन्द्र/आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों का समय एक ही रखा गया।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विद्यालयी परिवेश से परिचित कराना एवं औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाना है, अधिकांश प्रदेशों में शिशु शिक्षा केन्द्र/प्राथमिक विद्यालय को एक ही परिधि में खोलने का प्रयास किया गया। उदाहरणतः उ.प्र. शासन से निर्देश निर्गत किया गया कि यदि सम्भव हो तो आंगनबाड़ी केन्द्र चलाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में स्थान दिया जाए।

यद्यपि इस निर्देश के क्रियान्वयन में वहाँ पर समस्या आ रही है, जहाँ पर बस्ती से दूर विद्यालय हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक केन्द्र में आ पाना मुश्किल होता है। यह केन्द्र केवल छोटे बच्चों को ही सुविधा प्रदान नहीं करते हैं बल्कि बड़े बच्चों को भी विद्यालय जाने में मदद करते हैं। क्योंकि उनके छोटे भाई-बहनों की देखभाल इन केन्द्रों पर हो जाती है।

प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश

राज्यों में, शिशु शिक्षा केन्द्रों से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की प्रगति का अनुश्रवण करने पर अनेक पहलू सामने आये। प्राथमिक विद्यालयों का शिशु शिक्षा केन्द्रों के साथ समन्वय की आवश्यकता मुख्य रूप से सामने आई। इन दानों में पाठ्यक्रम, बाल विज्ञान एवं विद्यालयी तैयारी की दृष्टि से समन्वय स्थापित कर पाना मुश्किल प्रतीत हुआ।

शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) हेतु समुदाय की सहभागिता

राज्यों में शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा योजनान्तर्गत समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करना एक पृथक व्यवस्था के अन्तर्गत है, उदाहरणतः बिहार में, डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत शिशु शिक्षा केन्द्र (ECE) माता समितियों द्वारा संचालित किये जाते हैं, यह समिति ई.सी.ई. कार्यकर्ताओं का चयन, केन्द्र खोलने के लिए स्थान का चुनाव, उपकरण एवं सामग्री के क्रय का कार्य करती है। शिशु शिक्षा केन्द्र के लिए माता समितियों द्वारा प्रभात फेरीयों (टार्च रेलियो), मेलों व बैठकों का आयोजन किया जाता है। आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के शिशु शिक्षा केन्द्र (ECE) के कार्यकर्ताओं के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण साहित्य का विकास किया गया।

महिला समाख्या के अन्तर्गत शैशवकालीन शिक्षा (ECE)

महिला समाख्या द्वारा विभिन्न राज्यों में शैशवकालीन शिक्षा कार्यक्रम को संघ की महिलाओं की आवश्यकतानुसार, गांवों में संचालित कराया गया। इस योजनान्तर्गत ई.सी.ई. केन्द्र संचालन हेतु अन्य कार्यक्रमों से पृथक प्रक्रिया अपनाई गई। गुजरात राज्य में महिला समाख्या के अन्तर्गत ई.सी.ई. हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई गई :-

संघ में महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए गांव में बाल परिचर्या की आवश्यकता उभर कर आई। प्रारम्भिक अवस्था में ग्रामीण आवश्यकतानुसार, संस्था की संरचना एवं कार्यपद्धति अपनाई गई। विभिन्न गतिविधियों के आधार पर गाँव की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई, जहाँ पर प्रतिभागियों द्वारा मॉडल सपोर्ट सिस्टम पर विचार-विमर्श किया गया।

गुजरात में महिला समाख्या द्वारा बाल्य परिचर्या के विभिन्न तरीकों/नमूनों का विकास किया गया, इसके अनुसार-

- बाल्य परिचर्या हेतु नेतृत्व एवं दायित्व मातृ संघों का है।
- समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर समय निर्धारण।
- बाल्य परिचर्या एवं शिक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में कार्यक्रमों का निर्धारण।
- बाल्य परिचर्या हेतु कार्यक्रमों का चुनाव समय एवं स्थान का चुनाव एवं वेतन निर्धारण करने हेतु मातृ संघ द्वारा मिलकर निर्णय लिये जाते हैं।

विभिन्न विकल्प उभर कर आये :

- स्व-वित्तपोषित बाल्य परिचर्या केन्द्र, दिवा-देखरेख एवं पूर्व विद्यालयी क्रियाओं सहित।
- समेकित-बाल-विकास-योजना (ICDS) के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिन में बच्चों की देखभाल की सुविधाएँ भी जोड़ दी गई हैं।
- केवल गांव की ग्रामीण (गरीब) जनसंख्या हेतु जहाँ केन्द्र की मांग अधिक थी वहाँ पर बाल्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना की गई।
- एक स्थान से अधिक जगहों पर बच्चों की देखभाल की व्यवस्था।

- * बच्चों के लिए एक ऐसे सुरक्षित स्थान का चुनाव करना जहाँ बच्चे आसानी से पहुँच सकें एवं बच्चों के खेलने के लिए खुला स्थान हो।
- * विभिन्न वय वर्ग के बच्चों जैसे शिशुओं, शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु बच्चे, यदि आवश्यकता है तो बड़े बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिचर्या एवं शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के मॉडल/तरीकों को प्रोत्साहित करना।
- * स्थानीय स्तर पर महिला समाख्या में संसाधनों की व्यवस्था हेतु समन्वय स्थापित करने का कार्य मातृ संघों द्वारा किया जाता है।
- * कच्चे माल की खरीद-फरोख्त में, भोजन को पकाने में एवं व्यय विवरण तैयार करने आदि कार्यों में संघ के सदस्य प्रतिभाग करते हैं।
- * खेल सामग्री के रूप में समुदाय में उपलब्ध वैकल्पिक स्थानीय संसाधनों को जैसे-ईधन, पानी, बिछावन, मटका, अनाज इत्यादि के लिए महिलाएं मिलकर आपसी विचार-विमर्श से व्यवस्था करती हैं। बाल सखी (बच्चों की देखभाल कार्यकर्त्री) के मानदेय हेतु समुदाय से (रुपया 05 या 10 प्रति बच्चा) रुपये एकत्र किये जाते हैं।

बाल्य परिचर्या प्रशिक्षण, वास्तविक रूप से बाहरी संदर्भ व्यक्तियों द्वारा कराया जाता है। महिला समाख्या द्वारा मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग एवं महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं के सहयोग से शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक कड़ी के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया। ग्रामीण इलाकों में बाल परिचर्या केन्द्रों की आवश्यकताओं एवं ग्रामीण समस्याओं एवं केन्द्र के संचालन एवं व्यवस्थापन में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रशिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत कैम्प, संकुल बैठक, कार्यशालाओं ग्रामीण संघ की बैठकें, क्षेत्रीय अन्वेषण इत्यादि किये गए।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैशवकालीन शिक्षा (ECE)

स.शि.अ. के अन्तर्गत मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत शैशवकालीन शिक्षा देने का प्रावधान है। यद्यपि स.शि.अ. में 'नवाचार' के अन्तर्गत, शैशवकालीन शिक्षा (ECE) को एक छोटे स्तर पर एक योजना के रूप में लिया गया है। प्रत्येक जिले के लिए 5 मिलियन रुपये का बजट आवंटित है। इस प्रकार की योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष में 1.5 मिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आई.सी.डी.एस. योजना के तहत केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर नवीन केन्द्र खोले जा सकते हैं या आई.सी.डी.एस. योजना के साथ इस कड़ी को सुदृढ़ किया जा सकता है।

जहाँ पर आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत ई.सी.ई. की सुविधा नहीं है वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना में "प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा" योजना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत समुदाय आधारित बाल्यकाल परिचर्या केन्द्र संचालित किये जाने का प्रावधान है।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 5,652 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, जिसके अन्तर्गत 4,533 ग्रामीण ब्लॉक में, 759 जनजाति ब्लॉक एवं 36 शहरी झुग्गी झोपड़ियों में परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। ग्रामीण एवं जनजाति आबादी वाले ब्लॉकों की संख्या इस समय 5,488 है जिसके मात्र 186 ब्लॉक ही परियोजना से आनाच्छादित हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनान्तर्गत, 4608 आई.सी.डी.एस. योजनाएं संचालित हो चुकी थी एवं यह विचार किया गया कि दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत, 1,044 परियोजनाएं संचालित हो जायेंगी। इसके साथ ही सम्पूर्ण देश में आई.सी.डी.एस. योजना लागू हो जायेंगी।

सारणी 3.1 : प्रारम्भिक शिशु देखरेख और शिक्षा के विभिन्न योजनाओं का आच्छादन 1996-97

कार्यक्रम	आवंटित केन्द्र	संचालित केन्द्र	लाभार्थी
आई.सी.डी.एस. परियोजना	5652	4608	3,15,00,000 (0-6 आयु वर्ग के बच्चों) 60,00,000 (गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं)

(2001 की जनगणना के अनुसार आयु वर्ग 0-6 में बच्चों की संख्या 15,78,63,145 थी, इसमें से लगभग 20 प्रतिशत बच्चे समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम से आच्छादित)

प्रारम्भिक शिक्षा का

सार्वभौमीकरण

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की प्रगति

भारतवर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा I से VIII तक की शिक्षा से है, इसके अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग तक के बच्चे आते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को पुनः दो स्तर में विभाजित किया गया है: प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा V तक की शिक्षा से है, इसके अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। कक्षा VI से कक्षा VIII तक की शिक्षा उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है, इसके अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा का यह सामान्य राष्ट्रीय परिदृश्य है जबकि कुछ प्रान्तों में कुछ संरचनात्मक भिन्नताएँ हैं; जैसे कुछ प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा कक्षा IV तक एवं कक्षा VII तक उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। भारतीय संविधान में हुए 86वें संशोधन के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिक का मूलभूत आधिकार बनाया गया है, यह संशोधन शिक्षा नीति के निर्धारण में दिशा-निर्देश का कार्य करेगा। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पिछले पांच वर्षों में किये गए प्रयासों के फलस्वरूप संस्थाओं की संख्या, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है (सारणी 4.1)। योजना वर्ष 1950-51 से 2000-01 तक, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पन्द्रह गुना वृद्धि हुई है। 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर की विविध योजनाओं एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत इस प्रक्रिया को पुनः प्रोत्साहित किया। एक दशक में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 1.51 प्रतिशत एवं 3.02 प्रतिशत है।

सारणी 4.1 : 1950 से शिक्षा में प्रगति

संकेतांक	1950-51	2000-01
प्राथमिक विद्यालय	2,10,000	6,38,738
उच्च प्राथमिक विद्यालय	13,600	2,06,269
प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक	5,38,000	18,96,791
उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक	86,000	13,26,652
प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	19.2 मिलियन	113.83 मिलियन
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	3 मिलियन	42.81 मिलियन

प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन, 1990 में 97 मिलियन से 2000-01 में 114 मिलियन की वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 से 2001 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में क्रमशः 34 मिलियन से 43 मिलियन तक की वृद्धि हुई है। इस अवधि में प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन दर में, बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक था।

वर्ष 2002-07 की अवधि में, दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत, देश में पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

शालात्याग/हास-अवरोध (Drop-out)

प्राथमिक कक्षाओं में हास-अवरोध की दर 64.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2000-01 से 40.7 प्रतिशत हो गई है, जैसा कि सारणी 4.5 में दर्शाया गया है, कक्षा I से VIII तक की हास-अवरोध दर वर्ष 1960-61

सारणी 4.5 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी दरें, 1960-61 से 2000-01

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1998-99*	1999-2000*	2000-01*
कक्षा I - V							
बालक	61.7	64.5	56.2	40.1	38.62	38.67	39.71
बालिका	70.9	70.9	62.5	46.0	41.22	42.28	41.90
कुल	64.9	67.0	58.7	42.6	39.74	40.25	40.67
कक्षा I - VIII							
बालक	75.0	74.6	68.0	59.1	54.4	51.96	50.33
बालिका	85.0	83.4	79.4	65.1	60.09	58.00	57.95
कुल	78.3	77.9	72.7	60.9	56.82	54.53	53.67

स्रोत : वही

* अनन्तिम

में 78.3 प्रतिशत से वर्ष 2000-01 में 53.7 प्रतिशत तक घटी है। अनेक सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों में बच्चों की संख्या के एक बड़े भाग की विभिन्न कक्षाओं में पुनरावृत्ति एक गम्भीर समस्या के रूप में परिलक्षित होती है। यद्यपि पिछले वर्षों में लगातार शालात्याग बच्चों की दर में कमी आई है परन्तु विकसित प्रदेशों एवं विकासशील प्रदेशों की भिन्नता का अन्तर अभी भी अस्पष्ट है। कक्षा I से V तक शालात्याग बच्चों की दर चण्डीगढ़ में (-)9.34 एवं मिजोरम में 60.50 हैं इसी प्रकार, कक्षा I से VIII तक हास-अवरोध दर केरल में -12.22 से, मेघालय में 77.35 प्रतिशत है।

स.शि.अ. के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु आवश्यकता एवं लक्ष्य
भारत जैसे विशाल एवं विविधता से परिपूर्ण क्षेत्रीय एवं सामाजिक व्यवस्था वाले देश के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना यद्यपि आश्चर्यजनक है परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस लक्ष्य की प्राप्ति को सुगम करने के कुछ आशातीत सूचक संकेत एवं सम्भावनाएँ उभर कर आई हैं। सम्पूर्ण देश में अभिभावकों एवं समुदाय की बढ़ती हुई शिक्षा की आवश्यकता इनमें से मुख्य है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व की पहचान करते हुए, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तैयार रणनीति पर कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकार, मूल अधिकार में परिवर्तित हो जाने के कारण, इस परिदृश्य में इसके प्रति प्रतिबद्धता और महत्वपूर्ण हो गई है। अपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारों को चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता संवर्धन कर भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये गए प्रयासों को समर्थन दे रही हैं।

वर्ष 2002-07 की अवधि में, दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत, देश में पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। डकार बैठक में निर्धारित लक्ष्यों एवं स.शि.अ. योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर, दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष 2007 में डकार लक्ष्य एवं स.शि.अ. के लक्ष्यों की साथ-साथ सम्प्राप्ति हो जानी चाहिए।

वर्ष 2007 तक के लक्ष्य

वर्ष 2007 तक, मुख्य रूप से निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :-

(i) सभी तक पहुँच सुनिश्चित करना

- सभी बच्चे (6-11 आयु वर्ग एवं 11-14 आयु वर्ग) प्राथमिक विद्यालयों तक एक कि०मी० के दायरे में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक तीन कि०मी० के दायरे तक या वैकल्पिक केन्द्रों तक पैदल दूरी तय कर पहुँच सकें।
- 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा केन्द्रों (ECCE) तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- विशेषकर अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आवश्यकता आधारित उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का प्रसार सुनिश्चित करना। प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होता चाहिए।
- सभी विद्यालयों का भवन, शौचालय, पेय जल, बिजली व्यवस्था, खेल का मैदान, श्यामपट्ट एवं अय बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षाकक्ष की व्यवस्था करना।

(ii) सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालयों या वैकल्पिक केन्द्रों में नामांकन सुनिश्चित करना, और
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें।

(iii) सभी बच्चों का उहराव सुनिश्चित करना

- वर्ष 2007 तक, प्राथमिक चक्र में शत प्रतिशत उहराव।
- वर्ष 2007 तक, कक्षा VI-VII तक, हास-अवरोध दर में 10 प्रतिशत की कमी लाना।

(iv) शत प्रतिशत सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना

- शिक्षा के समस्त आयामों में गुणवत्ता सवर्द्धन (विषयवस्तु एवं प्रक्रिया) जिससे प्रारम्भिक स्तर पर अधिगम उपलब्धियों विशेषकर साक्षरता, संख्या विषयक एवं जीवन कौशल में विकास सुनिश्चित करना।

(v) समान अवसर उपलब्ध कराना

- वर्ष 2007 तक सभी लैंगिक और सामाजिक असमानताओं के अन्तर को मिटाकर प्राथमिक कक्षाओं में शत प्रतिशत नामांकन, उहराव एवं अधिगम उपलब्धि सुनिश्चित करना। वर्ष 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर इन असमानताओं को 5 प्रतिशत से कम पर लाना।
- बालिकाओं, अनु०जा० जाति, अनु० जाति के बच्चों, कामकाजी बच्चों, विशेष आवश्यकता समूह के बच्चों, शहरी क्षेत्र के अपवंचित बच्चों, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों, प्रवासी बच्चे और कठिन पहुँच वाले बच्चों के लिए विशेष हस्तक्षेप एवं कार्यनीति सुनिश्चित करना।

वर्ष 2007 तक प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तावित करने के पूर्व स.शि.अ. की अवधि के प्रारम्भ में एवं अवधि के अन्तर्गत बच्चों की जनसंख्या के लक्ष्य के आधार पर यह आवश्यक है, कि 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के सभी स्कूल न जाने वाले बच्चों का अनुमान लगा लिया जाए। इसी अवधि में, कार्य योजना का यह भाग नामांकित कराए जाने वाले बच्चों की जनसंख्या के उस भाग का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा, जो विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं। नामांकन-आंगणन-प्रक्रिया हेतु वर्ष 1999-2000 को आधार वर्ष बनाया गया है। योजना अवधि में निर्धारित वय वर्ग के बच्चों की जनसंख्या के समकक्ष कम या अधिक उम्र के बच्चों को भी सम्मिलित करते हुए नामांकन हेतु आकलन करना चाहिए।

निर्धारित लक्ष्य के आंगणन पर पहुँचने के लिए, नामांकन का आधारभूत वर्ष 1999-2000 की रिपोर्ट

Selected Educational Statistics, 1999-2000, MHRD के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर

के नामांकन के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। वर्ष 2006-07 के नामांकन हेतु निर्धारित वय वर्ग (6-11 और 11-14), एवं समकक्ष वय वर्ग की जनसंख्या का आंगणन करने हेतु शैक्षिक सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1993-94 (Selected Educational statistics, MHRD] 1993-94) और छटा अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण 1993, एन0सी0ई0आर0टी0 की रिपोर्ट में नामांकन से सम्बन्धित आंकड़ों के अन्तर को, नामांकन आधार वर्ष (1999-2000) से प्राप्त आंकड़ों में समायोजित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में, प्राथमिक स्तर पर 10 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 14 प्रतिशत की कमी दर्शायी गई है। योजना वर्ष के अन्तर्गत निर्धारित एवं समकक्ष वय वर्ग के नामांकन हेतु बच्चों की संख्या को योजना वर्ष में नामांकन लक्ष्य के रूप में माना गया है। इसी प्रकार, योजना वर्ष में कुल जनसंख्या का (6-11 एवं 11-14 वय वर्ग) के बच्चों की

जनसंख्या के भाग को नामांकन हेतु आंकड़ों के आंगणन का आधार बनाया गया है। (as estimated by The Expert Committee on Population Projections) वर्ष 1991-2001 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर योजना वर्ष हेतु लक्ष्य निर्धारण लाभकारी रहा, इसके लिए अब जनसंख्या सांख्यिकी उपलब्ध है।

सारणी 4.6 के अनुसार औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1991-2001 से योजना अविधि वर्ष तक वर्ष 2006-07 के आधार पर जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर का आंगणन दर्शाया गया है। वर्ष 2006-07 में कुल जनसंख्या में बच्चों की जनसंख्या (6-11 वर्ष) के आंगणन के अनुसार, बालकों का प्रतिशत 9.71, बालिकाओं का 9.83 प्रतिशत और कुल जनसंख्या का 9.77 प्रतिशत है (Expert Group on Population Projections, Registrar General of India, 1996) इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग की जनसंख्या आंगणन के अनुसार बालकों का प्रतिशत 5.90 प्रतिशत, बालिकाओं का 5.97 प्रतिशत एवं कुल जनसंख्या का प्रतिशत 5.93 है। (Expert Group on Population Projections, Registrar General of India, 1996 / जनसंख्या आंगणन विशेषज्ञ समूह, रजिस्ट्रार जनरल भारत 1996)। इस रूपरेखा के अनुसार 6-11 और 11-14 आयु वर्ग की जनसंख्या का आंगणन, जनसंख्या आंगणन विशेषज्ञ समूह के आंकड़ों से कुल जनसंख्या (1991 की

सारणी 4.6 : वर्ष 2006 से 2010 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
1991 (वास्तविक)	439,231,000	407,072,000	846,303,000
2001 (वास्तविक)*	531,277,078	495,738,169	1,027,015,247
2006	584,298,977	547,070,028	1,131,369,005
2007	595,522,172	557,957,391	1,153,479,563
2008	606,960,942	569,061,426	1,176,022,368
2009	618,619,427	580,386,444	1,199,005,871
2010	630,501,848	591,936,845	1,222,438,693
औसत वार्षिक वृद्धि दर (1991-00)	1.92	1.99	1.95

*अन्तिम जनसंख्या परिणाम, भारत की जनसंख्या 2001, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली, मार्च 2001

सारणी 4.7 : वर्ष 2006 तथा 2010 में वय वर्ग 6-11 एवं 11-14 की प्रक्षेपित जनसंख्या

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
2006 (कुल जनसंख्या)	584.3	547.1	1131.4
6-11 वय वर्ग की जनसंख्या (2006 में)	56.71	53.88	110.59
11-14 वय वर्ग की जनसंख्या (2010 में)	34.48	32.66	67.14

(मिलियन में)

जनसंख्या एवं वर्ष 2001 में महानिबन्धक भारत द्वारा जारी अन्तरिम जनसंख्या आंगणन/परिणाम के अनुसार) के आधार पर किया गया है। (देखें सारणी 4.7)

वर्ष 1999-2000 में समायोजित नामांकन को आधारभूत नामांकन के रूप में लिया गया है वर्ष 2006-07 तक 6-11 वय वर्ग की जनसंख्या को ऊपर दिये गए आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर नामांकित कराने हेतु लक्ष्य रखा गया है। इन आंकड़ों में 6-11 वय वर्ग से कम या अधिक आयु के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए आंकड़ों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने की गुंजाइश रखी गयी है। वर्ष 1993-94 में प्राथमिक स्तर पर निर्धारित वय वर्ग से कम एवं अधिक आयु वाले बच्चों की संख्या लगभग 24 प्रतिशत थी। 52वां राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार वर्ष 1995-96 में निर्धारित वय वर्ग से कम या अधिक आयु वाले नामांकन योग्य बच्चों का प्रतिशत लगभग 19 था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है, कि 6-11 वय वर्ग से कम या अधिक आयु वाले बच्चों की कुल नामांकन संख्या में लगातार कमी आ रही है। यद्यपि, वर्ष 2006-07 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा है। प्राथमिक स्तर के लिए

सारणी 4.8 : वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर का प्रक्षेपित नामांकन
(मिलियन में)

वर्ष	नामांकन (कक्षा 1-5)			नामांकन (कक्षा 6-8)		
	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल
1999-2000	57.69	44.56	102.25	22.57	15.29	37.86
2000-01	58.34	46.41	104.75	23.61	16.52	40.13
2001-02	58.99	48.34	107.33	24.71	17.84	42.55
2002-03	59.66	50.35	110.01	25.85	19.28	45.13
2003-04	60.33	52.45	112.78	27.04	20.82	47.86
2004-05	61.00	54.63	115.63	28.29	22.49	50.78
2005-06	61.69	56.9	118.59	29.6	24.3	53.9
2006-07	62.38	59.27	121.65	30.97	26.25	57.22
औसत वार्षिक वृद्धि दर (1999-2000 to 2006-07)	1.12	4.16	2.51	4.62	8.03	6.08

टिप्पणी : * चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, 1998-99 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार अनन्तिम।

निर्धारित आयुसीमा से कम या अधिक आयु के बच्चों हेतु लक्ष्य 2006-07 तक 10 प्रतिशत की गुंजाइश रखना काफी हद तक उचित है।

तदनुसार, प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वार्षिक वृद्धि दर बालकों के लिए 1.12 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 4.16 प्रतिशत (कुल मिलाकर 2.51 प्रतिशत) और उच्च प्राथमिक स्तर पर, बालकों की नामांकन दर में वृद्धि 4.62 प्रतिशत एवं बालिकाओं की 8.03 प्रतिशत (उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 6.08 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) होनी चाहिए।

पांच वर्ष की अवधि में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्षवार अतिरिक्त नामांकन आकलन (सारणी 4.9 के अनुसार) किया गया।

सारणी 4.9 : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का वर्षवार अनुमानित अतिरिक्त नामांकन

वर्ष	अतिरिक्त नामांकन					
	प्राथमिक (कक्षा I-V)			उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII)		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
2002-03	0.67	2.01	2.68	1.14	1.44	2.58
2003-04	0.67	2.10	2.77	1.19	1.54	2.73
2004-05	0.67	2.18	2.85	1.25	1.67	2.92
2005-06	0.69	2.27	2.96	1.31	1.81	3.12
2006-07	0.69	2.37	3.06	1.37	1.95	3.32
योग (2002-2007)	3.39	10.93	14.32	6.26	8.41	14.67

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्यों की सम्प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएँ

सर्व शिक्षा अभियान

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, देश में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के लक्ष्य को प्राप्त करना है। स.शि.अ. का उद्देश्य वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में नामित कराना, वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की गुणवत्तापरक प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण

इस योजनान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करने हेतु समुदाय द्वारा विद्यालयी व्यवस्था के स्वामित्व पर बल दिया गया है। स.शि.अ. के अन्तर्गत योजना तैयार करने, योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समुदाय की मुख्य/महत्वपूर्ण भूमिका है।

कराना एवं वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

- * वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, स्कूल वापिस चले शिविर में लाना।
- * वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा पांच वर्ष की प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करना।
- * वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- * जीवन के लिए शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संतोषजनक गुणवत्ता आधारित प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष बल।
- * वर्ष 2007 तक, लिंग एवं सामाजिक भेदभाव रहित प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को लिंग एवं सामाजिक भेदभाव रहित प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- * वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव

इस योजनान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करने हेतु समुदाय द्वारा विद्यालयी व्यवस्था के स्वामित्व पर बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना तैयार करने, योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समुदाय की मुख्य/महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावशाली विकेंद्रित प्रणाली द्वारा विद्यालय आधारित क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी को इस योजना में विशेष स्थान दिया गया है। इस कार्यक्रम में, निवास स्थान/आवासीय स्तर की योजना को योजना इकाई के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है, इन सभी योजनाओं को समेकित रूप से मिलाकर जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का रूप दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई गई है :

- * **संस्थागत सुधार :** स.शि.अ. के अन्तर्गत, शैक्षिक सुविधाओं की वितरण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्यों द्वारा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन कर जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा जैसे शैक्षिक प्रशासन और प्रारम्भिक शिक्षा की वितरण प्रक्रिया (प्रदान करने की प्रक्रिया) में बदलाव लाकर व्यवस्था में सुधार करना।
- * **सामुदायिक स्वामित्व :** प्रभावशाली विकेंद्रित प्रणाली द्वारा, विद्यालयी क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी से कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। महिला समूह की भागीदारी, ग्रामीण शिक्षा समिति (VEC) के सदस्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों (PRIS) की भागीदारी से इस प्रक्रिया का विस्तार किया जाएगा।
- * **संस्थागत क्षमता विकास :** स.शि.अ. योजनान्तर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे नीपा/एन.सी.ई.आर.टी./एन.सी.टी.ई./एस.सी.ई.आर.टी./सीमेट/डायट आदि के क्षमता संवर्धन को मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है।
- * **समुदाय आधारित अनुश्रवण में पूर्ण पारदर्शिता :** इस योजनान्तर्गत समुदाय आधारित अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना व्यवस्था (EMIS) के अन्तर्गत सूक्ष्म-योजनाओं एवं सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय-आधारित सूचनाओं के साथ विद्यालय स्तरीय आंकड़ों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यालय को समुदाय के साथ सूचनाएँ विशेषकर प्राप्त बजट की सूचना बाँटने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- * **योजना इकाई के रूप में निवास-स्थान (हैबीटेशन) :** सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत निवास स्थान को इकाई के रूप में मानकर समुदाय-आधारित योजना पर कार्य किया जाएगा। जिला योजना का आधार निवास आधारित योजनाओं को बनाया गया है।
- * **समुदाय का उत्तरदायित्व :** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों, अभिभावकों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के मध्य सहयोग पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। साथ ही समुदाय के उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को भी महत्व दिया गया है।
- * **बालिका शिक्षा और अन्य अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता :** स.शि.अ. के अन्तर्गत बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके साथ अनु.जा./अनु.जन-जा./अल्पसंख्यक समुदाय, शहरी क्षेत्र के अपवंचित बच्चे, विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों की शैक्षिक प्रक्रिया में समेकित रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

- * **परियोजना पूर्व चरण** : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक विशेष पूर्व-योजना चरण का प्रावधान रखा गया, इस चरण में योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु क्षमता विकास के लिए अनेक प्रयास सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वेक्षण, समुदाय आधारित सूक्ष्म योजनाएं एवं विद्यालय मापन, सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण, विद्यालयी गतिविधियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी को स्थापित करने हेतु अनुसमर्थन, कार्यालय उपकरण, उपचारात्मक शोध इत्यादि का प्रावधान है।
- * **गुणवत्ता पर विशेष बल** : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास, बाल-आधारित गतिविधियाँ और प्रभावी शिक्षण-आधारित कार्य योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। गुणवत्ता संवर्द्धन में शिक्षकों की मुख्य भूमिका है।

बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं (EAP)

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में चार बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं चल रही हैं—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), शिक्षाकर्मी परियोजना (SKP), लोक जुम्बिश परियोजना (LJP) और भारत सरकार-यूनाइटेड नेशन (GOI-UN) जनशाला कार्यक्रम इत्यादि। ये परियोजनाएं सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना के अन्तर्गत अपनी अवधि के पूरा होने तक कार्य करेंगी। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना से आच्छादित जनपदों में अपनी अवधि के समाप्त होने पर इन जनपदों में ये योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान में स्थानान्तरित हो जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अधिकतर परियोजनाओं को कार्यक्रम, निर्माण एवं क्रियान्वयन आदि में सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के तहत व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्तर पर तकनीकी एवं क्षमता संवर्द्धन संबंधी अनुसमर्थन प्रदान किया जाता है। इसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी संचालन हेतु मिलेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अपनाई गई कार्ययोजनाएँ

देश में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का तीन-चौथाई भाग बालिकाओं का है, इन बालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत अधिक है इसलिए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, इन कार्यक्रमों की कार्य योजना में प्रमुख है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु बालिकाओं एवं अनु0जा0/अनु0जन जाति के बच्चों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस किया गया इस प्रकार अन्य प्रकरणों का भी समाधान साथ-साथ हो जायेगा। साथ ही, कामकाजी बच्चों, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों, शहरी क्षेत्र के अपवंचित बच्चों (UDC), शरणार्थी परिवारों के बच्चों, गरीब परिवारों के बच्चों, अक्षम बच्चों, कठिन पहुँच वाले समूह के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार किये गए प्रयासों का नवीनीकरण किया जाएगा। इन श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकतर बच्चे बालिकाएँ एवं अनु0 जाति एवं अनु0जन जाति के हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जबकि बालिकाओं एवं शहरी क्षेत्र के अपवंचित बच्चों के लिए अलग-अलग योजनाएँ हैं, अन्य भागों के लिए योजनाएँ इस प्रकार हैं :-

ठहराव में वृद्धि हेतु कार्य योजना

यद्यपि प्रारम्भिक स्तर पर ह्रास अवरोध दर में वर्ष 1960-61 में 78.3 प्रतिशत से वर्ष 1999-2000 में 54.5 प्रतिशत तक कमी आई है, फिर भी ह्रास अवरोध दर अधिक है। अधिकांश सर्वेक्षणों के अनुसार, बच्चों के विद्यालय छोड़ने का कारण आर्थिक और आक्रषण रहित विद्यालय हैं। गरीबी, शिक्षा की निजी लागत अधिक होने के कारण, छोटे भाई-बहनों की परिचर्या की जिम्मेदारी, गृहकार्यों में बच्चों की भागीदारी, खेल एवं कारखानों में कार्य करना, वेतनभोगी मजदूर, पारिवारिक व्यवसाय में कार्य इत्यादि के कारण अधिकांश बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ हैं।

विद्यालय से सम्बन्धित कारण जैसे- शिक्षकों का दृष्टिकोण, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, निम्न स्तरीय शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षकों की अनुपस्थिति, अरुचिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, शारीरिक दण्ड, अपर्याप्त विद्यालयी संरचना, अधिगम प्रक्रिया की गति के साथ चलने में असमर्थ, शिक्षक, अधिगम की प्रथम पीढ़ी के संदर्भ में

अभिभावकों द्वारा सहयोग की कमी, विद्यालय में सामंजस्य स्थापित न कर पाना इत्यादि बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण हैं। सभी वर्गों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों, में अधिकांशतः बालिकाएँ हैं।

वर्ष 1998-99 के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण II के अनुसार, विद्यालय में नामांकन के उपरान्त, बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारण जैसे- पढ़ाई में रुचि न होना, शिक्षा की निजी लागत अधिक होना, और कार्य करने की बाध्यता एवं गरीबी हैं। लगभग 75 प्रतिशत बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने के ये प्रमुख कारण हैं। बेसिक शिक्षा पर प्राथमिक रिपोर्ट (PROBE) में बच्चों के विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों में, विद्यालयी शिक्षा की अधिक लागत, अन्य कार्यों हेतु बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाई में रुचि न

सारणी 4.10 : बच्चों का विद्यालय न आने के कारण (6-17 वय वर्ग के शालात्यागी/ विद्यालय के बाहर के बच्चों का प्रतिशत)

वर्तमान में विद्यालय न जाने के मुख्य कारण (शालात्यागी विद्यालय से बाहर)	नगरीय		ग्रामीण		कुल	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अधिक दूरी पर विद्यालय परिवहन का अभाव	0.2	1.0	1.0	5.9	0.8	4.8
आगे की शिक्षा की आवश्यकता	0.1	0.2	0.4	1.6	0.3	1.3
महसूस न करना	2.4	5.4	2.3	4.3	2.4	4.5
गृहस्थी के कार्य हेतु	5.7	14.7	8.7	17.3	8.0	16.7
फार्म या पारिवारिक व्यवसाय के कार्य हेतु	4.7	1.6	9.2	2.9	8.0	2.6
पैसा कमाने के लिए बाहर काम करना	11.3	3.0	9.9	3.7	10.3	3.5
अधिक लागत	15.2	17.0	13.3	11.4	13.8	12.6
लड़कियों को पर्याप्त विद्यालयी सुविधा का न होना	0.0	1.2	0.0	3.5	0.0	3.0
छोटे माई-बहनों की देखभाल हेतु	0.2	1.5	0.6	2.3	0.5	2.2
अध्ययन में अरुचि	42.5	30.2	40.0	24.8	40.6	26.0
बार-बार असफल होना	6.0	6.1	5.3	3.7	5.5	4.2
विवाह हो जाना	0.1	4.9	0.2	8.5	0.2	7.7
अन्य	5.8	8.2	5.3	6.2	5.5	6.6
नहीं जानते	5.7	5.1	3.8	4.0	4.2	4.2
कुल प्रतिशत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
बच्चों की संख्या	1,852	1,747	5,475	6,121	7,327	7,868

स्रोत : एन.एफ.एच.एस-2, भारत, 1998-99

सारणी 4.11 : बच्चे शालात्यागी क्यों

	बालक (%)	बालिका (%)
(क) बच्चे की शालात्यागी परिस्थितियाँ		
विद्यालय/अध्यापकों द्वारा शिक्षा जारी रखने की अनुमति प्रदान न करना।	5	2
बच्चों का स्वयं जारी रखने की अनिच्छा	35	16
अभिभावकों द्वारा प्रत्याहरण	47	66
अन्य परिस्थितियाँ	13	16
कुल	100	100
(ख) अभिभावकों द्वारा प्रत्याहरण की परिस्थितियाँ		
बच्चे की अन्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यकता	50	68
विद्यालय अधिक खर्चीला है	54	29
विद्यालय बहुत दूर है	0	6
विद्यालय में शिक्षण का खराब स्तर	8	18
विद्यालय का प्रतिकूल वातावरण	4	6
बच्चे की बीमारी	4	9
बच्चे का अधिक योग्य न होना	0	6
बच्चों की पढ़ाई में अरुचि	8	6
अभिभावकों को अरुचि	8	27
अन्य कारण	8	22

स्रोत : पी.आर.ओ.वी.ई. सर्वेक्षण

रखने वाले बच्चे, खराब शिक्षण स्तर इत्यादि को इंगित किया गया है। विशेष कार्य योजनाओं के द्वारा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को पहचानकर उनकी समस्याओं का समाधान कर उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

ठहराव कम होने के आर्थिक कारणों को विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, शिक्षा की निजी लागत को कम करने के अत्यधिक प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत बालिकाओं एवं अनु.जा. एवं अनु.जन जाति के बच्चों को निःशुल्क परिधान/वर्दी दी जा रही है। इस योजना ने अन्य प्रदेशों को भी प्रोत्साहित किया है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मध्याह्न-भोजन-योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए पका हुआ गर्म भोजन विद्यालय में उपलब्ध करना है। बच्चों को केवल अनाज देने की तुलना में पका हुआ गर्म भोजन देने से इसका सीधा असर बच्चों की उपस्थिति पर पड़ेगा। यदि बच्चे आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विद्यालय छोड़ रहे हैं तो समुदाय की भागीदारी से अभिभावकों को प्रोत्साहित कर उन्हें विद्यालय वापिस लाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। जो बच्चे पूर्व में ही विद्यालय छोड़ चुके हैं उनके लिए समुचित वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है। जैसे-सेतु पाठ्यक्रम, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, विद्यालय वापिस-चलो शिविर इत्यादि। इस प्रकार इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

किन्हीं कारणों से, वे विद्यार्थी जो पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए अध्यापन कला में सुधार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुरुचिपूर्ण बनाना, बाल आधारित एवं क्रिया आधारित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण में इन: सुधार लाने, स्थानीय शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि, स्थानीय आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें, मातृ-भाषा में निर्देश, गुणवत्तापरक विद्यालय संरचना एवं सुविधाएँ, अकूल मूल्यांकन विधा इत्यादि।

अन्य कार्य योजनाएं एवं क्रियाकलाप के तरीके इस प्रकार हैं :-

- * ग्राम शिक्षा समिति और समुदाय, शिक्षक अभिभावक संघ (PIA) मातृ-शिक्षक संघ (MTA) मातृ समूह, रवा संघ इत्यादि के द्वारा उपस्थिति का अनुश्रवण।
- * राज्यों द्वारा सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया अपनाकर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या एवं कारण का पता लगया जाए। सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में समुदाय एवं ग्राम शिक्षा समिति की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यह बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में अभिभावकों को उत्प्रेरित करेगी।
- * विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की तलाश कर, उनको सेतु पाठ्यक्रम एवं कैम्प के माध्यम से विद्यालय में वापिस ले जाना एवं अनुश्रवण करना।
- * विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना। यह अभियान एक बार की प्रक्रिया न होकर इसके अन्तर्गत लगातार आवश्यकतानुसार विभिन्न अन्तराल में सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करना।
- * अधिकांश विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति का अनुश्रवण कर, उन स्थानों की पहचान कर विभिन्न कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- * विद्यालय पूर्व शिक्षा सुविधाएँ और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा की पहुँच में सुधार करना—यह बड़े बच्चों को विशेषकर बालिकाओं को छोटे भाई-बहनों की परिचर्या के अतिरिक्त भार से मुक्त कर, बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करना।
- * विद्यालय संरचना एवं विद्यालयी सुविधाओं में सुधार लाना जैसे- खेल का मैदान, खेल का सामान, शौचालय, पेय जल की व्यवस्था, कक्षाएँ एवं विद्यालय भवन इत्यादि की सुविधा में सुधार।
- * जो बच्चे ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था कराना।

किन्हीं कारणों से, वे विद्यार्थी जो पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए अध्यापन कला में सुधार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुरुचिपूर्ण बनाना, बाल आधारित एवं क्रिया आधारित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया गया।

शिक्षा

बाक्स 4.1 : तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना

तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारम्भ पूर्व में ही वर्ष 1925-26 में मद्रास निगम द्वारा विद्यालयों में उपस्थिति में सुधार करने के लिए अनुग्रह के रूप में किया गया था। साथ ही, परोपकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा राज्य के सभी गांवों एवं शहरों में निःशुल्क विद्यालयी मध्याह्न भोजन केन्द्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता महसूस की गई। जुलाई 1956 में, विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एक "जन अभियान" के रूप में लागू किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय सुधार के प्रयासों के अन्तर्गत एवं सुव्यवस्थित सहयोगात्मक व्यवस्था से संचालित किया गया। जनता की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर, तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 1997 में विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना प्रारम्भ की गई एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत नियमावली जारी की। वर्ष 1961 में, राज्य द्वारा इस योजना हेतु कैरर नामक संस्था (CARE: Cooperative for American Relief Everywhere) से 500,000 बच्चों को भोजन कराने हेतु अनाज प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। वर्ष 1978 में 32000 विद्यालयों के 1.86 मिलियन बच्चे इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हो चुके हैं, एवं वर्ष 1980-81 में 33,306 विद्यालयों के 2.03 मिलियन बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं।

कक्षा 01 से 10 तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए पोषक-भोजन कार्यक्रम वर्ष 1982 में लागू किया गया, यह राज्य सरकार का इस क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। विद्यालय में स्थित पोषक-भोजन केन्द्र के द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया तथा वे सभी बच्चे जो विद्यालय में नामांकित होना चाहते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। वर्ष 2001-02 की अवधि में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत 5.08 मिलियन बच्चे नामांकित किये गए।

गरीबों की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं का योगदान

विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, सामाजिक असमानताओं के अतिरिक्त अनेक आर्थिक कारण भी अधिकांश बच्चों विशेषकर अनु0जा0/अनु0जन0जा0 की बालिकाओं की विद्यालय में भागीदारी पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इन बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराने के लिए पिछले कुछ दशकों में समय-समय पर अनेक प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया। विस्तृत रूप में, ये प्रोत्साहन योजनाएं विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, निःशुल्क वर्दी, छात्रवृत्ति/मानदेय आदि के रूप में थी।

मध्याह्न भोजन योजना

- * गुजरात, केरल, तमिलनाडु में इस कार्यक्रम के लाभदायक परिणामों को दृष्टिगत करते हुए एवं सार्वजनिक निकायों द्वारा, अनाज संग्रह करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 में केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना को चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया, इस योजना का विस्तार पूरे देश में वर्ष 1997-98 तक करने का प्रयास किया गया।
- * इस कार्यक्रम का उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु नामांकन वृद्धि, उपस्थिति एवं ठहराव और साथ ही सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय एवं सरकारी अनुदानित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालकर, विशेष

योगदान देना था। हाल ही में, इस कार्यक्रम का विस्तार, शिक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत पढ़ने वाले बच्चों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तक कर दिया गया है।

- * इस योजनान्तर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की योजना क्रियान्वयन इकाइयों को निःशुल्क अनाज (चावल/गेहूँ या दोनों) उपलब्ध कराया जाता है एवं दुलाई लागत के भुगतान को भी समायोजित किया जाता है। योजना क्रियान्वयन इकाइयों को भोजन पकाने पर आने वाले व्यय को स्वयं वहन किये जाने का प्रावधान है। हाल ही में, ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत विद्यालयों में रसोई घर का निर्माण कराने का केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।
- * हाल ही में, 0.8 मिलियन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 103 मिलियन बच्चों को सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य है। इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 3 मिलियन टन अनाज स्वीकृत किया गया है जबकि एक तिहाई बच्चों के लिए पका हुआ भोजन परोसा जा रहा है, प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिमाह तीन किलोग्राम अनाज बाँटने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य, कक्षा V तक के सभी बच्चों को पका हुआ भोजन परोसना है।
- * इस योजना का मूल्यांकन करने से यह ज्ञात होता है, कि इस योजना से कई राज्यों में, अधिकतर अपवंचित वर्ग के बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके प्रभाव से नामांकन एवं उपस्थिति में भी सुधार हुआ है।
- * अनेक अध्ययनों में दर्शाया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना को केवल कक्षा में बच्चों की जागरुकता एवं नियमित उपस्थिति में ही वृद्धि से ही नहीं जोड़ा जा सकता है बल्कि अभिभावकों में

बच्चों को विद्यालय भेजने की रुचि में भी वृद्धि हुई है। साथ ही पका हुआ भोजन बच्चों को विद्यालय में ही परोसने से अभिभावकों की विद्यालय में सहभागिता में भी वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की बालिकाओं एवं बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना

- शैक्षिक प्रक्रिया में अपवंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य रूप से पठन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बिना किताबों के कक्षाओं में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है और विद्यार्थियों को रटकर, सस्वर पाठ एवं श्यामपट्ट से नकल करके पढ़ना पड़ता है। अपवंचित वर्ग के अभिभावक पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री क्रय करने में असमर्थ होते हैं। इन अभिभावकों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, इनके बच्चों के लिए कई राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था वर्ष 1960 से ही की जा चुकी है।
- राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत कक्षा I-VIII तक की बालिकाओं एवं अनु.जा./अनु.जन.जाति का जो वर्ग लाभान्वित नहीं होता है उनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- हाल ही में, कक्षा I-VIII तक लगभग 158 मिलियन बच्चे विद्यालयों में नामांकित हुए हैं जिनमें लगभग 95 मिलियन बालिकाएं और 32.27 मिलियन बच्चे अनु.जा. और अनु.जन.जा. समुदाय के हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष, प्रति बच्चा 150 रुपये की व्यवस्था, इन बच्चों के लिए पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की शिक्षा

समस्त पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। कई राज्यों में, इन समुदायों के बच्चों की विद्यालय में भागीदारी एवं नामांकन में संतोषजनक प्रगति हुई है। जबकि आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के कई भागों में समानता का उद्देश्य अभी भी भ्रामक है। अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. की जनसंख्या के समस्त आयाम एक समान नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस समुदाय के लक्ष्य वर्ग की अच्छी तरह से पहचान कर, विशेषकर उप-समूहों की पहचान करना जो गंभीर रूप से अपवंचित है एवं उन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, सूक्ष्म-नियोजन-क्रियाओं के माध्यम से इन समूहों की पहचान की जायेगी। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। इसके अलावा निम्नांकित हस्तक्षेपकारी उपाय आवश्यक होंगे :

- अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. के विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी/पोशाक, लेखन सामग्री, छात्रवृत्ति और यात्रा व्यय 250 रुपये प्रति बच्चा, प्रति वर्ष अप्रत्यक्ष लागत एवं शिक्षा की अवसर लागत के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनु.जा./अनु.जन.जा. के बच्चों को पाठ्यपुस्तकों हेतु प्रति बच्चा 150 रुपये देने की व्यवस्था है। जबकि वर्तमान में अधिकांश राज्य सरकारें, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दी बालिकाओं एवं अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. के बच्चों को प्रदान कर रही हैं।
- विद्यालयी सुविधाओं की पहुँच में समुचित सुधार लाकर, शिक्षा व्यवस्था को ऐसे लोगों के निवास स्थानों तक पहुँचाना जहाँ पर कभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई जैसे मुख्यतः मुश्किल पहुँच वाले क्षेत्र एवं जंगलों में रह रहे अनु.जन.जा. के लोग।
- शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने एवं संख्यात्मक आधार में सुधार लाने के लिए जिस प्रकार पूर्व में प्रयास किये गए हैं इन प्रयासों के अतिरिक्त अनु.जा./अनु.जन.जा. और समानता सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष बल होना चाहिए।
- अनु.जा./अनु.जन.जा. के सामुदायिक व्यवस्थाओं के श्रम से जुड़ाव के अतिरिक्त उनका ध्यान अपने समुदायों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ना।
- अनु.जा./अनु.जन.जा. के सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षक माध्यमिक संघ की अत्यधिक भागीदारी, अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. समुदायों द्वारा विद्यालय प्रबंध को अपनी मिल्कियत/अपना

समस्त पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। कई राज्यों में, इन समुदायों के बच्चों की विद्यालय में भागीदारी एवं नामांकन में संतोषजनक प्रगति हुई है।

शिक्षा

समझने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- * अनु.जा./अनु.जन.जा. के लोगों के मध्य संचारित समुदाय आधारित संस्थाओं जैसे ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षक अभिभावक संघ इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- * समुदाय में उपलब्ध स्थानीय शिक्षकों का उपयोग करना और उनकी क्षमता अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना।
- * कमजोर वर्ग के बच्चों की विद्यालयों में उपस्थिति ठहराव, एवं सम्प्राप्ति स्तर का नियमित मूल्यांकन करना।
- * विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले अनु.जा./अनु.जन.जा. की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष-प्रयास कर उनके लिए छात्रावास, विशेष सुविधाओं एवं प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत संसाधनों की व्यवस्था करना।
- * जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार विद्यालय सारणी तैयार करना।
- * जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव एवं शिक्षक अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना। आवश्यकतानुसार, शिक्षण कार्य में स्थानीय भाषा एवं संवादों का प्रयोग, विशेषकर छोटी कक्षाओं के लिए सूक्ष्म-स्तर के नमूनों का निर्माण किया गया है।
- * अनु.जा./अनु.जन.जा. के मध्य शैक्षिक विकास के संदर्भ में वातावरण सृजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
- * आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक एवं सम्प्रेषण समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अनुश्रवण प्रक्रिया को विकेंद्रित कर पुनर्निर्माण का कार्य अति महत्वपूर्ण है। ग्राम शिक्षा समितियों को शैक्षिक व्यवस्था की देखभाल एवं अनुश्रवण के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- * आदिवासी कल्याण विभाग, आदिवासी विकास संस्थाएँ और शिक्षा विभाग को आपस में एक साथ मिलकर सुदृढ़ता के साथ कार्य करना होगा।
- * यदि अनु.जा./अनु.जन.जा. के स्थानीय समूह छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए हैं तो आश्रम विद्यालयों या आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

बाल श्रमिक (कामकाजी बच्चे)

प्राथमिक विद्यालयों में आने की बजाय समय से पहले श्रम की धारा से जुड़ने के लिए मजबूर बच्चों को शिक्षित करना एक मुख्य समस्या है, बहुत लम्बे अन्तराल से इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो छोटे बच्चे पूर्व में ही मजदूरी के बाजार में हैं, उन छोटे बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराकर उनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। विश्व में कामकाजी बच्चों की संख्या के आंगणन में बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, बाल श्रमिकों की संख्या 11.28 मिलियन थी, उनमें से 91 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के थे। कुल 9.08 मिलियन बच्चों की मुख्य श्रमिकों के रूप में पहचान की गई है एवं 2.2 मिलियन बच्चे छोटे-छोटे कार्यों से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त 7 मिलियन बच्चे गृह-कार्यों से जुड़े हैं, जिनमें से 88 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। अतः यदि कार्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाये तो बाल श्रमिकों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए गम्भीर एवं व्यापक उपाय करने की आवश्यकता है। यद्यपि, आंगणन में बहुत अन्तर है एवं बाल श्रमिकों का विस्तार बहुत अधिक है।

बाल-श्रम-उन्मूलन हेतु श्रम मंत्रालय द्वारा योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (NCLP) की स्थापना की गई। इस योजना के अनुसार कामकाजी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पाठ्यक्रम संरचना, न्यूनतम-अधिगम स्तर (MLL) आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता विकास, शिक्षार्थी मूल्यांकन के तरीकों की संरचना इत्यादि में शैक्षिक अनुसमर्थन एवं सहयोग से श्रम मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। बच्चों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के लिए विद्यालय जाने वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक रूप से वचनबद्ध होना पड़ेगा।

कामकाजी बच्चों पर केन्द्रित कार्य योजनाएँ इस प्रकार हैं :-

- * जहाँ भी सम्भव हो, बच्चों को बालश्रम से मुक्त करने की पहल करना कामकाजी बच्चों की शिक्षा

व्यवस्था हेतु पहला कदम है। इन सबके लिए वृहद स्तर पर प्रयास कर सभी जिम्मेदार लोगों को जागरूक करना होगा। कामकाजी बच्चों की समस्या एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था ही मात्र श्रम एवं शिक्षा वेभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक बहु-आयामी समस्या है।

- देश में सफल कार्य योजनाओं एवं नवाचार का प्रयोग कर इसका विस्तार किया गया, उदाहरणतः विद्यालय-वापिस-चलो (उ.प्र.), ग्रीष्म विद्यालय (आ.प्र.), शिक्षा-घर (फिरोजाबाद), विद्यालय-वापिस-चलो केंद्र (बांसकांठा), शहरी क्षेत्रों हेतु कार्य योजना (राजस्थान) इत्यादि।
- मध्यस्थ व्यवस्था जैसे-कम अवधि वाले विद्यालय, विद्यालय पूर्व तैयारी हेतु सेतु पाठ्यक्रम के उपरान्त उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश कराना। बच्चे को बाल श्रमिक से विद्यार्थी के रूप में तैयार करने हेतु शिविरों को एक अवसर एवं प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इस अवस्थिति में सावधानीपूर्वक सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।
- अभिभाक, बच्चे, कर्मचारी/नौकर, पंचायती राज्य संस्थाएँ (PRIs), सूचना तंत्र इत्यादि सभी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु जागरूक करना होगा।
- कैम्प एवं विद्यालय का वातावरण आकर्षक और आनन्ददायक बनाकर बच्चों का मनोबल जीतना।
- विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बच्चों को सामुदायिक शिक्षकों द्वारा एवं विद्यालय के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा और विद्यालय के बाहर अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कर, शैक्षिक एवं भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- बालश्रम के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों का सहयोग एवं समन्वय मुख्य रूप से बालश्रम विभाग के साथ स्थापित करना।
- राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना और अन्य कार्यक्रमों को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना। शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री-विकास, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बालश्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सहयोग की आवश्यकता है।

अल्प संख्यक समुदायों के बच्चे

हाल ही में हुए सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की भागीदारी पूर्ण नहीं है। इसलिए, इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदायों के संदर्भ में, विशेषतः बालिका शिक्षा को एवं प्रौढ़ महिलाओं की साक्षर बनाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। मकता एवं मदरसों के पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं गणित के नूतन आयामों को जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम का संशोधन एवं परिमार्जन कर नवीनीकरण करना होगा तभी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्णतः प्रतिपूर्ति हो पायेगी। पाठ्यक्रम का मुख्य आशय बच्चों तक पहुँचाने के लिए शिक्षकों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करनी होगी। असम, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में इस नमूने (Model) को सफलतपूर्वक संचालित किया गया। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों में मदरसा नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुसमर्थन प्रदान करना एवं विज्ञान, गणित और भाषा शिक्षक हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा अनुसमर्थन की व्यवस्था करना।

गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे

भारत में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, जो गरीबी के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं। यद्यपि शिक्षा निःशुल्क है, परन्तु पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, लेखन सामग्री एवं यात्रा-व्यय इत्यादि पर खर्च होने वाला निजी व्यय गरीब अभिभावकों की पहुँच के बाहर है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण II के अनुसार, बच्चों के कमो भी विद्यालय न जाने एवं वर्तमान में विद्यालय न जाने का कारण विद्यालयी शिक्षा लागत है। लगभग एक चौथाई बालक-बालिकाओं के विद्यालय न जाने का यही कारण है। सर्वेक्षण में शिक्षा लागत के कारण कभी भी विद्यालय न जाने वाले बच्चों एवं वर्तमान में विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो बार पृथक-पृथक दर्शाया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय/सरकारी प्राथमिक विद्यालयों पर प्रति बालिका वार्षिक लागत लगभग 219 रु. मात्र है और शहरी क्षेत्रों में यह लागत 470 रु. मात्र है। (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था 52वां चक्र,

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों में मदरसा नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुसमर्थन प्रदान करना, एवं विज्ञान, गणित और भाषा शिक्षक हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा अनुसमर्थन की व्यवस्था करना।

सारणी 4.12 : प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक पारिवारिक (हाउस होल्ड) व्यय

	प्राथमिक			
	ग्रामीण		नगरीय	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
शासकीय	219	219	509	470
स्थानीय निकाय	223	223	714	621
अशासकीय सहायित	693	529	1652	1525
अशासकीय असहायित योग	902	925	1975	1866
	305	286	1197	1092
	उच्च प्राथमिक			
शासकीय	548	555	923	864
स्थानीय निकाय	533	553	1148	995
अशासकीय सहायित	893	868	1884	1734
अशासकीय असहायित योग	1240	1267	2933	2908
	640	641	1590	1456

स्रोत : एन.एस.एस. 52वां चक्र, जुलाई, जून, 1996, भारत सरकार, अक्टूबर, 1998

अधिक बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। वर्ष 1993 से इन प्रोत्साहन योजनाओं से आच्छादन का विस्तार होना चाहिए।

नामांकन न होना, सम्प्राप्ति न होना एवं बच्चों का विद्यालय छोड़ देना आदि समस्याएं अधिकतर कम-आय-वाले समुदायों के बच्चों में पायी जाती है। राष्ट्रीय क्रियात्मक आर्थिक शोध परिषद् द्वारा वर्ष 1994 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, नामांकन दर एवं गृह-आय के विशिष्ट सह-सम्बन्ध को दर्शाया गया है। देश में लगभग 82 प्रतिशत परिवारों को कम वार्षिक आय वाले निम्नलिखित दो समूहों के अन्तर्गत रखा गया है— सबसे कम आय वाला समूह 20,000 रु./वार्षिक और 20,000-40,000 रु. और लगभग इसी अनुपात में इन आर्थिक समूह के परिवारों के बच्चों का नामांकन दर विद्यालयों में कम है। इस आख्या के अनुसार विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता में रुकावट हैं। शिक्षा के असंतुलित विस्तार का कारण गरीबी, सामाजिक अलगाव एवं संसाधनों की कमी दोनों हैं, शिक्षा-लागत से निपटने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, लेखन-सामग्री, छात्रवृत्ति एवं यात्रा भत्ता व्यय 250 रु. प्रति बच्चा प्रतिवर्ष के रूप में दी जा रही है। इन प्रोत्साहन योजनाओं की गरीबों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली/व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

दुर्गम और पहुँच से बाहर वाले समूह

सभी प्रयासों के बावजूद, वे बच्चे जिन तक शिक्षा सुविधा की पहुँच सुनिश्चित करना कठिन है, वे शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। ये वे बच्चे हैं जो अति सुदूर पिछड़े छोटे-छोटे इलाकों/बस्तियों में, जहाँ किसी भी प्रकार की विद्यालयी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, न रहते हैं, शरणार्थी परिवारों के बच्चे, गृह कार्यों में संलग्न बच्चे, देह व्यापार करने वालों के बच्चे, बाल गृह में रहने वाले बच्चे, तटीय क्षेत्रों और मछुआरा समुदायों के बच्चे इत्यादि।

भारत में कृषि की दृष्टि से पिछड़े इलाकों में रहने वाले परिवार एवं काश्त-रहित मजदूरों के लिए जब गाँव में काम नहीं रहता है तब उन्हें काम की तलाश में गाँव से बाहर जाना पड़ता है। ये परिवार ईंट ढोने, गन्ना एवं कपास के क्षेत्र, नमक बनाना, निर्माण कार्य स्थल, सड़क सुधार और अन्य मौसम आधारित कार्यों की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह देशान्तरगमन मौसम पर आधारित होता है, इसके अन्तर्गत, वह परिवार जो एक निश्चित समय पर गांव छोड़ देते हैं एवं कार्य समाप्त होते ही अपने क्षेत्र में वापिस लौट आते हैं। जब परिवार देशान्तरगमन पर जाते हैं तब उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। मजदूरी इतनी कम होती है कि पूरे परिवार को, अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए कार्य करना पड़ता है और

मंदी के समय के लिए बचत करनी पड़ती है। इन परिवारों के बच्चे या तो नामांकित नहीं होते हैं या विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं। इन बच्चों की शिक्षा के लिए सफल मॉडल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मैदानी विद्यालय, आश्रमशाला और मौसम के अनुसार सामुदायिक केन्द्र (गुजरात में) और शुगर विद्यालय, ईट ढोने वाले बच्चों हेतु विद्यालय (महाराष्ट्र) को उच्चिकृत किया गया है।

एक बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषतः बालिकाएँ, विद्यालय नहीं जा पाती हैं क्योंकि उन्हें अन्य कार्य जैसे भोजन पकाना, पानी लाना, खाना पकाने हेतु लकड़ी एकत्र करना, धोना एवं सफाई करना, अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल, पालतू जानवर चराना एवं अपने अभिभावकों को उनके कार्यस्थल तक भोजन पहुँचाना इत्यादि। इस प्रकार के बच्चों के समूहों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यनीतियाँ तैयार की गई हैं, इसके अन्तर्गत वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा केन्द्र (AS) (तमिलनाडु), वैकल्पिक विद्यालय (मध्य प्रदेश, असम), अपना विद्यालय (बिहार), अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (NFE) (कर्नाटक, हरियाणा), प्रेरणा केन्द्र (महाराष्ट्र), विद्यालय-वापिस-चलो केन्द्र (गुजरात) और बालशाला (उत्तर प्रदेश) इत्यादि योजनाएँ हैं। इन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

कठिन-पहुँच-वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना को महत्व दिया जाना चाहिए। इस योजनान्तर्गत विविध कार्य योजनाएँ और लचीले वित्तीय मानकों का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत अनेक विकल्प उपलब्ध हैं—जैसे शिक्षा गारन्टी योजना, विद्यालय-वापिस-चलो शिविर, बालिका शिविर इत्यादि। इनके अतिरिक्त अन्य कार्य योजनाएँ इस प्रकार हैं :-

- * प्रवासी परिवारों के कार्यस्थल के पास, मौसमी विद्यालयों की व्यवस्था करना जैसे-ईट ढोने वाले लोगों के बच्चों के लिए ब्रिक-विलन-स्कूल एवं चीनी मिलों में काम करने वाले प्रवासियों के लिए शुगर स्कूल इत्यादि।
- * प्रवासी परिवारों के बच्चों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना, ताकि उनका प्रवेश अन्य कार्यस्थलों के पास संचालित विद्यालयों में हो सके।
- * स्थानीय आवश्यकतानुसार सेतु पाठ्यक्रमों, छात्रावासों एवं चलित विद्यालयों का संचालन।
- * सुविधावंचित छोटे-छोटे आवासीय क्षेत्रों बहु-श्रेणी केन्द्र एवं स्थायी सामुदायिक विद्यालयों की स्थापना, आवासीय शिविर इत्यादि।
- * सेतु पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न अवधि की स्थानापन्न कक्षाओं के माध्यम से बड़े बच्चों विशेषकर किशोरियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।
- * इन प्रयासों में गुणवत्ता एवं स्थायित्व हेतु किये गए समग्र उपायों का मूल्यांकन, समुदाय-आधारित बनाने हेतु समुदाय को जागरुक बनाना होगा।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

वर्ष 2001 के अनुसार भारत में बच्चों की कुल 200 मिलियन जनसंख्या में 6-14 वर्ष आयु के 6-10 मिलियन बच्चों की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में पहचान कर आंगणन किया गया। इनमें लगभग 1 मिलियन विकलांग बच्चे हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता, जब तक, विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) हेतु अधिनियम 1995 के अनुसार यह अनुबंध/शर्त है कि 18 वर्ष तक के सभी अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाल-आधारित शिक्षा के अन्तर्गत उनकी शिक्षा व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नांकित कार्यविधियाँ एवं क्रियाकलाप प्रस्तावित हैं :-

- * सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चाहे वह किसी भी प्रकार, संवर्ग/श्रेणी या अक्षमता की विभिन्न तीव्रता रखते हों, उनको समुचित वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। शून्य अस्वीकरण नीति (zero-rejection policy) अपनाकर, किसी भी बच्चे को शिक्षा-व्यवस्था से वंचित न रखना।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) हेतु अधिनियम 1995 के अनुसार यह अनुबंध/शर्त है कि 18 वर्ष तक के सभी अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाल-आधारित शिक्षा के अन्तर्गत उनकी शिक्षा व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

- * विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यापक प्रयासों के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने का प्रावधान है। (अक्षम व्यक्तियों हेतु अधिनियम)
- * अक्षम बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था में सम्मिलित करने हेतु तैयार की गई विस्तृत रणनीति के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, सीखने की मुक्त प्रक्रिया, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक और वैकल्पिक विद्यालय, गृह-आधारित शिक्षा, घुमक्कड़/यायावार-शिक्षक-माडल, उपचारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त कक्षाएँ, सामुदायिक पुनर्वास इत्यादि माडल प्रयोग करना।
- * सर्वेक्षण, सूक्ष्म नियोजन और क्रियात्मक एवं औपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से सभी अक्षम बच्चों को चिह्नकित करना।
- * जहाँ तक सम्भव हो, विशेष-आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को सामान्य विद्यालयों में आना चाहिए और उसको आवश्यक-समर्थन-सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान करना।
- * सामाजिक सशक्तिकरण एवं कानून मंत्रालय, राज्य कल्याण विभागों, राष्ट्रीय संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से, जहाँ तक सम्भव हो, सभी अक्षम बच्चों को आवश्यक सहायक उपकरण एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान करना।
- * अनुसमर्थन सेवाएँ/सुविधाओं की भौतिक उपलब्धता, संकुल स्तर पर संसाधन केन्द्र, विशेष उपकरण, पठन-सामग्री, विशेष शैक्षिक विधियों, उपचारात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम-समायोजन, और अपनाई हुई शिक्षण-रणनीतियों का प्रयोग सुनिश्चित कराना।
- * विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्रभावी कक्षा-प्रबंधन हेतु सामान्य शिक्षकों के संवेदीकरण के उद्देश्य से विशिष्ट शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना। यह प्रशिक्षण ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर बार-बार आयोजित कराए जाने चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) और बी0आर0सी0 (BRC) स्तर के समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों/समस्त शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता रखने वाले बच्चों हेतु शैक्षिक प्रबंधन एवं क्रियान्वयन विषयक विषयवस्तु सम्मिलित होनी चाहिए।
- * जहाँ भी आवश्यक हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में विशेष कौशल सिखाने हेतु, विशेष रूप से प्रशिक्षित संदर्भ शिक्षकों की नियुक्ति करना। जहाँ पर यह विकल्प कारगर नहीं है वहाँ पर नियमित शिक्षकों हेतु लम्बी अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- * शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं विशेषज्ञों के सहयोग एवं सलाह से, विशिष्ट आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए समेकित-शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना एवं सम्प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने हेतु सूचकांकों का विकास कर, विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों की शैक्षिक अभिक्रिया प्रभाविता का मूल्यांकन करना।
- * अक्षम बच्चों के अभिभावकों को इन बच्चों के पालन-पोषण एवं जीवन कौशलों से परिचित कराना सिखाने हेतु अभिभावकों के प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था करना। सुदृढ़ परामर्श/समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम/अभिमुखीकरण कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। समुदाय, अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण हेतु तैयार समस्त अभिप्रेरक मॉडयूलों में अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था पर एक घटक अवश्य होना चाहिए।
- * राज्य एवं जिला स्तर पर, पंचायती राज्य संस्थाओं (PRIS) और स्वयं सेवी संस्थाओं (NGOs) के सहयोग से कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन एवं प्रबंधन के लिए, संदर्भ समूहों का गठन करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में निर्देशन, अभियांत्रिक/शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर, सर्वोच्च संदर्भ समूह का गठन होना चाहिए।
- * जहाँ भी आवश्यक हो, विशिष्ट विद्यालयों को क्षमता संवर्द्धन करने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत विभागों एवं संस्थाओं से समन्वित सहयोग एवं अनुसमर्थन लेना चाहिए।
- * विद्यालय में भवन निर्माण सम्बन्धी बाधाओं को दूर कर विद्यालय पहुँच को आसान बनाना। विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं में अक्षमता-निवारक में भी-सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सक्षम वातावरण प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के एक अहम भाग के रूप में विद्यालयों हेतु नवाचारी-नमूनों का विकास करना।

- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में शोध होने चाहिए जैसे—सहायक उपकरणों के निर्माण एवं विकास हेतु शोध शिक्षण—उपकरण, विशेष—अधिगम सामग्री और इन बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक विशेष शिक्षण—सामग्री और अन्य सामान इत्यादि।
- समय—समय पर कार्यक्रम के पुनर्जीवन हेतु लगातार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन होते रहने चाहिए। इसके लिए, निश्चित अन्तरालों में, उचित अनुश्रवण विधाओं को क्षेत्रीय अन्वेषण हेतु तैयार करते रहना चाहिए।
- अक्षम—बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किये गए समस्त क्रियात्मक प्रयासों एवं उपागमों को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, राज्य कल्याण विभाग, राष्ट्रीय संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) से समन्वय स्थापित कर वर्तमान योजनाओं जैसे अक्षम व्यक्तियों की सहायता हेतु क्रय/उपकरण/सुविधाओं को लगाना, एवं अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा (IEDC) के कृत प्रयासों को लागू करना।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शहरी प्रयास

भारत की शहरी जनसंख्या वर्ष 1981 में 159 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 300 मिलियन हो गई है जो भारत की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत है। शहरीकरण का विस्तार होने के कारण नगरीय संरचना पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में सुविधाओं पर कम लागत लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में कम आय एवं अधिक जीवनयापन लागत का अटूट—बंध है अर्थात् शहरी क्षेत्र में रहने का पर्याय कठिन एवं विशिष्ट ध्यान देने योग्य वातावरण में अधिकांश लोगों द्वारा जीवनयापन करना है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कार्यकारिणी समूह की आख्या के अनुसार वर्ष 2001 में, 6—14 आयु वर्ग की शहरी जनसंख्या लगभग 65 मिलियन आंगणित की गई है, इनमें से लगभग 15 मिलियन जनसंख्या गरीब परिवारों से है। यह अपवंचित शहरी बच्चे, विभिन्न स्तर के जैसे गैरकानूनी बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों, बाल श्रमिक और गृह—श्रमिक के रूप में कार्यरत बच्चे, प्रवासी परिवारों के बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, लैंगिक कार्यों में संलग्न लोगों के बच्चे, अनाथ बच्चे हैं। स्पष्ट रूप से इन सभी के लिए पृथक—पृथक योजनाओं की आवश्यकता है क्योंकि इन विभिन्न असमानताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु कोई एक योजना कारगर नहीं हो सकती।

ग्रामीण क्षेत्रों की तरह, जहाँ प्रशासनिक एवं संरचनात्मक संरचना लगभग एक समान होती है, शहरी क्षेत्र में इन प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुविधाओं को एकत्रित रूप से प्रदान करने में उतनी ही अधिक असमानताएँ हैं। यद्यपि, संविधान के 74वें संशोधित अधिनियम के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था का कार्य शहरी स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित है, फिर भी विभिन्न शहरों के मध्य इस विषय पर प्रबंधन नीति में बहुत थोड़ी समानताएँ हैं। जबकि एक शहर में शिक्षा व्यवस्था की देखभाल की बागडोर स्थानीय निकायों के पास है, वहीं दूसरी तरफ अन्य शहर में यह बागडोर राजकीय शिक्षा विभाग के पास है। इस प्रकार सभी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु किसी एक कार्ययोजना को परिभाषित कर पाना सम्भव नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में विकास, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना के मध्य जटिल—सह—सम्बन्धों का होना, इस प्रकरण की जटिलता को और बढ़ा देता है। ग्रामीण—शहरी प्रवासियों की प्रकृति ऐसी है कि अधिकांश गरीब शहरी जनता सार्वजनिक एवं सरकारी जमीन को घेर कर निवास करती है, जहाँ पर संरचनात्मक ढांचे में सुधार हेतु कोई लागत लगाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। जितने अधिक झुग्गी—झोपड़ी वाले संकुल स्थान अवैध होंगे उतना ही स्थानीय निकाय सरकारी रूप में विकास कार्यों में लागत लगाने में असमर्थ होंगे। इसलिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में अतिक्रमण वाली बस्तियों को नियमानुसार वैधता प्रदान की जा रही है।

बाक्स 4.2 : प्रथम : प्रत्येक बच्चा विद्यालय में हो एवं अच्छा सीखे

प्रथम की स्थापना वर्ष 1994 में ग्रेटर मुम्बई के नगर निगम के आयुक्त, यूनिसेफ एवं प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा एक जन-सहकारी संस्था के रूप में की गई। वर्ष 1994 से यह संस्था देश के 9 राज्यों के 26 शहरों एवं 5 ग्रामीण जिलों में कार्यरत है। नियमित रूप से, प्रथम कार्यक्रम 200,000 बच्चों से अधिक तक पहुँच चुका है। प्रथम की संकल्पना अति सरल है। सभी बच्चों को विद्यालय लाना इस संस्था का उद्देश्य है एवं इस संस्था ने बच्चों को अच्छी तरह से सीखने में भी मदद की है। प्रथम संस्था को विश्वास है कि उनके प्रयास अनुकरणीय हैं एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में कृत प्रयासों के साथ अतिरिक्त प्रयास के रूप में विद्यमान है। स्थानीय एवं सामुदायिक संदर्भों के आधार पर इन लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु स्थानीय सामुदायिक कार्यों के माध्यम से युवतियों द्वारा विद्यालय आधारित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। यह संस्था त्रिकोणीय सहभागिता पर आधारित होती है। सरकार, नागरिक निगम एवं अन्य वित्तीय स्रोत संसाधनों की पूर्ति हेतु निगम एवं अन्य स्रोतों द्वारा नेतृत्व किया जाता है। सरकार द्वारा नवीन विद्यालय खोलने एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं शैक्षिक समर्थन प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया जाता है, सामुदायिक स्वयं सेवकों विशेषतः मलिन बस्तियों की महत्वाकांक्षी युवतियों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जाता है।

प्रथम संस्था द्वारा अपवंचित भारतीय बच्चों को निम्नांकित पांच मुख्य कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है :-

● विद्यालय पूर्व बच्चे

इन बच्चों को बालवाड़ी अर्थात् सामुदायिक बाल्य देखरेख केंद्रों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है।

● विद्यालय न जाने वाले बच्चे :

(विद्यालय बीच में ही छोड़ने वाले बच्चे एवं जो बच्चे कभी विद्यालय नहीं गए।) सेतु पाठ्यक्रम बच्चों को शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से नियमित विद्यालयों में प्रवेश हेतु तैयार करते हैं। वे बच्चे जिनका मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मूल्यांकन हेतु तैयार किया जाता है।

● कामकाजी बच्चे

बाल श्रमिकों एवं विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तक कार्यक्रम की पहुँच सुनिश्चित करना।

● विद्यालय जाने वाले बच्चे

विद्यालय जाने वाले बच्चे समुदाय एवं समुदाय-आधारित क्रियाकलापों से शैक्षिक अनुसमर्थन एवं उपचारात्मक शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामुदायिक स्वयंसेवक "बालसखी" द्वारा विद्यालय में या समुदाय में प्रतिदिन कक्षाओं का संचालन एवं सामुदायिक पुस्तकालय का संचालन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा कार्यक्रम परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करता है।

● कम्प्यूटर आधारित अधिगम कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को कम्प्यूटर से परिचित कराया जाता है।

वर्ष 1994 के प्रारम्भ से, प्रथम संस्था लगभग 30,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए विद्यालय में लाने हेतु सक्षम है एवं आधा मिलियन से अधिक बच्चों को अच्छी प्रकार से सीखने में मदद करती है। जनवरी 2003 से, पढ़ने हेतु तीव्र अधिगम कार्यक्रम में लगभग 200,000 बच्चे प्रतिभाग कर चुके हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में प्रथम संस्था के विस्तृत नेटवर्क स्थापित हैं, इस नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सुविधाएँ जैसे—(स्वास्थ्य, कम्प्यूटर शिक्षा) अतिरिक्त न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराना सुलभ है।

प्रारम्भिक तीन वर्षों में यूनिसेफ (UNICEF) "प्रथम" की मूल संस्था है। वर्ष 1997 से, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, एक निजी भारतीय बैंक, से मुख्य श्रमिका निर्वहन की परिकल्पना है। तभी से भारतीय निगमों की भागीदारी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्तमान में, प्रथम भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई पहल के अन्तर्गत निगम क्षेत्र के मुख्य नेताओं द्वारा किये गये प्रयास आते हैं। विदेशी बोर्ड द्वारा देश में अपनी संस्थाओं के माध्यम से प्रथम संस्था एवं बोर्ड के सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन एवं प्राप्ति सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये जाते हैं। ये संस्थाएँ 'प्रथम' कार्यक्रम को भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

जनता एवं सरकार के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित करने हेतु 'प्रथम' द्वारा प्रयास किया जाता है। इस प्रयास के अन्तर्गत जनसाधारण को लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका लक्ष्य निजी-नागरिक भागीदारी से शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान तक पहुँचना एवं उन समाधानों को प्रयोग में लाना है।

शहरी अपवंचित बच्चों की शिक्षा की समस्या जटिल एवं विविधता से परिपूर्ण है। इसके अन्तर्गत शिक्षा लागत, विद्यालयी संरचना की कमी, इन बच्चों के लिए विशेष प्रयासों में कमी, विद्यालयों की प्रतिकूल स्थिति, इत्यादि आते हैं। प्रत्येक शहर की अपनी अलग परिस्थितियाँ होने के कारण प्रत्येक शहर की आवश्यकता का समेकित रूप से कोई निश्चित समाधान नहीं निकाला जा सकता। शहरी क्षेत्रों में विस्तृत-सामाजिक-आर्थिक असमानता का होना भी विचारणीय विषय है। शहरी समाज का एक बड़ा हिस्सा, जो अवैध बस्तियों में निवास करता है एवं आर्थिक रूप से ठीक-ठाक हैं, उनको कुछ बुनियादी सुविधाएँ; तो मिल रहीं हैं, परन्तु शिक्षा की पहुँच उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्रों के राजकीय विद्यालय, शिक्षा की निजी सुविधाओं के साथ तालमेल बैठकर कार्य कर रहे हैं। और

अधिकांशतः मूल सुविधाओं एवं संरचनात्मक दृष्टिकोण से सुविधावंचित है। पाठ्यक्रम में भी अन्तर विद्यमान है विशेषतः अंग्रेजी पाठ्यक्रम में। यद्यपि इन विद्यालयों में, औपचारिक रूप से बहुत अधिक बच्चे नामांकित हैं, विशेषतः बालिकाएं परन्तु बच्चे अधिकांशतः विद्यालय नहीं जाते हैं। इस स्थिति का कारण सामाजिक एवं आर्थिक है। सामान्यतः शहरी क्षेत्रों के गरीब बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं की कमी है। वास्तव में, शहरी क्षेत्र में शिक्षा के प्रति हतोत्साहित होने के कई कारण हैं—जैसे धनार्जन में कमी, शिक्षण की गुणवत्ता में कमी, संरचनात्मक कमी, विद्यालय की अवस्थिति इत्यादि। एक समय था, जब इन कारणों के हल आसान थे जैसे—छोटे बच्चों द्वारा स्थानीय विद्यालय पहुँचने हेतु सड़क पार करने की समस्या।

शहरी प्रबंधन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान है—विभिन्न राज्यों की शहरी संरचना में भी अंतर पाया जाता है। कतिपय राज्यों में शिक्षा की जिम्मेदारी की बागडोर स्थानीय निकायों के हाथ में है, जबकि अन्य राज्यों में यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की है। विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित न हो पाने के कारण बच्चे को मिलने वाली प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है।

शहरी अपवंचित समुदायों की शिक्षा के मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्यनीतियों एवं प्रयासों को अपनाने की आवश्यकता है—

- * सरकारी विभाग जैसे शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पुलिस, रेलवे, श्रम, शहरी विकास और नगर निगम एवं शहरी गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रबंधन संरचना/एजेंसी द्वारा कृत प्रयासों के मध्य सह-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रावधान।
- * शहरी क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए शैक्षिक योजना का निर्माण। इकाई—स्तर एवं समुदाय—आधारित संस्थाएँ जैसे महिला—मण्डल, युवक दल इत्यादि को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सम्मिलित करना।
- * शहरों की क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार नवीन विद्यालयों एवं शिक्षा गारन्टी केन्द्रों की स्थापना।
- * आवश्यकतारहित स्थानों पर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था करने के बजाय ऐसे स्थानों पर इन विद्यालयों का पुनर्स्थापन किया जाए जहाँ, पास में बस्ती या कॉलोनी हों।
- * शहरी क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की संरचना में गुणवत्ता सुधार।
- * कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु सेतु पाठ्यक्रम, स्थानापन्न कक्षाएँ, शिविर विद्यालय इत्यादि कार्यनीति अपनाना। यह पाठ्यक्रम उस क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र की शैक्षिक संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से संचालित किये जा सकते हैं।
- * प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आने वाले बच्चों के लिए औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था में विशेष तैयारी की व्यवस्था करना, क्योंकि इन बच्चों को घर पर अभिभावकों का शैक्षिक समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ संदर्भों में, इन बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है।
- * शहरी अपवंचित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में निजी क्षेत्र कार्यरत हैं। बड़े शहरों के कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु सभी प्रकार का अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है।
- * शैशवकालीन देखभाल और पूर्व विद्यालयी सुविधाओं से विशेषतः झुग्गी—झोपड़ी वाले क्षेत्र एवं जहाँ माता—पिता दोनों काम पर जाते हैं, की स्थिति में सुधार हुआ है।

ये कार्यनीतियाँ सर्व शिक्षा अभियान को प्रतिबिंबित करती हैं, जिनके अन्तर्गत शहरी अपवंचित बच्चों के प्रत्येक समूह को चिन्हित कर आवश्यकतानुसार पृथक योजना तैयार करने का प्रावधान है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों की शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु विविध क्रियाविधियों की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था पृथक होने के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभागों एवं स्थानीय निकायों के समन्वय एवं समेकित प्रयासों तथा इसके लिए पृथक नियोजन का प्रावधान करने की आवश्यकता है। छोटे शहरों के संदर्भ में पृथक योजना या शहरी योजना के भाग के रूप में नियोजन का प्रावधान है, दोनों संदर्भों में स्वयं सेवी संस्थाओं एवं नगर निगम के साथ भागीदारी की आवश्यकता है।

मुख्य नीति के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं की सामाजिक वर्ग के सभी स्तरों पर वृहद भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति से प्रशासन पर पड़ने वाले विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अतिरिक्त भार को कम करके विकास के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति सभी की भागीदारी से सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस दर्शन के अनुसार, राज्यों को शहरी क्षेत्रों हेतु पृथक नियोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया।

स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) की भूमिका में वृद्धि

स.लि.शि. के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सरकार द्वारा मिलकर साथ बढ़ने में तीसरी कड़ी के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान की गई। यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी है कि कोई भी एकल शिक्षा व्यवस्था द्वारा चाहे वह सार्वजनिक प्रयास हो या निजी प्रयास, बिना स्वयंसेवी क्षेत्र की भागीदारी के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य सम्प्राप्ति तक नहीं पहुँच जा सकता। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक विकास मॉडल की विश्वसनीयता, सेवा की गुणवत्ता, प्रभावी लागत, नवाचार, जमीन से नजदीक एवं प्रभावी प्रबंधन विधा होने के कारण इन मॉडलों की साख स्थापित हो चुकी है। बच्चों के शिक्षण के लिए नवीन मॉडलों का विकास, नवाचारी पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम-सामग्री, नवीन पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक-प्रशिक्षण, सामुदायिक सशक्तीकरण, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन, वातावरण सृजन एवं संस्थागत विकास इत्यादि में स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) का विशेष योगदान है। सरकारी संस्थाओं द्वारा इनमें से कई नवाचारी मॉडलों को शिक्षा व्यवस्था में अपनाया गया है।

मुख्य नीति के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं की सामाजिक वर्ग के सभी स्तरों पर वृहद भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति से प्रशासन पर पड़ने वाले विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अतिरिक्त भार को कम कर, विकास के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति सभी की भागीदारी से सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्यप्राणाली से शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि होगी। वर्तमान में, स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सामान्यतः अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और साक्षरता कार्यक्रमों एवं शिक्षा में सूक्ष्म-स्तर पर नवाचारी-प्रयोग तक सीमित है। इस बात को महसूस किया गया कि यह संगठन शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विशेष क्रियात्मक एवं नवीन क्षमताएँ रखते हैं। वर्तमान कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता को जारी रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के साथ स्वयंसेवी क्षेत्र के उचित सहयोग से विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए।

निगम/संगठित क्षेत्र की भूमिका का विस्तार

प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु, वर्तमान समय में निगम/संगठित क्षेत्र केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर प्रयास करने की मुख्य भूमिका में है। उदाहरणतः भारत की एक बड़ी वित्तीय संस्था के रूप में कार्यरत संस्था, आई0सी0आई0सी0आई0 के द्वारा एक सामाजिक क्रियाकलाप समूह (SIG) का गठन किया गया, जिसकी मुख्य भूमिका विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम पर केन्द्रित है। भारतीय औद्योगिक संगठन (Confederation of Indian Industries, CII) के द्वारा प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता समिति का गठन किया गया, यह समिति अपनी संलग्न इकाइयों के साथ सहयोग से सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनुसमर्थन प्रदान करेगी। एक प्रसिद्ध आई.पी.टी. -कम्पनी WIPRO के अध्यक्ष द्वारा आजिम प्रेमजी संस्था गठित की गई—यह संस्था विशेषतः प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है कॉरपोरेट नागरिकों की भूमिका के विस्तार से, आगामी वर्षों में सभी के लिए शिक्षा की मुहिम में इनका विशेष योगदान रहेगा।

निजी क्षेत्रों के साथ क्रियात्मक साझेदारी (Synergic Partnership with the Private Sector)

भारत जैसे अनेक विविधताओं वाले देश में सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य अतिविशाल है, क्योंकि मात्र सरकारी क्षेत्र के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्णतः प्रभावी तरीके से पूरा कर पाना मुश्किल है। जबकि विद्यालयी शिक्षा में निजी क्षेत्र का सहयोग हमेशा से रहा है, परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। देश, निजी क्षेत्र की क्षमता का प्रयोग

अपवंचित वर्ग की शिक्षा व्यवस्था करवाने में समर्थ नहीं रहा है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी निर्धारित किये बगैर केवल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की क्रियात्मक साझेदारी को प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्यों की सम्प्राप्ति हेतु नहीं जोड़ा जा सकता है।

निजी क्षेत्र से केवल सतही तौर पर सुविधाएं प्रदान करने में ही योगदान न लेकर, शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन एवं गुणवत्ता संवर्द्धन तथा स्थानीय उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में विशेष सहयोग लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक में विद्यालय को गोद लेने की योजनान्तर्गत पूर्व में ही यह प्रयास किये जा चुके हैं। संस्थागत एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन स्तर पर अधिकांश समेकित प्रयास, प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भूमिका निर्धारित कर किये जा सकते हैं। यदि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए, पहल कर स्वयं आगे आते हैं, तो इस प्रयास को, राज्यगत नीति के विस्तृत आयामों में, उनके साथ भागीदारी का प्रावधान करना चाहिए। राज्यगत नीतियों के अन्तर्गत, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रयोग निजी विद्यालयों को संसाधन अनुसमर्थन प्रदान करने का प्रावधान इस शर्त के अन्तर्गत किया जा सकता है कि इस अनुसमर्थन में आंगणित अतिरिक्त लागत/व्यय भार इन विद्यालयों द्वारा किया जाएगा।

विद्यालयी व्यवस्था में निजी-शुल्क-देना, वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्र में ही देखा जाता था, वह भी माध्यमिक स्तर पर, परन्तु अब यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रारम्भिक शिक्षा में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। नवीन निजी विद्यालय अभिभावकों में जागरुकता बढ़ाकर विशेषतः गरीब एवं अनपढ़ अभिभावकों को भी विद्यालय के क्रियाकलापों के विषय में जागरुक कर रहे हैं। अनेक सर्वेक्षणों से, प्रारम्भिक स्तर पर निजी क्षेत्रों में नामांकन की भागीदारी का आंगणन दर्शाया गया है। विद्यालयी सर्वेक्षण पर आधारित छठा अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में निजी वित्तविहीन विद्यालयों में प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत 3.6 प्रतिशत है जबकि एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा वर्ष 1994 में कराया गया परिवार सर्वेक्षण (हाउस होल्ड सर्वे) के अनुसार यह नामांकन 9.8 प्रतिशत दर्शाया गया है और एन.एस.एस.ओ. (1995-96) के अनुसार यह प्रतिशत 7.4 है। शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालयी व्यवस्था के प्रति रुझान अधिक है, ग्रामीण भारत अभी भी सरकारी विद्यालयों पर निर्भर है। वित्तविहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे जाते हैं इसके विपरीत शहरी क्षेत्र में यह प्रतिशत क्रमशः 26 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत है। वर्तमान समय में निजी क्षेत्रों की भागीदारी में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। वित्तविहीन निजी विद्यालयों द्वारा वर्ष 1986 और 1993 के मध्य प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन दर में लगभग 31 प्रतिशत नामांकन वृद्धि (5.524 मिलियन) हुई थी। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में नामांकन वृद्धि में वित्तविहीन संस्थाओं का 50.8 प्रतिशत (3.813 मिलियन) योगदान है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 16.49 प्रतिशत (1.711 मिलियन) नामांकन दर में वृद्धि हुई है। निजी अनुदानित विद्यालयों की नामांकन दर में वित्तविहीन विद्यालयों की नामांकन दर को जोड़कर देखा जाये तो नामांकन वृद्धि में निजी क्षेत्र का विशेष योगदान है। वर्ष 1986-93 की अवधि में शहरी क्षेत्र के वित्त विहीन प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन दर में हरियाणा में 111 प्रतिशत, राजस्थान में 104 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 94 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत नामांकन वृद्धि में योगदान है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इन राज्यों में क्रमशः 106 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है। कतिपय राज्यों में, सरकारी विद्यालयों से निजी विद्यालयों में बच्चों के स्थानान्तरित होने की संख्या काफी अधिक है, इसलिए सरकारी विद्यालयों में नामांकन दर में कमी आ गई है।

सामान्य विचारधारा के विपरीत, विद्यालय के चुनाव में लैंगिक-मतभेद नहीं किया जाता है। विद्यालय में, नामांकित लगभग 100 बालिकाओं में से, 80.5 बालिकाएँ सरकारी विद्यालयों में, 11.5 निजी अनुदानित विद्यालयों में एवं 8 बालिकाएँ वित्तविहीन निजी विद्यालयों में जाती हैं जबकि इसके विपरीत इन विद्यालयों में 100 बालकों में से क्रमशः 81, 10 और 9 बालक विद्यालय जाते हैं। कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम है, सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी वित्तविहीन विद्यालयों में बालकों की संख्या अधिक है। इनमें से कुछ निजी विद्यालय कम आय वाले समूहों और सुविधावंचित

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु देश के प्रमुख 150 स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी एवं सहयोग का विस्तार एक बड़ी उपलब्धि है।

बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से संचालित हैं। PROBE द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार निजी विद्यालय अधिकांशतः सम्पन्न परिवारों/सुविधासम्पन्न समूहों की आवश्यकतानुसार मुख्य रूप से संचालित हैं। इन विद्यालयों की नामांकन में सुविधावंचित बच्चों की भागीदारी बहुत कम है। इन विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार से की गई है कि वहाँ पर आसानी से पहुँच सकने वाले समूहों के बच्चे ही प्रवेश लेते हैं। इसलिए गरीब-अपवंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को नहीं सौंपी जा सकती है। देश के कुछ उत्तम-निजी विद्यालयों द्वारा, अपवंचित बच्चों के लिए सायं-कालीन कक्षाओं की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, इन कार्यों हेतु निजी क्षेत्र को सभी प्रकार का अनुसमर्थन प्रदान किया जा सकता है। सामाजिक प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए निजी विद्यालयों द्वारा इस मॉडल को अपनाने में लगातार वृद्धि हो रही है।

शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु निजी विद्यालयों की वृद्धि एक सकारात्मक सूचक है। इसलिए नवीन निजी विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में आ रही बाधाओं को दूर करने, गुणवत्ता एवं मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रण का प्रावधान भी है। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता तथा कार्यप्रणाली एवं संरचनात्मक ढांचे के सुचारु न होने, शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं शिक्षण के प्रति उदासीनता इत्यादि के कारण निजी क्षेत्र के विद्यालयों का विस्तार तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयी व्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु शिक्षकों का दायित्व निर्धारण एवं संरचनात्मक व्यवस्था के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु शिक्षकों, कक्षा-कक्षों की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर अतिरिक्त नामांकन में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त अधिगम व्यवस्था और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ICT)

सभी तक विद्यालयी शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु कृत प्रयासों में मुक्त-अधिगम-व्यवस्था की अहम भूमिका है। प्रारम्भिक स्तर से शिक्षा प्रदान करने हेतु ऐसी मुक्त अधिगम व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जो बच्चों को (विशेषकर बालिकाएँ, अनु0जा0/अनु0जन0जा0 एवं कमजोर वर्ग के बच्चे) पूर्णकालिक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के समकक्ष योग्यता/योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करें। विद्यालयी एवं प्रौढ़ शिक्षा दोनों क्षेत्रों में, अकादमिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में, समाज के अधिकांश संवर्गों के विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुक्त-अधिगम-व्यवस्था (OLS) का विस्तार किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संरचनात्मक सुविधाओं एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग का भी प्रावधान किया गया है।

हाल ही में राजकीय मुक्त विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से मुक्त विद्यालयी व्यवस्था का विस्तार किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा हेतु नेटवर्क स्थापित करने एवं समन्वय पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान (NIOS) द्वारा कक्षा VIII के समकक्ष, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य समूह अधिकांशतः अपवंचित और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बच्चे हैं। प्रौढ़ साक्षरों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं को भी मुक्त प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु देश के प्रमुख 150 स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी एवं सहयोग का विस्तार एक बड़ी उपलब्धि है। आगामी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इस कार्यक्रम का पुनः सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों के क्षमता संवर्द्धन हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरस्थ शिक्षा के तरीके इस प्रकार हैं :

- (i) सुविधावंचित बच्चों की शिक्षा जैसे अल्पसंख्यक समूह, बालिकाएँ, महिलाएँ, कामकाजी बच्चों, सड़क पर जीवनयापन करने वाले बच्चे, आदिवासी एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के युवा एवं बच्चों की विशेष आवश्यकतानुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास।

बाक्स 4.3 : श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, उड़ीसा

श्री रामकृष्ण आश्रम गैर-राजनैतिक, गैर-लाभकारी स्वयंसेवी संस्था है, जो दलितों एवं अपवर्चित वर्ग के कल्याण एवं सुधार हेतु कार्यरत है। यह संस्था श्री रामकृष्ण संस्था के वरिष्ठ मठवासियों के निर्देशन में कार्य करती है। इस संस्था की हितपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :-

- * गतिश्ल एवं बाह्य चिकित्सा विभाग (OPD) द्वारा यूनानी एवं होम्योथी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- * पास के विद्यालयों में पढ़ने वाले 50 विद्यार्थियों (अनु0जा0 एवं अनु0न0जा0) हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।
- * शराब एवं नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने हेतु नशीले पदार्थों के बारे में जाकारी, सलाह एवं सहायता प्रदान करना।
- * बुजुर्गों हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना (50 व्यक्तियों हेतु निशुल्क रहने की व्यवस्था)
- * राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने हेतु शोध करना।
- * कृषि व फल उत्पादन का विकास एवं ग्रामीण युवाओं एवं संस्था के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु छोटे से कृषि फार्म की व्यवस्था करना।

श्री रामकृष्ण आश्रम द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से अगस्त 1999 में नवाचारी शिक्षा परियोजना प्रारम्भ की गई। यह परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी जिले में संचालित की गई। यह परियोजना ग्रामीण एवं जनजातियों दोनों के लिए संचालित की गई, इसके अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के 50 विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। परियोजना केन्द्र में निवास करने वाले बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण, वर्दी, पाठ्यसामग्री, भोजन इत्यादि उपलब्ध करने हेतु निशुल्क व्यवस्था की जाती है। जबकि इन बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को परियोजना केन्द्र में प्रवेश दिलाने हेतु 100 रु0 प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। औपचारिक विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर (माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उड़ीसा) मूल्यपरक शिक्षा प्रदान की जाती है। भाषा (उड़िया एवं अंग्रेजी), गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं कला विषय पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पुस्तकालय की सुविधा भी प्रदान की जाती है। संदर्भदाताओं के द्वारा जनसधारण के साथ बैठकों एवं दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन करके सामाजिक जागरूकता का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक भागीदारी से बच्चों के ज्ञान के विभिन्न आयामों में वृद्धि होती है। बच्चों को अपनी जीविका स्वयं अर्जित करने हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से कृषि से सम्बन्धित शैक्षिक क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया जाता है।

- (ii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को मुख्य योजना के रूप में अपनाकर, कठिन पहुँच वाले स्थानों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने का प्रावधान। (iii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन कर, शिक्षणसामग्री को वेब-साइट पर डालना/अंकित करना। (iv) प्रारम्भिक स्तर पर मांग-आधाति परीक्षा (On-demand-examination) सुविधा का विस्तार।

शिक्षक के दक्षता संवर्द्धन हेतु कुछ प्रसिद्ध दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

- (i) ऑडियो-कांफ्रेंसिंग (ii) वीडियो-कांफ्रेंसिंग। सभी प्रकार के वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे-गैर-पारंपारिक, अनौपचारिक शिक्षा और नवाचारी शिक्षा कार्यक्रमों में टेली-कांफ्रेंसिंग का प्रयोग बढ़ रहा है।

कम्प्यूटर शिक्षा

प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए, जिससे बच्चे कम्प्यूटर से परिचित हो सकें। इसके लिए, कम्प्यूटर शिक्षा के तीन स्तर निर्धारित किए गए। प्रथम स्तर के अन्तर्गत बच्चों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता या कम्प्यूटर अभिमुखीकरण कार्यक्रम और द्वितीय स्तर पर कम्प्यूटर की सहायता से अधिगम (Computer-aided-learning) और तीसरे स्तर के अन्तर्गत कम्प्यूटर-आधारित-अधिगम (Computer-based-learning) होना चाहिए। वर्तमान में, देश में बहुत बड़ी संख्या में प्रारम्भिक विद्यालयों में बिगली कनेक्शन नहीं हैं एवं इन विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला बनाने हेतु संरचनात्मक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। शुरुआत में देश के प्रत्येक संकुल में एक या दो विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा सुविधा होनी चाहिए, ताकि पास के विद्यालयों के बच्चे भी सीख सकें, इस प्रकार लगभग 0,000 संकुलों की संख्या का आंगणन किया गया है। विद्यालयी संस्थाओं को कम्प्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से आपसी-सह-सम्बन्ध भौतिक सुविधाओं, विद्यालयी संरचना एवं विशेषज्ञता में आपसी सहयोग एवं क्षमता संवर्द्धन में सहायक होगा।

कम्प्यूटर-आधारित शिक्षा हेतु एक द्वि-स्तरीय कार्य योजना पर विचार किया गया। कार्य योजना के प्रथम चरण में रज्यों एवं नवीन इकाइयों का कम्प्यूटर कार्यक्रम एवं शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। कम्प्यूटर सहायित-शिक्षा और सूचना एवं संचार अभियांत्रिकी के क्रियान्वयन हेतु यह प्रथम सीढ़ी

है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत, इस क्षेत्र में, संस्थाओं का संरचनात्मक विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों के प्रयोग हेतु कार्य योजना का निर्माण। दोनों चरणों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु साथ-साथ प्रयास किया जायेगा। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों का कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अभिमुखीकरण एवं प्रयोग, कक्षाओं में अन्य प्रौद्योगिकी के अन्य तरीकों का प्रयोग कर डिजिटल फॉर्म में शैक्षिक सामग्री का निर्माण। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण में वर्तमान चुनौती यह है, कि उन्हें तैयार माड्यूल का प्रयोग करने हेतु उत्प्रेरित किया जाए। शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत देश की सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में संचालित देश के समस्त प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा का उपयुक्त माड्यूल आवश्यक रूप से होना चाहिए।

सूचना एवं जनसंचार, पक्षपोषण और सम्प्रेषण (Media, Advocacy and Communication)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आवाहन किया जाए। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार सभी इकाइयों, समाज एवं जिम्मेदार नेताओं के संवेदीकरण, संगठित रूप से कार्य करने एवं उत्प्रेरण हेतु सूचना एवं जनसंचार की कार्यनीति तैयार की जाए, ताकि हम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में समेकित प्रयास कर सकें। एक साथ कई सूचना एवं जनसंचार प्रौद्योगिकी माध्यमों के प्रयोग का अभियान चलाकर सूचना एवं जनसंचार पक्षपोषण, सम्प्रेषण हेतु अनेक संसाधनों जैसे सम्प्रेषण, लोक कलाओं एवं पारंपरिक तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग, छपी हुई सामग्री, विस्तृत प्रचार-प्रसार के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर, शिक्षा संदेश पहुँचाने हेतु पारंपरिक एवं लोक कला माध्यम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग एवं स्थानीय कलाओं का प्रभावी प्रयोग पर विशेष बल होना चाहिए। उन्नीसवीं सदी के सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की तरह ही सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का वातावरण सृजन करना चाहिए। सामाजिक जागृति अभियान कार्य योजना के अन्तर्गत सूचना एवं जनसंचार के नवीन तरीकों के साथ पारंपरिक तरीके और कला जत्था अभियान आदि को समेकित रूप से लागू करना चाहिए। समाज में सामाजिक जागरूकता एवं परिवर्तन लाने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, जुलूस/शोभा-यात्राएं एवं आपसी-संवाद अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हुए हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों/कोनों तक पहुँचने के लिए रेडियो का वृहद स्तर पर प्रयोग करना चाहिए।

सूचना एवं जनसंचार तथा सम्प्रेषण कार्य योजना का निर्माण निम्नांकित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया है :

- * जनसाधारण में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विचारों का आदान-प्रदान।
- * शिक्षा को अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु मीडिया पैकेज विकास एवं पक्षपोषण हेतु सूचना एवं जनसंपर्क माध्यमों का एक मंच के रूप में प्रयोग।
- * प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी की प्रभावी भागीदारी को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
- * प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों को दृष्टिगोचर बनाने एवं इस क्षेत्र में मुख्य मुद्दों एवं चुनौतियों को सामने लाने को बढ़ावा देना।
- * विधान सभा सदस्यों, कानूनविद् और नीति निर्धारकों एवं सलाहकार को संगठित रूप से एक मंच पर लाना।
- * शिक्षा के लिए जिम्मेदार समस्त आयामों, समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO), स्थानीय निकायों, योजना क्रियान्वयन करने वाली समस्त इकाइयों को एक साथ एकत्र करना।
- * सूचना एवं जनसंचार माध्यमों के प्रभावी प्रयोग हेतु राज्यों एवं अन्य स्वनिर्णयित इकाइयों का क्षमता संवर्धन।

बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण

बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण का परिप्रेक्ष्य एवं रूपरेखा

शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में कमी की अद्यतन स्थिति के कारण भारत में महिला-सशक्तीकरण पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या के कई निश्चित भागों में इस शैक्षिक पिछड़ेपन से बालिकाएँ न केवल व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास से वंचित हैं, बल्कि इससे देश के विकास की गति भी धीमी पड़ गई है, परिणामस्वरूप यह आंकड़े विकास-सूचकों में एकतरफा उपलब्धि के द्योतक हैं।

बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का सभी के लिए शिक्षा (EFA) के लक्ष्यान्तर्गत क्रियान्वयन किया जा रहा है। यदि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भारत में बालिकाओं को शिक्षित करने की नीतिगत वातावरण की गम्भीरता से पहचान की जा चुकी है। बालिका एवं महिला समर्थन का संवैधानिक रुख इस बात का द्योतक है कि लैंगिक मतभेद को मिटाकर महिलाओं एवं बच्चों के मूलभूत अधिकारों की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को सशक्त अधिकार दिया गया है।

लैंगिक मतभेद और महिला एवं बालिकाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में कामयाबी हासिल करने के लिए राज्यों द्वारा विशेष नीतियों एवं कार्यक्रमों की संरचना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986-NPE) के अनुसार, अभी तक समानता के अधिकार से वंचित लोगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु असमानता को पूरी तरह से मिटा कर, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है "रा.शि.नी.-1986, पृ. 7"।

भारतीय शिक्षा के संदर्भ में इसे एक बदलाव की तरह देखा गया जिसके फलस्वरूप शिक्षा और विकास के समस्त पाठ्यक्रमों में महिलाओं की समान भागीदारी को एक मुख्य मुद्दे के रूप में लाया गया। "महिलाओं के स्तर में मुख्य परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को एक

बाक्स 5.1 : बालिका शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु समेकित प्रयास किये बिना शिक्षा के सार्वभौमीकरण तक नहीं पहुँचा जा सकता। जो बालिकाएँ औपचारिक विद्यालय नहीं जा पाती हैं, एवं जो बालिकाएँ विद्यालय छोड़ देती हैं, उन तक शैक्षिक अवसर पहुँचाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा को माध्यम बनाया गया है। विद्यालय न जाने वाले बच्चे एवं किशोरियों को औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए ताकि इनको तकनीकी एवं व्यावसायिक धारा में सम्मिलित होने में कठिनाई न हो।

ग्रामीण बालिकाएँ दो प्रकार से शिक्षा से अपवंचित हैं, पहला कारण शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं दूसरा कारण, घरेलू कार्यों में बालिकाओं की संलग्नता जैसे-ईंधन की व्यवस्था, जल एवं जानवरों के चारे की व्यवस्था, भाई-बहनों की देखभाल एवं वेतनभोगी कार्य इत्यादि। यद्यपि अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी, प्रदर्शन में वृद्धि करने हेतु आवश्यक अनुसमर्थन सेवाएँ प्रदान की जा सकें। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सम्पूर्ण कार्यक्रम में बाल्य देखरेख सुविधाओं एवं अनुसमर्थन सेवाएँ प्रदान करने का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

सभी को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर अनेक पूर्वगामी प्रयासों में अत्यधिक रुचि परिलक्षित हुई। इन प्रयासों के अन्तर्गत विद्यालय मध्य में ही छोड़ने वाले बच्चों, कामकाजी बच्चों, बालिकाएं जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पातीं एवं सुविधावंचित/अपवंचित समूहों की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत इस तथ्य की तत्काल पूर्ति का अनुभव किया गया।

माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा।" इस क्षेत्र में पूर्व हुए नुकसान को प्रभावहीन बनाने के लिए, महिला समर्थन में सोची-समझी-सीमा रेखा तैयार की गई। इसके अन्तर्गत सामाजिक विश्वास पाने का एक प्रयास किया गया तथा महिलाओं में निरक्षरता उन्मूलन एवं प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं की पहुँच एवं ठहराव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया। अतः समयबद्ध लक्ष्यों का निर्धारण कर समर्थन सेवाएँ प्रदान करना एवं प्रभावी अनुश्रवण का प्रावधान है। (Chapter IV, Page 6, Paragraph 4.2 and 4.3, NPE-1986, Government of India 1986)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए बालिकाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु समेकित प्रयास करने होंगे। 1980 के दशक के मध्य तक समस्त प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन नीतियों को लागू करने हेतु संभावी कार्यक्रम एवं संस्तुतियाँ तैयार की गईं।

1980 के दशक के अन्त में एवं 1990 के दशक के पूर्व में बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तीव्र गतिशीलता प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी के प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों जैसे-आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश, बिहार शिक्षा योजना और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से यह संकल्प लिया गया कि विद्यालय नामांकन में ठहराव एवं अधिगम में लैंगिक असमानता एवं भेदभाव को कम किया जाएगा अतः परियोजना हेतु जनपदों का चुनाव करते समय बालिका साक्षरता दर को आधार बनाया गया।

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में योजना निर्माणकर्ता, क्रियान्वयनकर्ता एवं योजना प्रबन्धक, सभी के द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लैंगिक असमानता को दूर कर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए बालिका शिक्षा पर पुनः विशेष ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया जा रहा है।

वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन राज्यों में महिला सशक्तीकरण के समस्या-समाधान के रूप में शिक्षा को माध्यम बनाया गया। इस आधुनिकतम शुरुआत से, इस कार्यक्रम का विस्तार देश के अन्य भागों में भी हो गया एवं दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इसे पुनः पूरे आत्मसम्मान एवं संतुलन के साथ ऊपर उठाया जा रहा है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के अनुसार महिला शिक्षा की विशेष आवश्यकता को पुनः बल मिला। इस राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं तक शिक्षा सुविधा की पहुँच सुनिश्चित करना, प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करने हेतु असमानता दूर करने के लिए विशेष प्रयासों को अपनाना, निरक्षरता को समाप्त करना, शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता का विकास, बालिका नामांकन एवं ठहराव की दर में वृद्धि एवं अधिगम को स्थायी बनाने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता विकास एवं साथ ही व्यावसायिक एवं तकनीकी दक्षताओं के विकास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लैंगिक असमानता के अन्तर को कम करना, समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्तमान नीतियों लैंगिक-संवेगों पर आधारित पाठ्यक्रम का विकास इत्यादि पर राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के अन्तर्गत विशेष बल दिया गया है।

सभी को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर अनेक पूर्वगामी प्रयासों में अत्यधिक रुचि परिलक्षित हुई। इन प्रयासों के अन्तर्गत विद्यालय मध्य में ही छोड़ने वाले बच्चों, कामकाजी बच्चों, बालिकाएं जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पातीं एवं सुविधावंचित/अपवंचित समूहों की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत इस तथ्य की तत्काल पूर्ति का अनुभव किया गया। परिणामस्वरूप, इन योजनाओं को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई, इन आंकड़ों को "एशिया-पेसिफिक-क्रांफ़ेन्स ऑन ई.एफ.ए. 2000 ऐसेसमेन्ट" में रिकॉर्ड किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि एवं शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा की वृद्धि में लैंगिक आधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित था।

नीति से परिवर्तन की ओर

प्रगति सूचक नीति निर्देशकों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं कि मूलभूत वास्तविक परिवर्तन हो। इसके लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन स्तर पर नीतिगत सिद्धान्तों का पूरी तरह से प्रयोग करना आवश्यक है, तभी वास्तविक परिवर्तन हो सकता है। भारत के संदर्भ में, बालिका शिक्षा के स्तर पर पूर्ण रूप से अनुकूल प्रभाव डालने हेतु नीतियों को क्रियात्मक रूप में परिवर्तित करना एक वास्तविक चुनौती है। भारतीय परिदृश्य में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के कार्य का विस्तार प्रबल चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। इस कार्य के अन्तर्गत बालिका शिक्षा की दर का बालकों की तुलना में कम होना अति संवेदनशील

सारणी 5.1 : महिला शिक्षा के आधार वर्ष 1950/1960

1950	महिला साक्षरता	8.86 %
	बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (प्राथमिक)	24.8 %
	बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (उच्च प्राथमिक)	4.6 %
1960-61	शालात्याग दरें (प्राथमिक)	70.9 %
	शालात्याग दरें (उच्च प्राथमिक)	85.0 %

है। शिक्षा प्रक्रिया में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए गम्भीर प्रयास करने होंगे।

वर्ष 1950-51 से वर्ष 2000-2001 तक प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की कुल नामांकन दर में 5.4 मिलियन (28.1 प्रतिशत) से 49.8 मिलियन (43.7 प्रतिशत) वृद्धि हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1950-51 में 0.5 मिलियन बालिकाएँ (कुल नामांकन का 16.1 प्रतिशत) नामांकित थीं। वर्ष 2000-2001 में बालिका नामांकन का आंकड़ा बढ़कर 17.5 मिलियन हो गया (कुल नामांकन का 40.9 प्रतिशत)।

वर्ष 1950-51 में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन स्तर 0.5 मिलियन था (जो कुल नामांकन का 16.1 प्रतिशत था)। वर्ष 2002-2001 में बालिकाओं का नामांकन स्तर बढ़कर 17.5 मिलियन हो गया। बालिका शिक्षा के कठिन सूचकांकों की दशकवार स्थिति ऊपर दी गई सारणी 5.4 में दर्शायी गई है।

सारणी 5.4 में बालिका शिक्षा के मुख्य सूचकांकों की वर्तमान स्थिति दर्शायी गई है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में बालिकाओं की नामांकन एवं उहराव की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लैंगिक असमानता में काफी

सारणी 5.2: बालिका शिक्षा की दशकीय स्थिति

वर्ष	नामांकन (%)		शालात्याग (%)		सकल नामांकन अनुपात	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1950-51	28.1	16.1	अनु.	अनु.	24.8	4.6
1960-61	32.6	23.9	70.9	85.0	41.4	11.3
1970-71	37.4	29.3	70.9	83.4	60.5	20.8
1980-81	38.6	32.9	62.5	79.4	64.1	28.6
1990-91	41.5	36.7	46.0	65.1	85.5	47.0
1999-00	43.6	40.4	42.3	58.0	85.2	49.7
2000-2001	43.7	40.9	41.9	57.7	85.9	49.9

स्रोत : चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, 2000-01, अनु. = अनुपलब्ध

सारणी 5.3 : प्राथमिक शिक्षा में बालक-बालिका असमानता

वर्ष	कुल नामांकन में बालिका का प्रतिशत		शालात्यागी (%)				सकल नामांकन अनुपात			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
			B	G	B	G	B	G	B	G
1950-51	28.1	16.1	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	60.6	24.8	20.6	4.6
1960-61	32.6	23.9	61.7	70.9	75.0	85.0	82.6	41.4	33.2	11.3
1970-71	37.4	29.3	64.5	70.9	74.6	83.4	95.5	60.5	46.5	20.8
1980-81	38.6	32.9	56.2	62.5	68.0	79.4	95.8	64.1	54.3	28.6
1990-91	41.5	36.7	40.1	46.0	59.1	65.1	114.0	85.5	76.6	47.0
1999-00	43.6	40.4	38.7	42.3	52.0	58.0	104.1	85.2	67.2	49.7
2000-2001	43.7	40.9	39.7	41.9	50.3	57.7	104.9	85.9	66.7	49.9

स्रोत: चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, 2000-01, अनु. = अनुपलब्ध

सारणी 5.4 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बच्चों के सकल नामांकन अनुपात में लैंगिक भेद

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (%) अनुसूचित जाति				सकल नामांकन अनुपात (%) अनुसूचित जनजाति			
	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1986-87	103.8	64.8	52.7	26.6	111.0	68.0	45.6	21.9
1996-97	100.8	76.2	64.3	44.2	113.7	83.3	58.3	36.6
2000-2001	107.3	85.8	76.2	53.3	116.9	85.5	72.5	47.7

स्रोत : चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी, 2000-01

सारणी 5.5 : बालिका शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत संकेतांक, 2001

संकेतांक	कुल	पुरुष	महिला
जनसंख्या	1,027,015,247	531,277,078	495,738,169
साक्षर	566,714,995	339,969,048	226,745,947
निरक्षर	296,208,952	106,654,066	189,554,886
विद्यालय से बाहर बच्चे (6-14)	59,000,000	24,000,000	35,000,000
नामांकन (प्राथमिक)	113,600,000	64,000,000	49,800,000
नामांकन (उच्च प्राथमिक)	42,060,000	25,300,000	17,500,000

स्रोत : चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी, 2000-01

कमी आई है, फिर भी लैंगिक भेदभाव अभी भी व्याप्त है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी कमी आई है, परन्तु ऊपर दी गई सारणी के अनुसार, लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है।

बालिका शिक्षा की मुख्य चुनौतियां

प्रारम्भिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी के मार्ग में अनेक अवरोध हैं। समय के साथ बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा के संदर्भगत एवं प्रतिक्रियात्मक नियोजन हेतु इसके मार्ग में आने वाली रुकावटों की पहचान करना आवश्यक हो जाता है। डी.पी.ई.पी.

योजनान्तर्गत, विशेष शोध अध्ययनों के माध्यम

से प्रारम्भिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करने वाले मुख्य कारणों की पहचान करने हेतु एक सुनियोजित कार्य योजना बनाई गई। बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के सुदृढीकरण हेतु कार्य योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन करते समय बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले सभी चिह्नित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। इन कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक मुख्य रूप से चिह्नित किये गए। यह कारक विद्यालयी वातावरण में भी जड़ जमाए हुए थे। शोध अध्ययन के अनुसार बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं :-

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

- ★ बालिका शिक्षा की माँग में वृद्धि होने के बावजूद, यह माँग अभी तक सार्वभौमिक नहीं है। अधिकांश समुदाय ऐसे हैं जो अभी भी बालिकाओं को विद्यालय भेजना उचित नहीं समझते हैं। यदि बालिकाओं को विद्यालय भेजते भी हैं, तो किशोरावस्था प्रारम्भ होने के पूर्व ही विद्यालय से बाहर निकाल लेते हैं।
- ★ जहाँ पर विद्यालय दूरी पर स्थित हैं, वहाँ पर बालिकाओं की सुरक्षा, उन्हें विद्यालय से बाहर रखने का कारण बन जाता है।
- ★ बालिकाओं का विद्यालय छोड़ने का एक मुख्य कारण जल्दी विवाह होना भी रहा है।
- ★ विद्यालय से बाहर रहने वाली अधिकतर बालिकाएँ उन परिवारों से आती हैं जिनकी प्रथम-पीढ़ी विद्यालय आ रही है। बालिका शिक्षा के संबंध में अभिभावकों के दृष्टिकोण में अन्तर होने एवं उनका स्वयं अनपढ़ होना भी बालिकाओं को विद्यालय से बाहर रखने का कारण है।

आर्थिक कारक

बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को बालिका शिक्षा लागत एवं विद्यालय भेजने की अवसर लागत में विभाजित किया जा सकता है-

- ★ यद्यपि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क है, फिर भी बालिका शिक्षा पर आने वाली लागत एक रुकावट के रूप में कार्य करती है। विद्यालय शुल्क के अतिरिक्त अन्य खर्च जैसे किताबें-कॉपी का खर्च, वर्दी/पोशाक इत्यादि। शिक्षा में बालकों को प्राथमिकता भी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के अवसर कम कर देती है।
- ★ बालिका शिक्षा में सबसे बड़ा अवरोध, इन खर्चों के अतिरिक्त, उन्हें विद्यालय भेजने की अवसर

लागत है। बालिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों में काम/रोजगार में संलग्न हैं, जो गरीब परिवारों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिवार के जीवनयापन पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के अन्तर्गत ही बालिकाओं पर गृह-कार्य एवं छोटे भाई-बहनों की परिचर्या एवं देखभाल के कार्यों का दायित्व होता है क्योंकि उनकी मां बाहर काम पर/मजदूरी कर परिवार की आय में सहयोग देती है। भारत में, मौसम के अनुसार बालिकाओं की अनियमित उपस्थिति एक अलग कारण है।

कभी-कभी ऐसा समय भी आता है, जब घर पर काम बढ़ जाता है जैसे त्योहारों के समय, शादी, कृषि/खेती का मौसम इत्यादि, तब बालिकाओं से इन दायित्वों के निर्वाहन में सहयोग की अपेक्षा की जाती है। लम्बे समय तक विद्यालय में अनुपस्थिति बालिकाओं का विद्यालय छोड़ने का कारण बन जाती है।

- * इसी प्रकार, पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग, मुख्य रूप से बुआई और कटाई का समय, बालिकाओं को विद्यालय से दूर कर देता है। कई क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य बालिकाओं को विद्यालय से बाहर रखने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

विद्यालय का वातावरण

कभी-कभी, विद्यालय का वातावरण अनुकूल न होने के कारण बालिकाओं की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है—

- * मुख्य रूप से उच्च स्तर पर, बालिकाओं को विद्यालय से दूर रखने का कारण विद्यालयी संरचना का अनुकूल न होना जैसे चहारदीवारी एवं बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था न होना। मुख्य बाजार में स्थित विद्यालय में यदि चहारदीवारी नहीं है या विद्यालय बिल्कुल अलग-थलग निर्जन स्थान पर स्थित है, तब भी बालिकाओं की विद्यालय में भागीदारी प्रभावित होती है।
- * महिला शिक्षकों की कमी एवं बालिकाओं की सुरक्षा का भय, बालिका शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है।
- * बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने में, शिक्षकों की तरफ से संवेदनशीलता में कमी बालिकाओं को अनुकूल अधिगम वातावरण से वंचित करती है। कक्षा में बालिकाओं की भागीदारी को प्रभावित करने में बालिकाओं की समस्याएं जैसे पढ़ने के लिए समय की कमी, पढ़ाई हेतु घर पर प्रोत्साहन की कमी, कुपोषण इत्यादि मुख्य कारण है।
- * कक्षा-कक्ष का सम्पूर्ण वातावरण जिसमें परंपरागत तौर पर बालकों की तुलना में बालिकाओं के आत्मसम्मान और शिक्षा को कम प्रमुखता दी जाती है।
- * पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में भी लैंगिक पक्षपात के परंपरागत तरीकों से भी पूर्णतः मुक्ति नहीं हुई है।

सरकारी कार्यक्रम

बालिकाओं एवं महिलाओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए, जो बालिका एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। बालिकाओं के मध्य प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु आ रही रुकावटों/अड़चनों को दूर करने के लिए इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय-समय पर किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम वर्तमान में भी गतिमान है, इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

अनौपचारिक शिक्षा

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत, 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए वर्ष 1979-80 से मार्च 31, 2001 तक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। शिक्षा के दायरे से छूट रहे कामकाजी बच्चों एवं एक बड़ी संख्या में बालिकाओं को चिन्हांकित करते हुए, अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत विकेंद्रित प्रबंधन व्यवस्था द्वारा आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम की संबद्धता एवं अधिगम क्रियाओं में विविधता को अपनाकर सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु छूट प्रदान की गई है।

25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य एवं इसके अतिरिक्त पर्वतीय, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले कामकाजी बच्चों पर विशेष बल दिया गया। सम्पूर्ण देश में कुल 241,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में

बालिकाओं एवं महिलाओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए, जो बालिका एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। बालिकाओं के मध्य प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में आ रही/अड़चनों को दूर करने के लिए इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय-समय पर किया गया।

महिला समाख्या
योजनान्तर्गत प्रत्येक
गांव में महिलाओं की
बैठक हेतु जगह देने का
प्रावधान है जहाँ पर
महिलाएं मिलकर
सामूहिक रूप से
समस्याओं पर प्रकाश
डाल सकें, प्रश्न कर
सकें, भयमुक्त होकर
अपनी-अपनी बात कह
सकें, विचार कर सकें,
समीक्षा कर सकें, एवं
सबसे महत्वपूर्ण बात
यह है कि आत्मविश्वास
से अपनी आवश्यकताओं
के बारे में विचार-
विमर्श कर अपनी
बात कह सकें।

118,000 केन्द्र विशेष रूप से बालिकाओं के लिए थे। संसदीय स्थायी कार्य समिति (Parliamentary Standing Committee,) योजना आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा योजना को परिमार्जित कर शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजनान्तर्गत आवासीय क्षेत्रों तक शिक्षा सुविधा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु लचीली कार्य योजनाओं हेतु आवासीय शिविर, विद्यालय वापिस चलो शिविर, सेतु पाठ्यक्रम इत्यादि का प्रावधान है। इस योजना का यह नवीन रूप इन केन्द्रों को सामुदायिक प्रबंधन व्यवस्था हेतु आदेशित करता है।

महिला समाख्या : महिला समानता हेतु शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को मूलरूप में क्रियान्वयन स्तर पर लाने हेतु महिला समाख्या योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण सृजन कर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा हेतु प्रेरित कर संगठित किया गया। वर्ष 1989 में इस योजना को शत-प्रतिशत डच-सहायित योजना के रूप में लागू किया गया, बाद में इस योजना का विस्तार कुछ राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहायता से किया गया। वर्तमान में, देश के दस राज्यों में लगभग 9000 से ऊपर गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन चल रहा है।

महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारम्भ, महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक क्षेत्र के मूलभूत मुद्दों जैसे- निम्न जीवन स्तर, जीवन यापन में कठिनाई और गरीबी इत्यादि को लेकर किया गया, इसलिए यह कार्यक्रम शिक्षित महिलाओं को इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने में सहायता करने वाला मुख्य आधार है। महिला समाख्या के अन्तर्गत, समानता तक पहुँचने की मुहिम में शिक्षा को ही मुख्य आधार बनाया गया।

इस कार्य योजना के अन्तर्गत महिलाओं तक जानकारी, सूचना, शिक्षा, न्याय इत्यादि की पहुँच में बाधा उत्पन्न करने वाले समस्त सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों को नियंत्रित करने के लिए अब तक किये गये थोड़े-थोड़े प्रयासों की पहचान समस्या का समाधान न निकाल पाने के रूप में की गई। एक दूसरे पर दबाव डालते हुए व्यक्तिगत कारणों के मध्य जटिल-सह-सम्बन्ध को व्यक्ति एवं समाज की सोच में मुख्य परिवर्तन महिलाओं की स्वयं-निर्देशित स्वयं-चालित योजनाओं के तहत क्रियात्मक भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता है। निष्क्रिय स्थिति से उबरने के लिए महिलाएँ अपनी विषम परिस्थितियों को स्वीकार कर और अपने आसपास के संसार से कल्याण एवं सहायता की उन्मीद करती हैं एवं अपने को सक्षम बनाने हेतु स्वयं क्रियाशील रहती हैं। महिला समस्या में शिक्षा के द्वारा सशक्तीकरण की प्रक्रिया अंतर्निहित है। महिलाएँ प्रश्न करने, विश्लेषण करने एवं सोचने तथा कार्य करने की नवीन शैली, एवं चुनकर अपनी कार्यशैली निर्धारित करने में सक्षम हो जाती हैं।

महिला संघ एवं महिला समूह

महिला समाख्या योजनान्तर्गत प्रत्येक गांव में महिलाओं की बैठक हेतु जगह देने का प्रावधान है जहाँ पर महिलाएं मिलकर सामूहिक रूप से समस्याओं पर प्रकाश डाल सकें, प्रश्न कर सकें, भयमुक्त होकर अपनी-अपनी बात कह सकें, विचार कर सकें, समीक्षा कर सकें, एवं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास से अपनी आवश्यकताओं के बारे में विचार-विमर्श कर अपनी बात कह सकें। महिलाओं द्वारा उजागर की गई आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसमर्थन सेवाएं, महिला शिक्षण केन्द्र और पूर्व बाल्यकाल एवं परिचर्या केन्द्रों की चरणबद्ध तरीके से स्थापना की गई।

महिला समाख्या के समस्त क्रियाकलापों में मुख्य रूप से जीवन-कौशल हेतु शिक्षा का प्रावधान है और यह शिक्षा अधिकतर अंतःक्रियात्मक व्यवहार एवं अशाब्दिक पद्धति से संप्रेषित की जाती है, सूचनाओं एवं ज्ञान का संकलन एवं प्रभावी प्रयोग ही मुख्यतः इस शिक्षा का लक्ष्य है। शिक्षा का यह माध्यम साक्षरता से अलग है क्योंकि संघ की अधिकतर महिलाएं अनपढ़ या मात्र साक्षर होने के बावजूद भी, कार्यशालाओं एवं बैठकों के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में सूचना एकत्र कर, अपनी दैनिक दिनचर्या में

उनका प्रयोग करती हैं, विशेष रूप से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जैसे—स्वास्थ्य, पर्यावरण, कानून इत्यादि के क्षेत्र में। इससे उन्हें न केवल स्वयं समस्याओं का सामना करने में मदद मिलती है बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी, विद्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, बैंक, पुलिस स्टेशन, न्यायालय इत्यादि तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करती हैं। इन सभी क्षेत्रों में सफलता हेतु साक्षरता की आवश्यकता होती है।

संघ कार्यक्षेत्र एवं क्रियाकलापों की सीमा, विस्तार एवं पहुँच मुख्य नागरिक सेवाओं, स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने हेतु सीख, अपने बच्चों मुख्य रूप से बालिकाओं को सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु वचनबद्धता, स्वयं को साक्षर बनाने हेतु कड़ी मेहनत एवं प्रयास, परंपरागत लैंगिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। महिलाओं को नए कौशल सीखने का अवसर देना; जैसे—मैकेनिक बनना, पंचायती राज प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी, कानूनी तौर-तरीकों को समझना और सामाजिक एवं प्रशासनिक ढांचे की कार्यप्रणाली को समझना, एवं अपनी पहचान बनाने एवं समाज में मजबूती हासिल करने, प्रभावी ढंग से सेवाएँ पहुँचाने, महिलाओं के प्रति हिंसात्मक रवैये एवं बाल विवाह आदि का आत्मविश्वास के साथ विरोध करना इत्यादि।

महिला समाख्या कार्यक्रम वाले समस्त राज्यों में इस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया का बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। इन सभी में, महिलाएं सीख रहीं हैं कि समस्याएं क्यों विद्यमान रहती हैं, क्या-क्या रुकावटें हैं, जैसे सामाजिक या संरचनात्मक समस्याओं के समाधान में बाधा उत्पन्न करती हैं, इन समस्याओं के समाधान हेतु कहाँ मदद ली जा सकती है, मुख्य रूप से समस्या के समाधान को सही दिशा देने में आवश्यकतानुसार स्वयं प्रयास करना। उदाहरण के लिए एक छोटी सी शुरुआत के रूप में जैसे—राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना, सार्वजनिक स्थान तक पहुँच सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त करना, जीवनयापन से जुड़े मुद्दों के अतिरिक्त सामाजिक क्रियाकलाप सम्बन्धी बातों पर भी छोटे-छोटे संघों में बातचीत के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करना, विशेषतः महिलाओं को सहयोग प्रदान करना। आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बालिकाओं को जोगिनी/देवदासी प्रथा में जाने हेतु प्रेरित करने से रोकने में महिला संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाल विवाह के विरोध में एवं बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में संघों का निर्णय अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु महिला संघों ने स्वयं के लिए साक्षरता की मांग की और बालिका शिक्षा के मुद्दे को सामने रखा। अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना, शिक्षक उपस्थिति का अनुश्रवण इत्यादि अनेक स्थानों में, महिला संघों की मुख्य गतिविधियाँ थीं।

महिलाओं को संगठित करने का एक रुचिपूर्ण परिणाम यह हुआ कि कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका एवं किशोर शिक्षा का मुद्दा उभर कर आया। कई राज्यों में, किशोरियों के फोरम उभर कर आये। जहाँ पर उनके जीवन से सम्बन्धित स्वास्थ्य, कानूनी शिक्षा के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। महिला शिक्षण केन्द्र किशोरियों एवं कम उम्र की महिलाओं के लिए विशेष अधिगम अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय आवश्यकतानुसार तैयार किये गये आवासीय कार्यक्रमों के केन्द्रबिन्दु एवं पाठ्यक्रम में अन्तर पाया जाता है।

इस प्रक्रिया से अनेक नवाचारी एवं लैंगिक-संवेदनशीलता पर आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप उभरकर आये। इसके अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में 9 वर्ष से ऊपर की कामकाजी बालिकाओं हेतु तैयार किए गए बाल मित्र केन्द्र, बिहार में जगजाजी केन्द्र, किशोरियों के लिए तैयार किए गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, किशोरी संघ इत्यादि आते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक संस्थान उभर कर आए जैसे—बालिका/महिला शिक्षा केन्द्र, जगजागीस, किशोरी संघ और बाल मित्र केन्द्र इत्यादि, जो विद्यालय बीच में ही छोड़ने वाली बालिकाओं, किशोरियों एवं कामकाजी बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्यक्रम चलाते हैं। महिला समाख्या प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता पर आधारित बच्चों की शिक्षण व्यवस्था/प्रक्रिया, शिक्षक अधिगम सामग्री का विकास किया गया। सत्रह

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बालिकाओं को जोगिनी/देवदासी प्रथा में जाने हेतु प्रेरित करने से रोकने में महिला संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाल विवाह के विरोध में एवं बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में संघों का निर्णय अति महत्वपूर्ण है।

शिक्षा

राज्यों के 240 जिलों के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में इस योजना का विस्तार किया गया।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और सबके लिए शिक्षा की अन्य परियोजनाएं

वर्ष 1987-88 में प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना प्रारम्भ की गई। वर्तमान में इसे सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसे विकास खण्ड जहाँ महिला साक्षरता दर कम हैं, वहाँ पर इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के क्षमता संवर्द्धन में अतिरिक्त महिला शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करने का प्रावधान है। इस योजनान्तर्गत मुख्य रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया, इसके लिए वर्ष 1993-94 में योजना को पुनः संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक महिलाएँ होनी चाहिए।

प्राथमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राज्यों द्वारा स्वयं की आवश्यकता के अनुसार राज्य-विशेष सम्पूर्ण कार्यक्रम को कुछ राज्यों में लागू किया गया जैसे-आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (APPEP), बिहार शिक्षा योजना (BEP), उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (UPBEP) और राजस्थान में लोक जुम्बिश इत्यादि। इन सभी कार्यक्रमों में बालक-बालिकाओं के मध्य शैक्षिक समानता का लक्ष्य रखा गया एवं सभी कार्यक्रम परिणाम अभिमुखीकरण पर आधारित थे।

लैंगिक-संवेदनशीलता का वातावरण सृजन हेतु विशेष प्रयास किए गए। लैंगिक असमानता के अन्तर को कम करने को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की जागरूकता मुख्यतः महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए गए।

उपर्युक्त सभी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में, महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया गया। महिला शिक्षकों द्वारा अनुभव की जा रही, कार्य क्षेत्र एवं घरेलू वातावरण सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करते हुए, लोक जुम्बिश द्वारा महिला शिक्षकों हेतु एक अध्यापिका मंच की स्थापना की गई। ये संगठन लैंगिक मुद्दों/समस्याओं पर विशेष ध्यान देने/समाधान ढूँढने का कार्य करते हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP)

बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा बालिका शिक्षा हेतु पुनः प्रयास किए गए। डी.पी.ई.पी. योजना एक राष्ट्रीय प्रयास है इसके अन्तर्गत लैंगिक, सामाजिक विषमताओं को दूर करते हुए शिक्षा की पहुँच, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्णता आधारित कार्यक्रम विधा अपनाई गई। वर्ष 1994 में देश के 42 जनपदों में डी.पी.ई.पी. योजना लागू की गई, अब देश के 18 राज्यों के 271 जिले डी.पी.ई.पी. योजना से आच्छादित हैं।

कार्यक्रम योजना के समस्त पहलू लैंगिक और समानता पर मुख्य रूप से केन्द्रित हैं। यह कार्यक्रम कम-महिला-साक्षरता दर वाले जिलों में लागू किया गया। यद्यपि, डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत क्रमबद्ध परिवर्तन हेतु प्रयास किए गए इसके अन्तर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु समेकित प्रयास किए गए, जैसे-योजना का नियोजन एवं प्रबंधन, बाल-शिक्षण विद्या में सुधार, बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास एवं सामुदायिक जागरूकता एवं भागीदारी हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं प्रबंधन इत्यादि।

परियोजना निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण की सम्पूर्ण प्रक्रिया लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में की गई। वार्षिक कार्य योजनाओं में लैंगिक-आधारित-कार्यक्रम स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए। कार्यक्रम के अन्तर्गत लैंगिक असमानता के पहलू को आधार बना कर प्रस्तुत किया गया, राज्य एवं जिला स्तर पर लैंगिक-समन्वयक की नियुक्ति की गई। कुछ राज्यों में ग्रामीण स्तर पर, ग्राम शिक्षा समिति में महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य रूप से प्राविधानित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं का लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम एक मुख्य एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक सुविधा उन्नयन के अन्तर्गत, बस्ती के निकट नवीन विद्यालय की स्थापना, पेयजल एवं शौचालय सुविधा की व्यवस्था करना इत्यादि से बालिका नामांकन एवं ठहराव पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

बालिका शिक्षा को समुदाय की इच्छा और सक्रिय भागीदारी एवं समर्थन के बगैर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस तथ्य की पहचान करते हुए, डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत, सामुदायिक जागरूकता एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं कार्यक्रम के प्रति दायित्व की भावना का सृजन करने हेतु अनेक कार्यनीतियाँ अपनाई गईं। महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के समेकित एक सूत्रीय प्रयासों के द्वारा महिला जागृति आई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय की संस्थागत भागीदारी ग्राम शिक्षा समितियों, मातृ शिक्षक संघ, अभिभावक-शिक्षक संघ, मातृ समिति और स्वयं-सेवित-समूह इत्यादि के माध्यम से शैक्षिक व्यवस्था/प्रक्रिया के प्रति दायित्व निर्वहन में वृद्धि हुई है।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत बालिकाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने से महिलाओं की भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनेक प्रकार से प्रभाव डालती है।

शिक्षा की पहुँच को आसान बनाने के लिए, विद्यालय हेतु स्थान का चुनाव एवं वैकल्पिक विद्यालयी व्यवस्था एवं पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्रों इत्यादि पर भी प्रभाव डालने में सक्षम हैं। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु समुदाय स्तर पर अपनी राय निर्धारित करने में भी इनकी भूमिका उभर कर आई है। महिला जागरूकता का एक महत्वपूर्ण परिणाम, बाल-विवाह एवं बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण आदि मुद्दों पर समुदाय का ध्यान केन्द्रित करने के रूप में सामने आया है।

अनेक अनुसमर्थन सुविधाओं के माध्यम से जैसे ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना से बालिकाओं को अपने भाई-बहनों की देखभाल के दायित्व से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है, जिससे वे विद्यालय जा सकें। महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता मिली है। वर्तमान में संचालित आई.सी.डी.एस. केन्द्रों का पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन/सुदृढीकरण एवं इन केन्द्रों के समय सारिणी निर्धारण को प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी के अनुसार निर्धारित करने से बालिका शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कामकाजी बालिकाओं, अल्पसंख्यकों एवं अन्य अपवंचित समूह हेतु शैक्षिक सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक-नवाचार-विद्यालयी व्यवस्था एक प्रभावी प्रयास के रूप में उभरी है। सुविधाएं उपलब्ध कराने और शैक्षिक अनुसमर्थन हेतु वातावरण सृजन के अतिरिक्त, डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत लैंगिक-संवेदनशीलता पर आधारित शिक्षण विद्या, लिंग आधारित सामाजिक जटिलताओं के प्रति शिक्षकों का संवेदीकरण जिससे वे बालिकाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले कारणों के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण परिवर्तित कर भेदभाव रहित हो कर इन कारणों का सामना करने में समर्थ हो सकें। सभी राज्यों में लैंगिक समानता-असमानता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम एवं अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। लैंगिक संवेदीकरण हेतु समेकित-प्रयासों जैसे पाठ्यपुस्तकों का नवीनीकरण, शिक्षक/शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण साहित्य का विकास इत्यादि की पुष्टि प्रभावी योजना के रूप में की जा चुकी है।

बालिकाओं विशेषतः अनु.जा./अनु.जन.जा. की बालिकाओं के नामांकन पर इस कार्य योजना का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। बालिकाओं को विद्यालय भेजने की आवश्यकता को अभिभावक एवं समुदाय पहचान चुका है और वे अब बालिकाओं को विद्यालय भेजने के इच्छुक हैं। सामुदायिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु सकारात्मक वातावरण सृजन से डी.पी.ई.पी. योजना से आच्छादित जनपदों में अन्य जनपदों की तुलना में बालिका नामांकन दर में वृद्धि हुई है।

इन प्रयासों के सकारात्मक परिणामों ने निश्चित रूप से बालिका शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को नजदीक ला दिया है। फिर भी प्राथमिक स्तर पर अभी भी कुछ अन्तरो का सामना करना है एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर तो और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

बालिका शिक्षा को समुदाय की इच्छा और सक्रिय भागीदारी एवं समर्थन के बगैर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस तथ्य की पहचान करते हुए, डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत, सामुदायिक जागरूकता एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं कार्यक्रम के प्रति दायित्व की भावना का सृजन करने हेतु अनेक कार्यनीतियाँ अपनाई गईं।

शिक्षा

कठिन पहुँच वाले बालिका समूह विशेष रूप से छोटे-छोटे सुदूर फँसे हुए आवासीय क्षेत्र, जो विद्यालय से दूर हैं, उन बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना के अन्तर्गत पिछड़े विकास खण्डों को चिन्हांकित करते हुए आवासीय विद्यालय के रूप में विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे एवं शैक्षिक रूप से अपवंचित बालिकाओं हेतु विशेष बल देते हुए प्रस्तावित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान : बालिका शिक्षा पर विशेष बल

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु देशव्यापी कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2007 तक सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें एवं लैंगिक असमानता दूर हो जाए। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक स्तर तक पूरी करने का लक्ष्य है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों (देश के लगभग 1/3 ब्लाकविशेष रूप से महिला शिक्षा के क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किए गए विकास खण्डों के लिए एक विशेष पैकेज का निर्माण किया गया जिसमें बालिका शिक्षा पर विशेष बल देते हुए विशेष सामुदायिक जागरूकता एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रयास किए गए इसके अन्तर्गत विद्यालय वातावरण, अनुसमर्थन सेवाएं जैसे-पूर्व बाल्यकाल परिचर्या केन्द्र एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में विशेष प्रयास किए गए।

कठिन पहुँच वाले बालिका समूह विशेष रूप से छोटे-छोटे सुदूर फँसे हुए आवासीय क्षेत्र, जो विद्यालय से दूर हैं, उन बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना के अन्तर्गत पिछड़े विकास खण्डों को चिन्हांकित करते हुए आवासीय विद्यालय के रूप में विशेष रूप से गरीबी की रेखा के नीचे एवं शैक्षिक रूप से अपवंचित बालिकाओं हेतु विशेष बल देते हुए प्रस्तावित किया गया।

भविष्य के लिए योजनाएँ

अभी तक के अनुभव के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण/प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु वृहद स्तर पर चलाये गए कार्यक्रमों का बालिका शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन कार्यक्रमों की कम समय में वृहद स्तर पर व्यापक पहुँच सुनिश्चित की गई।

यद्यपि, पिछड़े इलाकों में बालिका शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। राज्यों द्वारा बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया गया परन्तु बालिकाओं में आत्मविश्वास परंपरागत, लैंगिक दृष्टिकोण एवं बाल-शिक्षण-विधा इत्यादि पर केवल थोड़ा ध्यान दिया गया। देखने में आया, कि लैंगिक मुद्दे पर अन्य मुद्दे अधिक प्रभावशाली हो गए एवं लैंगिक आधार कार्यक्रम का एक हिस्सा बनकर रह गया।

महिला समाख्या के अनुभव के आधार पर स्पष्ट है कि महिला एवं बालिका शिक्षा हेतु पृथक से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों में बालिका शिक्षा का लक्ष्य उपेक्षित न रह जाए, इसलिए प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम में लैंगिक आधार की स्पष्टता सुनिश्चित करना आवश्यक है। बालिका शिक्षा हेतु संस्थानों/विद्यालयों का क्षमता संवर्द्धन, पदस्थापना करना (शिक्षकों की नियुक्ति) एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास भी किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाएँ अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी, लैंगिक मुद्दों के प्रति जागरूकता रखने वाली होती हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में इन बातों को मुख्य आधार बनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला संघों द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया एवं जनसाधारण को जागरूक बनाकर इन मुद्दों पर विशेष प्रयास किया जाता है जिसका परिवार एवं समुदाय पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह वे समुदाय हैं जो शैक्षिक धारा की पहुँच से अत्यधिक दूरी पर हैं एवं सामाजिक-सांस्कृतिक वर्जनाएँ एवं जीवनयापन सम्बन्धी कारणों से शिक्षा में बाधाओं का सामना करते हैं। इन समुदायों की बालिकाओं को शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

इसलिए राष्ट्रीय कार्य योजना में, दो-तरफा रणनीति तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत लैंगिक आधार को मुख्यधारा में लाना एवं विशेष योजनान्तर्गत बालिका और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु स.शि.अ. एवं इसके अन्य भाग, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक

जुम्बिश कार्यक्रम, मध्यान्तर भोजन योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। इन कार्यक्रमों के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं :

- * बालिका शिक्षा को समर्थन प्रदान करने में समुदाय की सक्रियता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से गाँव एवं विद्यालय में प्रगति का नियमित अनुश्रवण कर, शैक्षिक वातावरण तैयार करना।
- * योजना तैयार करने वालों, शिक्षकों और शैक्षिक प्रबंधकों का प्रशिक्षण एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में बालिका शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाएगा।
- * कक्षा-कक्षाओं, पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री को बालिका हेतु मित्रवत् बनाना।
- * विशेष प्रयासों की व्यवस्था करना।

बालिका एवं महिला शिक्षा पर आधारित विशेष कार्यक्रम पर अधिक बल देते हुए लैंगिक कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए बालिकाओं, मुख्य रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं, अपवंचित वर्ग की बालिकाओं जैसे अनु.जा. और अनु.जन.जा. की बालिकाओं हेतु अनुदान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया।

यह कार्यक्रम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में विशेष योगदान देते हैं। इस योजना अवधि में संसाधनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इससे इन कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन में सुविधा हो जाएगी। इस योजना को प्रभावी बनाने हेतु अनेक प्रयास किए गए। इन विशेष योजनाओं के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

- * शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- * अपवंचित वर्ग जैसे-अनु.जा., अनु.जन.जा., अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
- * बालिका एवं महिला शिक्षा के विस्तार को प्रभावित करने वाले लैंगिक-मुद्दों का निराकरण करना।
- * किशोरियों की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना।
- * बालिकाओं एवं महिलाओं के आत्मसम्मान एवं छवि को ऊँचा उठाने में उनकी स्वयं की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- * किशोरियों एवं महिलाओं को आवश्यक अनुसमर्थन सेवाएं प्रदान कर औपचारिक एवं अनौपचारिक अधिगम वातावरण सृजन कर शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना।
- * प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार में आने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक रुकावटों का सामना करने हेतु बालिकाओं की सहायता करना।
- * शैक्षिक कार्यक्रमों में बालिकाओं एवं महिलाओं की वृहद भागीदारी हेतु वातावरण तैयार करना, महिला समानता के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति शिक्षा के द्वारा वातावरण सृजन करना।

महिला एवं बालिका शिक्षा हेतु निर्धारित किये गए उपर्युक्त प्रस्तावित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु तीन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वे हैं-महिला समाख्या कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना। इन तीन योजनाओं के अतिरिक्त, माध्यमिक स्तर पर नवीन मुक्त बालिका शिक्षा योजना प्रस्तावित की गई। इस योजनान्तर्गत, निम्नांकित प्रावधान किये गए हैं :-

- * शैक्षिक रूप से पिछड़े 500 विकास खण्डों को चिन्हांकित कर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण करना। इसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु इस कार्य हेतु 5000 मिलियन रुपये की धनराशि का प्रावधान, 100 मिलियन रुपये प्रति विद्यालय की दर से किया गया है।

लैंगिक आधार को मुख्यधारा में लाना एवं विशेष योजनान्तर्गत बालिका और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु स.शि.अ. एवं इसके अन्य भाग, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, मध्यान्तर भोजन योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है।

- * शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कक्षा IX एवं X की बालिकाओं हेतु, दसवीं पंचवर्षीय योजान्तर्गत 6577.76 मिलियन रुपये लागत की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करने का प्रावधान है।

इन दो कार्य योजनाओं के समन्वय से लैंगिक असमानता को कम करने में किये गए प्रयासों से न केवल नामांकन, ठहराव एवं सम्प्राप्ति में ही अन्तर आएगा, बल्कि विद्यालय का वातावरण भी लैंगिक समानता एवं संवेदनशीलता से युक्त होगा।

शिक्षा
लिए
सबके

गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था के विस्तार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, नामांकन स्तर लगभग 150 मिलियन हो गया है। इस व्यवस्था में गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन और संसाधनों की गतिशीलता एक मुख्य चुनौती है। शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन एक निश्चित समय सीमा में किसी एक परिवर्तन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षिक प्रयास किये जाने चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रारम्भ किया गया। स. लि. श. परियोजनान्तर्गत (EFA) सभी परियोजनाओं जैसे डी0पी0ई0पी0 और लोक जुम्बिश परियोजना में गुणवत्ता संवर्द्धन को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई। स. शि. अ. का भी मुख्य लक्ष्य शिक्षा में सम्पूर्ण गुणवत्ता संवर्द्धन है।

संस्थागत क्षमता संवर्द्धन, शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालय में समुचित शैक्षिक व्यवस्था में सुधार के अतिरिक्त गुणवत्ता संवर्द्धन एक जटिल प्रश्न है। पूर्व में गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु किए गए प्रयासों से यह अनुभव किया गया है कि इस समस्या का कोई एक निश्चित समाधान नहीं है। इस आलोक में सरकार द्वारा एक पांच-सूत्रीय योजना प्रवर्तित की गई है, जो इस प्रकार है :

- (1) प्राथमिक शिक्षा में आधारिक संरचना एवं मानवीय संसाधनों के प्रावधान में सुधार करना।
- (2) समुन्नत पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना।
- (3) बाल-आधारित-शिक्षण विधा के समारम्भ द्वारा शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया का गुणवत्ता संवर्द्धन।
- (4) शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन पर विशेष बल।
- (5) शिक्षार्थी के उपलब्धि स्तरों के आंकलन एवं मापन मूल्यांकन विधा पर विशेष बल।

आधारिक और मानव संसाधन विकास में उन्नयन का प्रावधान

विद्यालयी व्यवस्था के विस्तार के साथ, बड़े हुए विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व राज्यों के लिए बढ़ गया है। इस संदर्भ में, प्रत्येक विद्यालय में भौतिक, मानवीय एवं अकादमिक व्यवस्था हेतु मूलभूत नियम निर्धारित किये गए हैं। विगत कई वर्षों से, देश में प्रत्येक बस्ती में विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका है और प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं और देश के सभी आवासीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित होने का वास्तविक लक्ष्य पूरा हो चुका है। यद्यपि, क्षेत्र सर्वेक्षणों एवं समय-समय पर हुए अन्य सर्वेक्षणों के अनुसार, अधिकांश आवासीय बस्तियाँ छोटी-छोटी हैं इसलिए इन बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय भी छोटे-छोटे हैं। इन विद्यालयों में किस प्रकार की संरचनात्मक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था की जाए यह विस्तृत विश्लेषण का विषय है।

वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का नियमानुसार क्षमता संवर्द्धन करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारम्भ हुआ। विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या के अनुसार, भौतिक संरचना और अकादमिक संसाधन की व्यवस्था निर्भर करती है, प्रत्येक विद्यालय हेतु निम्नांकित व्यवस्था का उल्लेख किया गया :

- (1) दो अध्यापक,
- (2) दो कक्षा-कक्ष (प्रत्येक 30 वर्ग मीटर) एवं बराम्दा छत पड़ी हुई, 8-9 फीट गहराई,
- (3) बालकों एवं बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय,
- (4) निर्धारित स्तर की शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं इस सामग्री को इस्तेमाल करने हेतु शिक्षकों का विशेष अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसमर्थन प्रदान करने की व्यवस्था।

विद्यालयी आधारभूत संरचना (School - Infrastructure)

सभी विद्यालयों में एक समान निश्चित व्यवस्था की कल्पना करना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या आधा मिलियन से कहीं अधिक है। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा कराए गए पांचवे एवं छठे अखिल-भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1986 से 1993 के मध्य विद्यालयों की संरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढीकरण होने के बावजूद संरचनात्मक सुविधाओं की कमी से विद्यालय प्रभावित हैं। अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा होने के कारण, बालिकाओं एवं बालकों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, परन्तु विद्यालयों में इस व्यवस्था का अभाव बालिकाओं की विद्यालय में भागीदारी में एक मुख्य रुकावट है।

छठे अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शिक्षण-अधिगम को प्रभावित करने वाली विद्यालय संरचना सम्बन्धी कमियाँ इस प्रकार हैं :-

- * 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं हैं।
- * 35 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों और 17 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट नहीं हैं।
- * 35 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एवं 33 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए चटाई/फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है एवं 47 प्रतिशत प्राथमिक एवं 29 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों हेतु फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है।

सारणी 6.1 : अखिल भारतीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय आधारिक संरचनात्मक सुविधाएँ, 1993

(प्रतिशत में)

	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	1986	1993	1986	1993
(क) भवन				
खुला स्थान	7.5	3.8	2.1	1.8
टन्ट	0.5	0.4	0.2	0.1
झोपड़ी	5.5	3.0		1.6
कच्चा	13.9	9.1	18.4	7.2
आंशिक पक्का	16.3	18.7	18.4	20.8
पक्का	56.3	65.1	69.4	68.5
(ख) कक्षा-कक्ष				
पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्ष वाले विद्यालय का प्रतिशत	18.7	37.6	20.7	35.2
(ग) पीने का पानी/प्रसाधन				
पीने का पानी	47.4	44.2	67.1	63.5
मूत्रालय	15.5	18.9	41.5	48.4
बालिकाओं हेतु अलग मूत्रालय	5.2	8.7	21.7	31.5
शौचालय	6.3	10.9	21.7	29.9
बालिकाओं हेतु अलग शौचालय	2.8	5.1	11.2	17.2

- * प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 985,000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 3,54,000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है।

1990 के दशक में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत की गई आधारभूत संस्तुतियों के अनुसार, राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों के जाल के विस्तार एवं संवर्द्धन हेतु प्रयास किए गए। पूर्व के दस वर्षों में, इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगभग 400 मिलियन प्रतिवर्ष के हिसाब से खर्च किया गया। लगभग 182,000 कक्षा-कक्षों का निर्माण और लगभग 149,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति इस योजना के अन्तर्गत की गई। जिन विद्यालयों में 100 से अधिक बच्चे नामांकित हैं वहां पर तीसरे शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए अध्यापकों के 42,000 पद सृजित किए गए।

सभी प्राथमिक विद्यालयों को निर्धारित विद्यालय उपकरण का एक सेट उपलब्ध कराया गया। पूर्व दशक में सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत किए गए प्रयासों एवं डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत विद्यालयों के विस्तार हेतु इन नियमों को पुनः समुन्नत किया गया।

प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नियमानुसार प्रावधान हेतु विचार किया गया। प्राथमिक शिक्षा हेतु अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु ये नियम नीति निर्देशक का कार्य करेंगे।

इसके अन्तर्गत दो मुख्य प्रयास आते हैं, प्रथम, सितम्बर, 2002 में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा कराया गया अखिल भारतीय विद्यालयी सर्वेक्षण प्राथमिक विद्यालयों की संरचनात्मक एवं अन्य क्षेत्रों में क्षमता संवर्द्धन एवं गुणवत्ता उन्नयन हेतु भविष्य में कार्य योजना निर्माण में आधारभूत योगदान करेगा। द्वितीय, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने विषयक संविधान के 86वें संशोधन के अनुश्रवण हेतु नवीन केन्द्रीय व्यवस्था का प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में बुनियादी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। इससे विद्यालयों में गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों का अनुश्रवण किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से स. शि. अ. के अन्तर्गत नवीन विद्यालयों की स्थापना और वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन के संकेत मिल सकेंगे।

स.शि.अ. के अन्तर्गत 0.85 मिलियन प्रारम्भिक विद्यालयों में सभी विद्यालय अनुरक्षण/रखरखाव मद में 5000 रुपये प्रति विद्यालय/वार्षिक की दर से एवं विद्यालय उन्नयन मद में 2000 रुपये वार्षिक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। इस विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण-अधिगम-सामग्री निर्माण हेतु 500 रुपये वार्षिक की दर से धनराशि देने की व्यवस्था है। स.शि.अ. के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, नवीन विद्यालय भवन, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था हेतु व्यापक कार्यक्रम पर भी विचार किया गया है। वर्ष 2007 तक लगभग एक मिलियन नवीन अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षकों की संख्या में वृद्धि

पिछले वर्षों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ, शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सरकार की नीति के अनुसार, प्रारम्भ में, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था एवं प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षण-भार एवं विषय शिक्षण के आधार पर की जा रही है। सारिणी 6.3 के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों

सारिणी 6.3 : शिक्षकों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	शिक्षकों की संख्या					
	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	कुल	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	महिला शिक्षिकाओं का प्रतिशत	कुल	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	महिला शिक्षिकाओं का प्रतिशत
1990-91	1,616,020	85.25	29.24	1,072,911	88.02	33.24
1991-92	1,643,701	85.31	29.92	1,079,034	88.24	33.82
1992-93	1,651,416	83.54	31.14	1,085,301	87.32	34.63
1996-97*	1,789,733	88.00	32.68	1,195,845	88.00	35.77
1997-98*	1,871,542	87.00	34.34	1,211,803	88.00	36.08
1998-99*	1,904,000			1,278,000		
1999-00*	1,919,000			1,298,000		
2000-01*	1,896,000	86.00		1,326,000	89.00	

* अनन्तिम

सारिणी 6.2 : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले राज्यों में विद्यालय सम्बन्धी निर्माण कार्य 2002

	प्रस्तावित	पूर्ण
नवीन विद्यालय भवन	5156	2709
अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	6603	3680
प्रसाधन	6716	5260
पीने का पानी	3493	1968

सारणी 6.4 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात, 1950-51 से 1999-2000

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1990-91	1:43	1:37
1995-96	1:47	1:38
1996-97	1:45	1:38
1997-98	1:42	1:37
1998-99*	1:42	1:37
1999-2000*	1:43	1:38
2000-01*	1:43	1:38

* अनन्तिम

सारणी 6.5 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के मध्य अध्यापकों की युक्तिसंगतता एवं नियुक्ति

(हजार में)

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
2007 तक अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या	358	559	917

में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि को दर्शाया गया है।

शिक्षक-छात्र अनुपात

वर्ष 1990-91 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक-छात्र अनुपात 1 : 43 था एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात 1 : 37 था, जो वर्ष 2000-01 तक स्थायी रहा। शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि छात्र नामांकन वृद्धि के साथ अपनी गति नहीं मिला पा रही है, इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक-छात्र अनुपात यथावत रहा।

शिक्षकों की युक्तिसंगत संख्या का अनुमान एवं नियुक्ति

वर्ष 2007 तक, आंगणित नामांकन लक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या का अनुमान लगाकर सारणी 6.5 के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के मध्य वर्ष 2007 तक 9,17,000 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आंगणन किया गया है।

बालिका नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित करने में महिला शिक्षकों की भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुबंध किया गया है कि भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्व में ही, राज्यों द्वारा वर्तमान शिक्षकों पर गहन विचार को तर्कसंगत ठहराया गया है। असंतुलित विकास होने के कारण, यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की

संख्या निर्धारित नियम 40 : 1 से बहुत अधिक है। इस विसंगति को दूर करने के लिए, राज्यों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के पूर्व इसे तर्कसंगत बनाने के लिए एक निश्चित कार्य योजना तैयार करनी होगी।

अतः कम अवधि में अधिक शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु, शिक्षक-नियुक्ति के परंपरागत तरीके आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वैकल्पिक तरीकों को अपनाया होगा। जिन राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता अन्य राज्यों की तुलना में कम है वे राज्य नियुक्ति प्रक्रिया के परंपरागत तरीके को जारी रख सकते हैं। जबकि, अन्य राज्य शिक्षक संवर्ग को विकेंद्रित कर रहे हैं ताकि ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। कतिपय राज्यों द्वारा-शिक्षक संवर्ग के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय-स्वयं-शासित निकाय (पंचायत) को सौंप दी गई है। अन्य राज्यों में भी, शिक्षकों को सरकारी तंत्र में शामिल रखते हुए, उनके प्रबंधन की प्रक्रिया को विकेंद्रित कर यह जिम्मेदारी जिलास्तर या ब्लॉक स्तर पर सौंप दी गई है। इससे मात्र चयन प्रक्रिया ही सुलभ नहीं हो जाएगी बल्कि अनुश्रवण एवं जिम्मेदारी निर्धारण अच्छी तरह से किया जा सकेगा।

अनेक राज्यों द्वारा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की धीमी गति को प्रभावित करने वाली एक समस्या के रूप में 'प्रशिक्षित मानव संसाधन अनुपलब्ध होने की स्थिति' का सामना करना पड़ रहा है।

राज्यों को यह विकल्प दिया गया है कि वे सामुदायिक शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा शिक्षकों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, निजी क्षेत्र के सहयोग से सेवा पूर्व प्रशिक्षण के क्षमता-विस्तार हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। गांव के द्वारा समुदाय के पढ़े-लिखे लोगों की नियुक्ति की जाती है। इन सामुदायिक शिक्षकों को शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक विस्तृत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। तीन-पांच वर्षों के अन्तराल में उनकी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि हेतु, विभिन्न माड्यूल के माध्यम से एक कड़ी के रूप में वार्षिक प्रबलीकरण प्रशिक्षण होना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में

दूरस्थ शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कुछ राज्यों में, जैसे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने में इस मॉडल को अपनाया गया है, उत्तर पूर्व में शिक्षक प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया गया है और अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है।

शिक्षकों का क्षमता संवर्धन

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षमता संवर्धन-कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रावधान मुख्य रूप से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 1990 के दशक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत, देश में शिक्षा की पुनर्संरचना राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में उभर कर आई। इस कार्यक्रम को स.लि.शि. परियोजना (EFA) के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत पुनः बल प्रदान किया गया। सभी को गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु अखिल भारतीय स्तर पर पुनः सुदृढीकरण कर इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया।

प्रत्येक जनपद में त्रि-स्तरीय प्रक्रिया की स्थापना

वर्ष 1987 के पूर्व, प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ही मुख्य स्रोत था। अधिकांश राज्यों में क्षमता संवर्धन की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु यह संस्था अत्यन्त अपर्याप्त साबित हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत विगत दस वर्षों में, स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी एवं शैक्षिक समर्थन प्रदान करने के लिए मुख्य रणनीति का अनुसरण किया गया। शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने की विकेंद्रित प्रक्रिया की ओर देश काफी आगे बढ़ गया है, इस हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में विशेष रूप से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। प्रत्येक जनपद की प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य विकास आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु एवं सह-जिला स्तरों पर शिक्षकों को अनुसमर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुपालन में प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना क्षेत्र के नजदीक शैक्षिक एवं तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण कदम था। विगत वर्षों में 400 से अधिक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। स.लि.शि. परियोजना के अन्तर्गत खण्ड विकास केन्द्रों (BRC), संकुल संसाधन केन्द्रों (CRC) की स्थापना इस विकेंद्रित प्रक्रिया का विस्तार किया गया। इन उप-जिला स्तर की संस्थाओं का मुख्य कार्य शिक्षकों का क्षमता-संवर्धन करना है। हाल ही में, डी.पी.ई.पी. की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में 414 बी.आर.सी. एवं सी.आर.सी. स्थापित किए गए। स.शि.अ. के अन्तर्गत देश के सभी भागों में विकेंद्रित प्रक्रिया का विस्तार प्रस्तावित है।

अंतरजिला केन्द्रों के मुख्य रूप से तीन दायित्व उभर कर आए हैं- शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का अनुसमर्थनात्मक निरीक्षण और संकुल स्तर पर शिक्षकों की मासिक बैठक

सारणी 6.6 : 31.3.2002 तक डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों/संकुल संसाधन केन्द्रों की संख्या

क्रमांक	राज्य	विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों की संख्या	संकुल संसाधन केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश*	990	5664
2.	असम	56	1003
3.	बिहार	152	1894
4.	गुजरात	55	482
5.	हरियाणा	55	544
6.	हिमाचल प्रदेश	33	230
7.	कर्नाटक	112	1206
8.	केरल	55	627
9.	मध्य प्रदेश	236	4325
10.	महाराष्ट्र	73	189
11.	उड़ीसा	170	885
12.	तमिलनाडु	106	1023
13.	उत्तर प्रदेश	645	6365
14.	पश्चिम बंगाल**	326	324
15.	राजस्थान	132	1041
16.	छत्तीसगढ़	134	1949
17.	झारखण्ड	55	476
18.	उत्तरांचल	35	280
	योग	3423	28507

* आन्ध्र प्रदेश में विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों और संकुल संसाधन केन्द्रों के स्थान पर क्रमशः मण्डल संसाधन केन्द्र तथा शिक्षक केन्द्र हैं।

** पश्चिम बंगाल में ब्लाक संसाधन केन्द्रों/संकुल संसाधन केन्द्रों के स्थान पर सक्रिय संसाधन केन्द्र हैं।

का आयोजन। इस मासिक बैठक में शिक्षक कक्षा-शिक्षण अधिगम से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। गुणवत्ता उन्नयन की प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी को ये केन्द्र गति प्रदान करते हैं। विद्यालय और कक्षा शिक्षण-अधिगम वातावरण में संकुल संसाधन केन्द्र के समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने से विद्यालयों की कार्य प्रणाली और कक्षा-शिक्षण-अधिगम, शिक्षकों में आत्मविश्वास में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर बी.आर.सी. और सी.आर.सी. की जीवन्त भूमिका हैं, जैसे मासिक बैठकों में शैक्षिक विचार-विमर्श, कक्षा में परंपरागत अधिगम तरीकों का प्रयोग, गणित प्रयोगशाला की स्थापना, पुस्तकालय का विकास इत्यादि। शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की प्रकृति में इन केन्द्रों का भी अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। ब्लॉक स्तर पर आवासीय सुविधाओं की संरचनात्मक व्यवस्था होने के कारण विभिन्न मुद्दों जैसे बहुसेवी-शिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, विद्यार्थी मूल्यांकन, विशिष्ट पाठ्यसामग्री का क्षेत्र, आधारभूत बाल-शिक्षण के विभिन्न आयामों इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना सम्भव हो सका है। अत्यन्त प्रतिभावान शिक्षकों को ये संसाधन केन्द्र मुख्य भूमिका निर्वहन हेतु मंच प्रदान करते हैं। आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित, शिक्षकों के लिए संसाधन समर्थन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आगामी पांच वर्षों में शिक्षक शिक्षा के निम्नांकित मुख्य क्षेत्रों को चिह्नांकित किया गया है।

- * शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का विकास एवं सुदृढीकरण : इसके अन्तर्गत संस्थाओं की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, क्षमता संवर्द्धन और संस्थागत प्रयासों को प्रोत्साहन, नीतिगत वातावरण तैयार करना इत्यादि है।
- * सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण : प्रथम, यदि सह-शिक्षक (शिक्षा-मित्र/शिक्षा-बन्धु) प्रशिक्षित नहीं है तो उनके प्रशिक्षण पर विशेष बल देना चाहिए। द्वितीय, सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सेवारत प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सेवारत प्रशिक्षण को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करनी चाहिए।
- * शैक्षिक क्षेत्र में योगदान करने वाले का व्यावसायिक दक्षता विकास ; जैसे शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रबंधकों और अन्य - विद्यालयी व्यवस्था उन्नयन की आवश्यकता को मुख्य रूप से चिह्नांकित किया गया।

शिक्षक-शिक्षा में स्पंदनशील/गतिशील परिवर्तन लाने के लिए तैयार की गई मुख्य रणनीति इस प्रकार है :

- * प्रसंगगत रणनीति को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र अनुदान राज्यगत योजनाओं पर आधारित होने चाहिए। विविधता को अनुसमर्थन प्रदान करना चाहिए। इसके लिए योजना तैयार करते समय, प्रत्येक राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रदेश में शिक्षक-शिक्षा की अवस्थिति का गहन अध्ययन एवं विचार-विमर्श कर इसमें, सुधार लाने हेतु समुचित रणनीति तैयार करे। राज्य के पर्सपेक्टिव प्लान में मुख्य कमी वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नांकित करने की अपेक्षा है, साथ ही शिक्षक-शिक्षा उन्नयन हेतु बेहतर कार्य योजनाओं एवं रणनीति की आवश्यकता है।
- * शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में संरचनात्मक नवाचार हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना वित्तीय अनुदान प्रक्रिया में अत्यन्त लचीलापन रखना।
- * शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले विशेषज्ञों के समूह (शिक्षक-शिक्षा संसाधन समूह) द्वारा राज्यों को अनुसमर्थन प्रदान करने वाले साधनों पर इस समूह द्वारा विचार-विमर्श की आवश्यकता है, साथ ही नवीन जानकारी से सम्बन्धित ज्ञान को आपस में बांटने की भी आवश्यकता है। आशा की जाती है, कि देश के सर्वोत्तम शिक्षक-प्रशिक्षक समूह छोटे से छोटे शिक्षक-शिक्षा संस्थान को अपना अनुसमर्थन प्रदान कर सकें।
- * देश में शिक्षक-शिक्षा उन्नयन हेतु विभिन्न शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की वर्तमान स्थिति/शक्ति के अनुसार एक सुदृढ, क्रियाशील, आवश्यकतानुसार क्रियाशील/उत्तरदायी संसाधन अनुसमर्थन कार्यक्रम (Resource Support Programme) को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंधन, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण एवं अन्य क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ

तैयार करने के लिए संसाधन अनुसमर्थन कार्यक्रम द्वारा आधारभूत समर्थन प्रदान किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षकों की शिक्षा का यह महत्वपूर्ण पक्ष है। ज्ञान/जानकारी और इन क्षेत्रों में आधारभूत सामग्री विकसित करने में भी यह सहायक हो सकता है।

- * राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को पुनः सुदृढ़ कर नेतृत्व की क्षमता प्रदान करना। एस.सी.ई.आर.टी. में कम्प्यूटर शिक्षा प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जाए।
- * कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को जोड़ा जाना चाहिए।

शिक्षक-क्षमता संवर्धन हेतु दूरस्थ शिक्षा

विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में लगातार वृद्धि के अनुसार, ज्ञान एवं कौशल में लगातार उन्नयन सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत संस्थागत संरचना की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए 1990 के दशक में, नवीन तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयी शिक्षकों तक लगातार सम्पर्क रखने हेतु मुख्य प्रयास किए गए। इसके अन्तर्गत दो कार्यक्रम आते हैं - पहला, शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों तक कार्यक्रम के विस्तार हेतु सेटेलाइट पर आधारित टेलीकॉन्फ्रेन्सिंग नेटवर्क का प्रयोग किया गया। दूसरा, डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत अपेक्षाकृत वृहद-दूरस्थ शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किए गए। इन दोनों कार्यक्रमों का संचालन विभिन्न संस्थाओं (जैसे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अंतरिक्ष प्रयोग केन्द्र Space Application Centre (SAC) एवं अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के समेकित प्रयास से किया जाता है। यद्यपि, सतत् रूप में विद्यालय शिक्षकों को शैक्षिक एवं तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए शनैः-शनैः दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को एक प्रभावी माध्यम के रूप में देखा जा सकता है।

पाठ्यक्रम नवीकरण एवं अधिगम सामग्री का विकास

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता संवर्द्धन में अति महत्वपूर्ण भूमिका के योगदान को ध्यान में रखते हुए, विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों में पाठ्यपुस्तकों का संशोधित/संवर्द्धित प्रारूप तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम पुनर्विलोकन हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2000 के अनुसार, स्वतंत्र एवं तक्रसंगत विचारों के विकास एवं शिक्षार्थी में समस्याओं के समाधान हेतु जानकारी एवं क्षमता के विकास पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि, विद्यालयों के पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यपुस्तकों का विकास विकेन्द्रित प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों द्वारा इस दायित्व का निर्वहन किया जाना है। राष्ट्र स्तरीय विस्तृत पाठ्यक्रम की मात्र संस्तुति की गई है। राज्य द्वारा सहायित विद्यालयों में विशेष पाठ्यचर्या क्रियाकलाप एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

पाठ्यपुस्तकों का निर्माण

विगत दस वर्षों में सभी राज्यों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री विकास के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां इस बात के प्रमाण हैं कि राज्यों द्वारा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया। इन प्रयासों को आगामी वर्षों में सुदृढ़ एवं सतत् रखा गया। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षण-अधिगम सामग्री को अधिक सापेक्ष, रुचिपूर्ण एवं बाल-सखा बनाना रहा है। 1990 के दशक के प्रारम्भ में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर की संस्तुतियों को भी राज्यों द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी राज्यों में, स.लि.शि. परियोजना (EFA) एवं अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत इन गतिविधियों की विस्तृत कड़ी ने इस कार्य को गति दी।

सामग्री विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तीन कारणों को चिन्हांकित किया गया है :

- (i) शिक्षकों, क्षेत्र अन्वेषकों और एस.सी.ई.आर.टी. के विशेषज्ञों की पाठ्यपुस्तकों की विकास प्रक्रिया में समेकित भागीदारी को मुख्य स्थान दिया गया।
- (ii) पाठ्यपुस्तकों के विकास कार्य से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं एवं विशेषज्ञों का समय-समय पर अन्य

विगत दस वर्षों में सभी राज्यों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री विकास के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियाँ इस बात के प्रमाण हैं कि राज्यों द्वारा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया। इन प्रयासों को आगामी वर्षों में सुदृढ़ एवं सतत् रखा गया।

शिक्षा

बच्चों की ग्राह्यता सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों का मुख्य पृष्ठ एवं आकार, व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ राज्यों में समेकित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जैसे एक ही पाठ में, भाषाकौशल, पर्यावरण विज्ञान कौशल इत्यादि।

राज्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं की "प्रशंसनीय गतिविधियों" से अभिमुखीकरण कराना।
(iii) अधिकांश राज्यों में, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य अधिगम सामग्री में कमियों को चिन्हांकित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों का क्षेत्र परीक्षण करने के उपरान्त संशोधन करा लेना चाहिए, तदुपरान्त ही वृहद स्तर पर लागू करना चाहिए।

उपर्युक्त प्रक्रिया के फलस्वरूप, प्राथमिक विद्यालयों की पुरानी पाठ्यपुस्तकों की तुलना में नवीन पाठ्यपुस्तकों में काफी अन्तर है। इन पाठ्यपुस्तकों में बच्चों के लिए सुपरिचित, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कक्षा में पाठ्यवस्तु के स्थानान्तरण के लिए पाठ्यवस्तु को स्थानीय परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाने की सुविधा इन पाठ्यपुस्तकों में दी गई है। बच्चों की ग्राह्यता सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों का मुख्य पृष्ठ एवं आकार, व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ राज्यों में समेकित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जैसे एक ही पाठ में, भाषा कौशल, पर्यावरण विज्ञान कौशल इत्यादि। विशेषकर प्राथमिक अधिगम सुलभ बनाने हेतु शिक्षक-संदर्शिकाओं एवं निर्देशावली का विकास भी किया गया है।

पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता/सुलभता

पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, इसको भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। विगत वर्षों में, राज्य सरकारों द्वारा विशेष वर्ग के अपवंचित बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करने के लिए अनेक योजनाएं लागू करने का प्रावधान किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे पुनः प्रोत्साहित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान कर मुख्य रूप से शैक्षिक अनुसमर्थन का प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्पूर्ण देश के प्रारम्भिक स्तर के सभी अनु0जा0, अनु0जन0जा0 के बच्चों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए।

शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास एवं प्रयोग का सुदृढीकरण

आगामी वर्षों में पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण एवं पाठ्यपुस्तकों के पुनर्विलोकन की द्वि-स्तरीय कार्य योजना सामान्य प्रक्रिया के रूप में जारी रहनी चाहिए। कक्षा शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता कक्षा में प्रयोग की गई विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम-सामग्री पर निर्भर करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, स.शि.अ. के अन्तर्गत कक्षा में शिक्षकों द्वारा निर्देश-सामग्री के विकास एवं इस्तेमाल पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये की शिक्षण-अधिगम-सामग्री प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है, इससे शिक्षकों को आवश्यकतानुसार, विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार करने एवं इस्तेमाल करने की छूट मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय क्षेत्रों में क्रिया-आधारित शिक्षण-अधिगम सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को कम-लागत में शिक्षण-अधिगम-सामग्री तैयार करने में मदद करना है। डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत पूर्व में किये गए इस प्रकार के प्रयासों से प्राप्त अनुभवों का प्रयोग इस योजना को प्रभावशाली बनाने में किया जायेगा।

शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक संसाधनों का आधार तैयार करने के लिए, एक दूसरी कार्य योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा साथ-साथ विद्यालयों में पुस्तकालय विकास की कार्य योजना है। अनेक राज्यों द्वारा चलित-पुस्तक गाड़ी (मोबाइल-बुक-वैन) का प्रावधान किया गया, इस प्रयोग का भी विस्तार किया जायेगा।

शिक्षकों हेतु संसाधन सामग्री

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए स्व-निर्देशित सामग्री का विकास किया जा रहा है जिससे वे न्यूनतम अधिगम स्तर, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE), बच्चों को विद्यालय जाने हेतु तैयारी, विद्यालय वातावरण, विशेष समूहों हेतु शिक्षा, बालिका शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा और बहुश्रेणी शिक्षा आदि के प्रति भलीभाँति जागरुक हो सकें। इसके अतिरिक्त, सामग्री विकास के अन्तर्गत भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव इत्यादि विषयों

में शिक्षकों हेतु विषय सामग्री का विकास करना। शैक्षिक दूरदर्शन पैकेज के माध्यम से वीडियो कार्यक्रम एवं छपी सामग्री के परिदान में शैक्षिक दूरदर्शन के प्रभावी प्रयोग हेतु निर्देशावली तैयार करना। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जायेगा।

प्रसार माध्यमों द्वारा अनुसमर्थन

शिक्षकों के क्षमता विकास में अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों के विस्तार एवं विविधताओं के प्रसार हेतु दूरस्थ एवं मुक्त अधिगम कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रसार माध्यमों का प्रयोग विशेषतः बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किया जाये।

आगामी पांच वर्षों में निम्नांकित रूपों में इस व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जायेगा :

- सेवारत शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रभावी प्रयोग किया जायेगा। दूरस्थ शिक्षा व तकनीकी माध्यमों के अन्तर्गत स्व-निर्देशित छपी हुई सामग्री एवं दृश्य कार्यक्रमों (प्रसारण हेतु एवं प्रसारण न करने वाले), टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम, श्रव्य कार्यक्रमों, कम्प्यूटर इत्यादि विकल्प प्रयोग हेतु उपलब्ध हैं। इन विकल्पों का प्रयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यक्रम की प्रकृति एवं प्रशिक्षार्थियों के प्रकार पर निर्भर करता है।
- जनवरी, 1996 से, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में एक माध्यम के रूप में वीडियो एवं दो माध्यमों के रूप में टेलीकॉफ्रेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। कर्नाटक में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण में टेलीकॉफ्रेंसिंग का प्रयोग पहली बार किया गया। गुजरात एवं कर्नाटक में जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक अभिकर्मियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न टेलीकॉफ्रेंसिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- एन.सी.ई.आर.टी. एवं इग्नू द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता विकसित करने हेतु रेडियो एवं दूरदर्शन का प्रयोग वृहद स्तर पर किया जाता रहा है। वर्ष 1999 में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा इन्दौर जिले के प्राथमिक शिक्षकों हेतु अखिल भारतीय रेडियो प्रसारण के माध्यम से ऑडियो टेलीकॉफ्रेंसिंग पर प्रयोग किया गया। इसके अन्तर्गत चिन्हांकित विषयों को तीन चरणों में रखा गया – (i) समस्यात्मक चरण, (ii) अन्य शिक्षकों के माध्यम से परिचर्चा, (iii) विशेषज्ञों द्वारा परिचर्चा। इस मार्गदर्शी प्रयोग के माध्यम से अर्जित अनुभवों को आगामी कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।
- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु ज्ञान दर्शन चैनल (शैक्षिक दूरदर्शन) का प्रयोग किया गया। शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता कौशल उन्नयन की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम विकास एवं प्रसारण कार्यक्रमों की संरचना हेतु प्रयास किये गए।
- शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए, एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान द्वारा मल्टीमीडिया अधिगम सामग्री का विकास भी किया जा रहा है। डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय राज्यों के प्रशिक्षण केन्द्रों में वितरण हेतु प्रशिक्षण साहित्य (छपा हुआ एवं श्रव्य-दृश्य सामग्री) का विकास किया गया।
- “सेवारत प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण” विषयक परियोजना को इन्टरएक्टिव टेलीविज़न (IPTT-ITV) के माध्यम से भारत सरकार, यूनेस्को एवं इन्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनित (ITU) के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया। इस परियोजना का प्रयोग मध्यप्रदेश एवं गुजरात में मार्गदर्शक के रूप में किया गया। इस परियोजना के माध्यम से डायट में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्राथमिक शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दो-तरफा, वीडियो इन्टरएक्टिव टेलीकॉफ्रेंसिंग का प्रयोग प्रस्तावित किया गया।
- अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं कम शिक्षित शिक्षकों की संख्या में शून्यता लाने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारम्भ किया गया। सिक्किम एवं भारत के अन्य उत्तर-पश्चिम पर्वतीय राज्यों, जहाँ

अप्रशिक्षित विद्यालयी शिक्षकों की बड़ी संख्या है, वहाँ के शिक्षकों हेतु प्राथमिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र देने हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रम की निरंतरता

अन्तिम निष्कर्ष के रूप में, शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है। यद्यपि, विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति एवं विद्यालय बीच में ही छोड़ने की प्रवृत्ति तथा इनमें से कई बच्चे शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया की प्रकृति के कारण विद्यालय छोड़ते हैं। इसी संदर्भ में, विगत कई वर्षों में, कक्षा-कक्ष अन्तर्क्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में गुणवत्ता उन्नयन एवं इन पारस्परिक क्रियाओं को बाल-केन्द्रित एवं रुचिपूर्ण बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों को पुनः अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

कक्षा-कक्ष क्रियाओं को विद्यालय एवं समुदाय के स्थानीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार संदर्भित करने हेतु शिक्षकों की सहायता करना इस योजना का मुख्य कार्य है। देखा गया है कि अधिकांश विद्यालय कम से कम आधारीय संरचना एवं शिक्षार्थी अनुसमर्थन सामग्री में ही काम चला रहे हैं। परियोजना के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद, देश के अधिकांश विद्यालयों में लगभग 80 से 85 प्रतिशत विद्यालयों में बहु-श्रेणी-शिक्षण लागू हैं। छोटे-छोटे आवासीय क्षेत्रों में अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, प्राथमिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यही, सभी के लिए शिक्षा (EFA) के अन्तर्गत देश में की जा रही समस्त क्रियाओं का मुख्य बिन्दु है। राज्य की सीमाओं के परे अनुभवों के हस्तांतरण हेतु प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बाल-शिक्षण की नवीनीकरण प्रक्रिया हेतु किये जा रहे प्रयासों में आवश्यक रूप से इन अनुभवों को विस्तृत क्षेत्रों में अर्थपूर्ण तरीके से अपना कर बाल-शिक्षण में सुधार किया जा सकता है।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत, किये गए बाल-शिक्षण परिष्करण प्रयासों के माध्यम से, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण के मध्य एक नजदीकी रिश्ता कायम किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह कार्य योजना इस प्रकार होगी कि राज्य, प्रारम्भ से ही, कक्षा-कक्ष अन्तर्क्रियाओं में प्रभावी परिवर्तन हेतु विशेष ध्यान दें, इसके लिए गहन-प्रशिक्षण-कार्यक्रमों एवं शिक्षकों की सहभागिता के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण-अधिगम-सामग्री विकास में परिवर्तन करना होगा।

इस प्रकार की पहल से यह आशा की जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचारों हेतु दायरा बढ़ जायेगा। अधिकांश राज्य, नवीन विधाओं को अपनाने में पहले से ही अग्रणी हैं उदाहरणतः बिहार में संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। इसका अर्थ है, कि प्रशिक्षक पहले एक संकुल केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित कर लेगा। उसके बाद अगले संकुलस्तर पर प्रशिक्षण आयोजित क्रिया जायेगा प्रत्येक संकुल स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में, संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.) हेतु समन्वयक का चयन किया जाता है। इसी प्रकार, अनेक नूतन विचारों को विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक राज्य में शैक्षिक फिल्मों की श्रृंखला का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण प्रयासों को अनुसमर्थन प्रदान करने में किया जा रहा है। यह फिल्में प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में आने वाली रुकावटों, सामाजिक मुद्दों एवं भाषा शिक्षण जैसे मुख्य क्षेत्रों को लेकर तैयार की गई है। विकास खण्ड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विचार-विमर्श हेतु इन फिल्मों का प्रयोग सामान्यतः नियमित रूप से किया जा रहा है।

केरल राज्य में बच्चों के लिए 16 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को किगिनीकूट्टम (kinginikkouttam) कहा गया तथा इस शिविर में राज्य के छः जिलों के 3,500 विद्यालयों से 5,00,000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस शिविर की संरचना अत्यन्त सावधानीपूर्वक की गई इसमें अधिगम को बच्चों के लिए अर्थपूर्ण एवं रुचिपूर्ण अनुभवों के माध्यम से

सीखने की प्रक्रिया को रुचिपरक बनाने हेतु पूर्णरूप से अनौपचारिक एवं आसान तारीके अपनाए गए। किंगीनीकूटम में हजारों अभिभावकों एवं लगभग 28,000 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस शिविर में बाल-शिक्षण, कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं जैसे-विद्यार्थी मूल्यांकन एवं बहु-श्रेणी शिक्षण से जुड़े मुद्दों को विशेष रूप से लिया गया।

शिक्षार्थी सम्प्राप्ति पर विशेष बल

1990 का दशक इस बात का गवाह है कि इस अवधि में शिक्षार्थी के सम्प्राप्ति स्तर के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षार्थी की सम्प्राप्ति पर विशेष बल देते हुए यह प्रथम प्रोत्साहन के रूप में सामने आया। यद्यपि, इस क्रिया में मुख्य रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से न्यूनतम अधिगम स्तर के विनिर्देश जारी किए गए। इसी अनुक्रम में, अधिकांश राज्य सरकारों ने एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से न केवल पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का संशोधन एवं परिमार्जन किया बल्कि शिक्षार्थी के सम्प्राप्ति स्तर के नियमित मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया। भारत सरकार द्वारा, सभी बच्चों द्वारा दक्षताओं की सम्प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं पर कार्य करने एवं इसको मुख्यधारा में लाने हेतु शोध अध्ययन के लिए 16 वृहद-स्तरीय परियोजनाओं को अनुसमर्थन प्रदान किया गया।

इस दिशा में दूसरा प्रयास, स.लि.शि. परियोजना लागू करने के रूप में उभर कर आया, इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में शिक्षार्थियों के सम्प्राप्ति स्तर के मूल्यांकन हेतु आधारभूत सर्वेक्षण कराए गए। कुछ परियोजनाओं में चरणबद्ध तरीके से शिक्षार्थियों का सम्प्राप्ति स्तर बढ़ाने हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। जबकि, डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत, परियोजना अवधि में सम्प्राप्ति स्तर में 25 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि को मापने हेतु डी.पी.ई.पी. एवं लोक जुम्बिश के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं आवर्ती सर्वेक्षण आयोजित कराए गए। क्या इन प्रयासों से शिक्षार्थी के अधिगम सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई? इस प्रश्न का उत्तर श्रेणीवार देना अत्यन्त कठिन है। प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सम्प्राप्ति स्तर जानने के लिए कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया। अभी तक कार्यक्रम की विषयवस्तु एवं विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न संदर्भों में प्रत्येक राज्य में काफी अन्तर है इसलिए इस संदर्भ में हुई प्रगति पर कोई निश्चित टिप्पणी कर पाना कठिन है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि डी.पी.ई.पी. एवं लोक जुम्बिश दोनों ही परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि परियोजना से आच्छादित विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के अधिगम सम्प्राप्ति पर सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। शिक्षार्थी की निष्पादन क्षमता में किसी प्रकार के नाटकीय परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। विद्यार्थी की निष्पादन क्षमता मात्र विद्यालयी सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती है बल्कि उनके ऊपर ऐसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है, जो शैक्षिक विकास परियोजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सभी प्रकार के गुणवत्ता उन्नयन प्रयासों को प्रारम्भ करने से पूर्व मात्र कुछ चुनिंदा विषय क्षेत्रों में शिक्षार्थी के सम्प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन कर शिक्षार्थी की निष्पादन क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

शिक्षार्थी सम्प्राप्ति के विभिन्न स्तरों के मूल्यांकन हेतु व्यवस्था

सभी राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के विभिन्न चरणों में, शिक्षार्थी सम्प्राप्ति स्तरों का मूल्यांकन समय-समय पर राष्ट्र स्तरीय सम्प्राप्ति सर्वेक्षण आयोजित करके किया जा सकता है। कक्षा V के अन्त में एवं कक्षा VII/VIII के आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण का विश्लेषण अन्तिम चरण में है। इसका परिणाम वर्ष 2003 के मध्य तक उपलब्ध हो जायेगा। कक्षा VII/VII के अन्त में एक अन्य मूल्यांकन सर्वेक्षण को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं यह वर्ष 2003 में लागू कर दिया जायेगा। प्राथमिक स्तर के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2002-04 हेतु कक्षा III के अन्त में आधारभूत सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया है। इस बात पर विचार किया गया कि यह तीनों सर्वेक्षण, स.शि.अ. के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न

सभी राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के विभिन्न चरणों में, शिक्षार्थी सम्प्राप्ति स्तरों का मूल्यांकन समय-समय पर राष्ट्र स्तरीय सम्प्राप्ति सर्वेक्षण आयोजित करके किया जा सकता है। कक्षा V के अन्त में एवं कक्षा VII/VIII के आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण का विश्लेषण अन्तिम चरण में है।

शिक्षा

बाक्स 6.1 : शिक्षा मित्र योजना : महिला-शिक्षकों को आमंत्रण

प्राथमिक शिक्षकों विशेषतः महिला शिक्षकों की बढ़ती हुई आवश्यकता की दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा-मित्र-योजना प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में की गई। इन शिक्षकों को शिक्षा-मित्र कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होता है। ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कुल 18,147 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई एवं वर्तमान में अन्य 35,000 शिक्षा-मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

सुविधाओं/प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि के मूल्यांकन हेतु हमें आधार प्रदान करेंगे।

पुनः मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण तीन वर्षों के अन्तर पर कराया जा रहा है, ताकि यदि आवश्यक हो तो सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के दौरान, मध्य में ही सुधार का प्रावधान किया जा सके। यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण, राज्य की मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रक्रिया में अतिरिक्त योगदान करेंगे, क्योंकि शिक्षण-अधिगम के परिप्रेक्ष्य में इसकी सक्रियता को समझने की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति के विस्तार की माप हेतु वर्ष 2010 के आसपास एक अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित कराया

जायेगा। यह सभी सर्वेक्षण, विद्यालयी वातावरण, घर का वातावरण एवं अध्ययनों की व्यक्तिगत विशेषताएँ, शिक्षक एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले व्यापक शोध अध्ययन का कार्य करेंगे। वास्तविक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा पश्च पोषण अभिक्रियाओं हेतु, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विभिन्न राज्यों के एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. को सम्मिलित किया गया है एवं यह संस्थाएँ सभी प्रकार का तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करेंगी। यह आशा की जाती है कि समस्त राज्यों में, मूल्यांकन संस्कृति के प्रयासों को नियमित रूप से स्थायी तौर पर स्थापित किया जाए।

विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन : विद्यालय सुधार कार्यक्रम

विगत दस वर्षों में सभी के लिए शिक्षा परियोजना के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त सूक्ष्म-स्तरीय प्रयासों के साथ-साथ, विद्यालय को एक संस्था के रूप में देखते हुए सूक्ष्म-स्तरीय गतिविधियों एवं विद्यालय-आधारित समस्याओं का सामना करने की अधिक आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनेक राज्यों में विद्यालय-आधारित गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों को लागू किया गया है, इसके अन्तर्गत विद्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर गुणवत्ता सम्बन्धी क्रियाकलाप आयोजित किए जायेंगे। इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप से केन्द्र द्वारा अनुसमर्थन दिया जायेगा। स.शि.अ. (SSA) के अन्तर्गत, गुणवत्ता उन्नयन हेतु मुख्य कार्य योजना के रूप में इन प्रयासों को सुदृढ़ता प्रदान की जा रही है।

रिपोर्ट तैयार करना एवं प्रसार करना

यह अध्ययन बाल शिक्षण उन्नयन हेतु एक प्रेरणा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं क्योंकि इसे न केवल शैक्षिक प्रश्नों को लिया गया है बल्कि विभिन्न राज्यों की कार्य योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इन शोध अध्ययनों में बाल शिक्षण की प्रचलित प्रक्रियाओं को चिह्नंकित किया गया है एवं विद्यालयों में अपनाई जाने वाली विद्यार्थी मूल्यांकन प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यह शोध अध्ययन भविष्य की खोजों हेतु एक सुधारात्मक समझ की दिशा दर्शाते हैं। शिक्षकों हेतु प्रकाशित एक शैक्षिक पत्रिका (Journal) के माध्यम से जानकारी का प्रसार कर उन्हें विचार-विमर्श हेतु भी प्रोत्साहित किया गया।

गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं संसाधन संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग

1990 के दशक में सभी के लिए शिक्षा परियोजनान्तर्गत, अनेक स्रोतों के माध्यम से संसाधन अनुसमर्थन दिया गया एवं अनेक संस्थानों तथा संदर्भ व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इसके अन्तर्गत, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों के संदर्भ व्यक्तियों एवं अन्य राज्य स्तरीय संदर्भ समूहों के साथ कार्यशालाओं के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध-कार्यों में संदर्भ

बाक्स 6.2 : विद्यालय-आधारित गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम

अधिकांश सर्वेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष इस बात की ओर इंगित करते हैं कि कक्षा V के अन्त तक अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे भाषा एवं गणित में सामान्य दक्षता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन सामान्य दक्षताओं के अभाव में, आगे की कक्षाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। सामान्य परीक्षा प्राणाली इस तथ्य को पकड़ पाने में अक्षम है क्योंकि यह केवल विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का मूल्यांकन कर रही है, जबकि अधिगम सम्बन्धी कमियाँ एकत्रित होती जा रही हैं। इस सीख न पाने के लिए अनेक सम्बन्धित कारण जिम्मेदार हैं जिनमें से कुछ कारण कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं में ही समाहित हैं, लेकिन अनेक कारण सुव्यवस्थित व्यवस्था के अभाव में निहित हैं। इसके अतिरिक्त, डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत कराये गये विभिन्न शोध अध्ययनों से प्राप्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि वृहद स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के बावजूद (जैसे पाठ्यपुस्तकों की पुनर्संरचना, वृहद्-शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम-सामग्री विकास हेतु अनुदान एवं खण्ड विकास केन्द्र तथा संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना इत्यादि) व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बजाय यह कक्षा-कक्ष में बाल-शिक्षण प्रक्रिया एवं प्रचलित संस्कृति को बदलने में भी सक्षम नहीं हैं। अतः विद्यालय आधारित, संदर्भित अनुसमर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

कुछ विद्यालय आधारित प्रयोग

गुणवत्ता लाने का एकमात्र विकल्प विद्यालयों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने में है। इस विचार को, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में एवं पश्चिम बंगाल के S. 24 परगना जिले में एक अग्रज परियोजना के रूप में वर्ष 1999-2001 में चलाया गया। इन परियोजनाओं में, एक शैक्षिक सत्र में कुछ विद्यालयों में कार्य किया गया। अनेक विद्यालय आधारित व्यवस्थित मुद्दे, जो बच्चों के ठहराव एवं सम्प्राप्ति में रुकावट का कार्य कर रहे थे, उभर कर आये जैसे- शिक्षार्थी-शिक्षक अनुपात (PTRs) का अधिक होना, बहुश्रेणी स्थिति, खराब भौतिक परिस्थितियाँ, गैर शिक्षण कार्यों की अधिकता, अधिक अनुपस्थिति, सामग्री की उपलब्धता में विलम्ब, शैक्षिक अनुसमर्थन में कमी, मध्य-सत्र में शिक्षकों का स्थानान्तरण इत्यादि। प्रत्येक विद्यालय की परिस्थितियों में पर्याप्त अन्तर था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कोई एक सुधारात्मक विकल्प कारगर नहीं हो सकता इसलिए प्रत्येक विद्यालय को अनुसमर्थन प्रदान करने का तरीका पृथक होगा।

आन्ध्र प्रदेश में एक और व्यापक विद्यालय आधारित गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम "अधिगम-गारन्टी कार्यक्रम" के रूप में प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2001-02 में कुछ विद्यालयों में इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ की गई एवं वर्ष 2002-03 में रंगारेड्डी एवं नालगोंडा जिलों के दो मण्डलों के 83 विद्यालयों में इस योजना का विस्तार किया गया। प्रथम चरण में, यह स्पष्ट था कि अधिकांश विद्यालय उपरोक्त उल्लिखित सामान्य क्रियात्मक समस्याओं से जूझ रहे थे। दूसरे चरण में, विद्यालय एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु अनुसमर्थन प्रदान करने की रूपरेखा तैयार की गई। प्रत्येक विद्यालय की क्रियात्मक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत राज्य एवं जिले द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किया गया। भाषा एवं गणित में बच्चों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा भी किया गया। कक्षा III-V तक के बच्चों के लिए उनकी आधारभूत पढ़ने-लिखने की दक्षता विकसित करने एवं कक्षा I एवं II स्तर पर गिनती के कौशल विकास हेतु छः सप्ताह का उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पाठ्यक्रम के अन्त में, इन विद्यालयों के बच्चों में उपरोक्त दक्षताओं में काफी सुधार हुआ एवं बच्चे अपनी कक्षा की पाठ्यसामग्री को पढ़ने में अच्छी तरह से पारंगत हो गए। इसके अतिरिक्त, नवीन कक्षा-कक्ष-संस्कृति, नवीन शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध एवं नवीन शिक्षक उभर कर आये। उसी सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो पहले अपने कार्य में रुचि नहीं रखते थे वे अब सक्रिय रूप से बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं एवं जो विद्यालय पहले उदासीन एवं आकर्षणरहित स्थान थे, वे अब काफी उत्साहवर्द्धक एवं चहल-पहल वाले स्थान हैं। यह स्पष्ट सूचकांक था कि बच्चों की उपस्थिति एवं नियमितता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। जबकि, अपेक्षित अधिगम स्तर भी बहुत समय तक केवल कुछ बच्चों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षक कक्षा के प्रत्येक बच्चे को शिक्षण-अधिगम से जोड़ने में सफल रहे। बच्चों ने काफी उत्पादक कार्य किए, जो उनकी पढ़ने, लिखने एवं रेखांकन की दक्षताओं में हुई वृद्धि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित थे। शिक्षकों ने भी स्वतन्त्र रूप से अधिकांश अधिगम क्रियाओं को स्वयं तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। कक्षा-कक्ष, शिक्षकों एवं बच्चों दोनों के लिए आकर्षक एवं चुनौतीपूर्ण बन गया। शिक्षकों के मध्य भी वार्तालाप के विषयों के स्तर में परिवर्तन हुआ। वे अब अपने विद्यालय के उन्नयन में व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने लगे एवं सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की अधिगम सम्प्राप्ति में वृद्धि हेतु व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने लगे।

कार्यक्रम के अगले चरण में, उपचारात्मक शिक्षण को आगामी कार्यक्रम में बच्चों को उनकी नियमित कक्षा के विषय-स्तर पर वापस लाने हेतु जोड़ा गया। कक्षा IV एवं V के बच्चों को उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्यवस्तु ग्राह करने योग्य बनाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम के रूप में उपचारात्मक शिक्षण कराया गया (कक्षा I एवं II की दक्षताओं को सम्मिलित करते हुए)। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बात पर विचार किया गया कि कक्षा III, IV एवं V के बच्चों को अधिगम सम्बन्धी कमियों को दूर करने हेतु एक तरफ उपचारात्मक एवं सेतु पाठ्यक्रमों को माध्यम बनाया गया तथा साथ ही कक्षा I एवं II के लिए नवीन योजनाओं को लागू किया गया, जिससे विद्यालय में नवागन्तुक विद्यार्थी प्रारम्भ से ही सही तरीके से सीख सके। तीसरे वर्ष तक समस्त पाँचों कक्षाओं में नियमित योजनाएँ क्रियात्मक रूप में लागू हो जायेंगी, तब उपचारात्मक शिक्षण एवं सेतु पाठ्यक्रमों की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

व्यक्तियों को सम्मिलित कर उनका विशेष योगदान लिया गया। इस समन्वय को स्थापित करने में राष्ट्र स्तरीय समन्वय समूह ने मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। इससे गुणवत्ता उन्नयन प्रयासों को पूर्ण रूप से बल मिला एवं बाल-शिक्षण उन्नयन प्रक्रिया को विशेष रूप से सहयोग मिला।

नवाचारों को प्रोत्साहन

सरकार की यह योजना रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाए, साथ ही, इन नवाचारों से प्राप्त अधिगम अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सफल नवाचारों को मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, देश के 600 जिलों में प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक, पूर्व बाल्यकाल-देखभाल (ECC), बालिका शिक्षा एवं अनु.जा./ अनु.जनजाति के बच्चों एवं कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु उपलब्ध कराने में समर्थ होगा। जिलों को इस प्रक्रिया हेतु संसाधन केन्द्रों, विश्वविद्यालय के विभागों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, शैक्षिक नवाचार योजना के अन्तर्गत, प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अधिक कठिन समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करने एवं अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नवाचार हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य समूहों को भारत-सरकार निरंतर अनुसमर्थन प्रदान कर रही है।

विद्यालयी शिक्षा से वंचित किशोर एवं युवा वर्ग हेतु शिक्षा व्यवस्था

10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों या किशोर-किशोरियों का मस्तिष्क सच्चाई, न्याय एवं आदर्शवाद से परिपूर्ण होता है। सकारात्मक संवेग और अनुकूल वातावरण के साथ, अवसर मिलने पर वे आगे बढ़कर न्याय के लिए संघर्ष करते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग सृजनात्मक कार्यों में करते हैं। कैशोर्य वर्ग ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इस स्रोत को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक विकास की ओर उन्मुख कर उसका समुचित प्रयोग हो सकता है। यद्यपि, कैशोर्य जनसंख्या का एक भाग, किसी कारण से (वे कारण आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक) सामान्य पथ से भटक जाता है, और समाज का ध्यानाकर्षण चाहता है। जनसंख्या के इस भाग से अधिकांश किशोर सामान्य शैक्षिक धारा से विमुख होकर विद्यालय न जाने वाले युवा समूह में शामिल हो जाते हैं।

योजना आयोग के जनसंख्या प्रक्षेपण तकनीकी समूह (Technical Group on Population Projection) के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 22.8 प्रतिशत भाग कैशोर्य वर्ग है, अर्थात् भारत में इस समूह के लगभग 230 मिलियन व्यक्ति हैं। जिनमें से, 12 प्रतिशत किशोर हैं एवं किशोरियों का प्रतिशत 11 है।

किशोर वर्ग की विशिष्ट एवं पृथक आवश्यकताएँ होती हैं। कैशोर्य वर्ग से सम्बन्धित मुख्य मुद्दे हैं—स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा (औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा) व्यवसाय, मनोरंजन एवं खेल, बालश्रम, कठिन परिस्थितियों वाले बच्चे, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चे इत्यादि। सभी किशोरों को आवश्यक मुद्दों जैसे सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, यौन आवश्यकताओं एवं यौन जिम्मेदारी, विवाह की आयु एवं प्रथम गर्भाधान, परिवार का आकार, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता, टीकाकरण, एच.आई.वी./एड्स सुरक्षा, शिक्षा का महत्व (विशेषतः बालिकाओं के संदर्भ में), नशीले पदार्थों एवं शराब के सेवन की बुराई इत्यादि से परिचित कराने की आवश्यकता है। किशोर वर्ग में कुछ हद तक कानूनी साक्षरता की भी आवश्यकता है, साथ ही उन्हें व्यावसायिक अवसरों एवं भविष्य की रोजगार योजनाओं से भी परिचित कराना चाहिए।

कैशोर्य शिक्षा के मुख्य संदर्भ में, विद्यालयों में खराब अनुपस्थिति और हास अवरोध दर का अधिक होना, ध्यानाकर्षण का मुख्य क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति अत्यधिक हतोत्साहित करने वाली है, जहाँ कक्षा 8 के बाद, 15-19 वय वर्ग के मात्र 40.6 प्रतिशत बालक एवं 30.6 प्रतिशत बालिकाएँ शिक्षा जारी रखती हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी वय वर्ग के 67.4 प्रतिशत बालक और 68.3 प्रतिशत बालिकाएँ कक्षा 8 के बाद शिक्षा जारी रखती हैं। विशेष रूप से विद्यालय न जाने वाले किशोर एवं किशोरियों को आत्मविश्वासी, स्वस्थ एवं जागरुक नागरिक बनने के लिए कम अवसर मिल पाता है। विद्यालय न जाने वाले कैशोर्य वर्ग एवं विद्यालय छोड़ने वाले किशोरों के लिए औपचारिक व्यवस्था में बहुत कम सुविधाएँ हैं।

वर्ष 1981 की तुलना में, सरकार द्वारा किये गए विशेष प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1991 में साक्षरता के प्रतिशत में लैंगिक असमानता का अन्तर कम होकर 10 प्रतिशत रह गया है, यह प्रोत्साहित करने वाली सूचना है।

किशोर वर्ग हेतु नीतियां एवं कार्यक्रम

कैशोर्य वर्ग से सम्बन्धित उपर्युक्त उल्लिखित समस्त मुद्दे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत आते हैं जैसे—भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवक एवं खेल मंत्रालय इत्यादि की कैशोर्य विकास हेतु मुख्य संस्थाओं के रूप में पहचान की गई है।

कैशोर्य आवश्यकताओं से सम्बन्धित नीतियों के अनेक दस्तावेज हैं। वर्ष 2001 की राष्ट्रीय युवक नीति की कार्य योजना, युवाओं के सम्बन्ध में एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करती है। देश के विकास के एक मुख्य संसाधन के रूप में युवा वर्ग को पोषित करने की आवश्यकता है। इसके लिए “केवल युवा का साथ ही नहीं बल्कि युवाओं के साथ काम करने की आवश्यकता है”, सभी कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी के महत्व को चिन्हांकित किया है। इस नीति में देश ने युवाओं एवं किशोर वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हांकित किया है एवं समेकित विधा, लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया गया। अनौपचारिक शिक्षा सहित, किशोरों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति की कार्य योजना में किशोरावस्था (13-19) एवं परिपक्वता आयु (वर्ष 20-30) के मध्य स्पष्ट अन्तर किया गया है, इनमें विभिन्न चरणों के मध्य भी स्पष्ट अन्तर किया गया है। किशोरावस्था की उम्र को चिन्हांकित करते हुए, सरकारी कार्यक्रमों में इस नीति के द्वारा किशोरों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित वर्ष 1992 में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और निरक्षरता उन्मूलन, मुख्य रूप से 15-35 वय वर्ग के युवा और किशोरों पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत किशोरों की अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अन्तर्गत ‘महिला समानता’ विषयक भाग में, किशोरों हेतु शिक्षा कार्यक्रमों का विशेष हवाला दिया है। अतः इस नीति के तहत बारह सूत्रीय रणनीति के अन्तर्गत इस विषय का उल्लेख किया गया है। कैशोर्य स्वास्थ्य पैकेज विकास और विवाह की कानूनी आयु पर विशेष बल देने के लिए योजना का विशेष उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001 के अन्तर्गत बालिकाओं की पृथक श्रेणी निर्धारित की गई और इस श्रेणी के अन्तर्गत किशोर वर्ग की बालिकाओं को रखा गया। नीति के अन्तर्गत इन किशोरियों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य की सम्पूर्ण देखभाल, हिंसा एवं यौन उत्पीड़न के विरोध में एवं बालिकाओं के अधिकार के सम्बन्ध में कार्य निर्धारित किये गये हैं।

कैशोर्य वर्ग के लिए विशेषतः विद्यालय न जाने वाला वर्ग उपर्युक्त विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रम तथा योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित की जाती हैं। कैशोर्य वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न आयामों की आवश्यकता आंकलन के उपरान्त, योजना आयोग द्वारा कार्यकारिणी समूह का गठन किया गया। इस समूह द्वारा विभिन्न कैशोर्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर, इसकी संस्तुतियाँ दसवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002-2007 तक) के अन्तर्गत संदर्भ एवं क्रियान्वयन हेतु दी जानी है। कार्यकारिणी समूह द्वारा किशोरावस्था को “सीखने की विशेष अवधि के रूप में” चिन्हांकित किया गया है। स. लि. शि. के समान परिदृश्य एवं भावी कार्य योजना को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय न जाने वाले एवं विद्यालय जाने वाले दोनों प्रकार के किशोरों के लिए देश में चल रहे विभिन्न उपयुक्त-पाठ्यक्रम-निर्माण कार्यक्रमों से सरकारी कार्यक्रमों को सीख लेने हेतु कार्यकारिणी समूह द्वारा संस्तुति दी गई, विद्यालय न जाने वाले किशोरों की शिक्षा को उनके आत्मसम्मान, जीवन एवं सेवा योजना, बेहतर स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा, सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकारों के और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता इत्यादि से जोड़कर

व्यवस्था की जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए एक रुचिकर, अर्थपूर्ण अधिगम कार्यक्रम तैयार करना एक चुनौती है, यह कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पूर्व में हुई सामाजिक एवं शैक्षिक उपेक्षा की प्रतिपूर्ति कर सके तथा उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि की निरंतरता बनाये रखने के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सके।

योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारिणी की संस्तुतियों के आधार पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किशोर वर्ग की शैक्षिक आवश्यकताओं, विशेषतः बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु एक नवीन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के स्वतंत्र निकायों, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारी तंत्र (पंचायती राज संस्थाओं) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किशोरों की विशेष आवश्यकताओं को चिह्नित कर, वातावरण निर्माण एवं मित्रवत् सुविधाएं प्रदान करने हेतु इन समस्याओं को वित्तीय एवं तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत अभिभावकों, शिक्षकों, सरकारी संस्थाओं, कानून लागू करने वाली संस्थाओं, सूचना तंत्र, युवक एवं कशोरों का संवेदीकरण किया जायेगा। इस संवेदीकरण कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता एवं अभिमुखीकरण अभियान, किशोरों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम, स्वयंसेवी संगठनों का क्षमता-संवर्द्धन और किशोरावस्था की आवश्यकताओं के अनुसार सरकारी तंत्र का क्षमता संवर्द्धन, किशोरों हेतु उपयुक्त डाटाबेस का विकास एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाले किशोरों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर शोध को प्रोत्साहन इत्यादि दिया जायेगा।

किशोर वर्ग के हित में, इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस उद्देश्यपरक जागरूकता निर्माण के अन्तर्गत किशोरों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति उद्देश्यपरक प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनी, मेलों, मनोरंजन कार्यक्रम एवं सूचनाप्रद सामग्री का विकास एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से की जायेगी। (छपी हुई सामग्री, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री इत्यादि)।

अभिभावकों, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं, सरकारी निकायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, कानून बाध्यता संस्थाओं का संवेदीकरण, पक्षपोषण अभियानों के माध्यम से, छपाई एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वाद-विवाद में भागीदारी एवं अन्य कार्यक्रमों द्वारा किशोरों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

इस योजना के अन्तर्गत, शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सरकारी संस्थाओं और कानून बाध्यता संस्थाओं का संवेदीकरण कार्यक्रम के अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन करना भी है। इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन, सेमिनार, कम अवधि के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

कक्षा IX से कक्षा XII तक के किशोरों हेतु शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग एवं सलाह से, विभिन्न कार्यक्रम जैसे सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर भविष्य में प्रगति की सम्भावनाओं हेतु सलाह एवं मनोवैज्ञानिक सलाह का कार्य किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार, जीवन कौशल का अर्थ 'दैनिक जीवन में परिवर्तन एवं आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से निभाने में व्यक्तियों के सकारात्मक व्यवहार एवं परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमताओं से है।' जीवन कौशलों को पुनः विस्तृत रूप में विभाजित किया जा सकता है जैसे विचार कौशल, सामाजिक कौशल और वार्तालाप-कौशल इत्यादि। स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी निकायों जैसे नेहरू युवा केन्द्र, केन्द्रीय विद्यालय संस्थान (KVS) नवोदय-विद्यालय समिति द्वारा किशोरों हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, ताकि उनमें जीवन कौशल सुदृढ़ हो सके जिससे वे प्रत्येक दिन की चुनौतियों एवं आवश्यकताओं का सामना प्रभावी ढंग से कर सकें और उनकी उत्पादक क्षमता, आत्मसम्मान, आत्म-विश्वास एवं आपसी-सह-सम्बन्ध सुदृढ़ हो सकें। स्वयंसेवी संगठनों एवं केन्द्रीय विद्यालय संस्थान द्वारा यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फण्ड एवं यूनाइटेड नेशन्स के जनसंख्या

योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारिणी की संस्तुतियों के आधार पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किशोर वर्ग की शैक्षिक आवश्यकताओं, विशेषतः बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु एक नवीन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

शिक्षा

सम्पूर्ण विश्व में यह एक विशाल संस्थागत इकाई है। 189,000 ग्रामीण युवा संगठनों में लगभग 8 मिलियन से अधिक विद्यालय न जाने वाले नामांकित ग्रामीण युवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

पर गठित कार्यकारिणी समूह के सहयोग से विकसित जीवन कौशल शिक्षा का माड्यूल का प्रयोग जीवन कौशल से सम्बन्धित कार्यक्रमों में करना चाहिए।

किशोरों हेतु भविष्य निर्देशन एवं मनोवैज्ञानिक सलाह का प्रावधान गैर-निर्णयात्मक तरीके से समुचित सूचना देकर करना चाहिए ताकि किशोरों की विभिन्न जिज्ञासाओं—जैसे स्वास्थ्य, वित्त, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं आदि का समाधान किया जा सके। इससे युवाओं को वास्तविक चुनाव, विघटनकारी भटकाव से बचाव, तनाव एवं प्रतिदिन की थकान से निपटने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। शैक्षिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान एवं सलाहकार विभागों की स्थापना, विद्यालय न जाने वाले एवं विद्यालय जाने वाले किशोरों को भविष्य में रोजगार सम्भावनाओं हेतु सलाह देते हैं। शहरों एवं छोटे कस्बों में दूरभाष हेल्प-लाइन शुरू करने के लिए भी प्रस्तावित किया गया है।

देश के 500 से अधिक जिलों में, नेहरु युवा केन्द्र संस्थान (NYKS) एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, स्थापित है, यह संस्था युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। सम्पूर्ण विश्व में यह एक विशाल संस्थागत इकाई है 189,000 ग्रामीण युवा संगठनों में लगभग 8 मिलियन से अधिक विद्यालय न जाने वाले नामांकित ग्रामीण युवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह संगठन शिक्षा और प्रशिक्षण, जागरूकता विकास, कौशल-विकास एवं स्व-रोजगार, व्यावसायिक विकास, मितव्ययिता एवं सहयोग, खेलकूद एवं रोमांचक/साहसिक कार्य और नवीन विचारों और विकास योजनाओं से अभिमुखीकरण इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु, प्रत्येक जिले का नेहरु युवा केन्द्र, प्रशिक्षित जिला युवक समन्वयकों के समूह, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों, युवा नेताओं से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होता है। स्थानीय स्तर पर स्थापित नेहरु युवक केन्द्र संगठन का जाल सुदृढ़ एवं विस्तृत है।

दसवीं/ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों की प्रभावी जागरूकता हेतु, देश के सभी जिलों में नेहरु युवक केन्द्र संगठनों (NYKS) की स्थापना की योजना है। प्रत्येक केन्द्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 300 या 300 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक युवा दल/महिला मण्डल की स्थापना करेगा, जिससे आगामी पन्द्रह वर्षों में देश के लगभग 6,00,000 गांवों को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है।

आगामी पन्द्रह वर्षों में देश के प्रत्येक 5000 विकास खण्डों में कम से कम एक युवक विकास केन्द्र की स्थापना करने की योजना है और 1000 ऐसे केन्द्रों को उच्चकृत कर सूचना के मुख्य केन्द्र के रूप में ग्रामीण युवकों को इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करेंगे।

मुक्त अधिगम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1989 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में मुक्त विद्यालयी शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान (NIOS) (वर्तमान में इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहा जाता है) की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य कार्य उन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना था जो किसी कारण से औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था की निरंतरता से विरत हो चुके हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में वार्षिक नामांकन लगभग 250,000 है एवं देश में एवं देश के बाहर (नेपाल, मध्यपूर्व, कनाडा) स्थित लगभग 1700 केन्द्रों में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 750,000 है। विद्यालय न जाने वाले एवं विद्यालय छोड़ देने वाले किशोरों को नामांकन एवं अपनी शिक्षा को जारी रखने में इस नयी सुविधा का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना है, जो विद्यार्थियों को उनकी रुचि का विषय चुनने की अनुमति प्रदान करता है, लचीली परीक्षा प्रणाली एवं अन्य बोर्ड से वित्तीय हस्तांतरण की भी सुविधा प्रदान करता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा का समय एवं विषय चुन सकता है।

रा.मु.वि.शि.सं. द्वारा नवसाक्षर एवं विद्यालय न जाने वाले किशोरों को मुक्त अधिगम व्यवस्था से जोड़ कर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। मुक्त प्राथमिक स्तर की

शिक्षा निःशुल्क है। 150 से अधिक स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को लागू किया गया, जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रम को चलाते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुनौती वाले व्यक्तियों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति पर भी बल दिया गया, इन प्रयासों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) द्वारा बालश्रम परियोजना (CLP) को लागू किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत, एन.आई.ओ.एस. द्वारा उपयुक्त एवं आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम, स्व-अधिगम सामग्री (SLM), श्रवण-दृश्य निर्देशन सामग्री, हस्तांतरण कार्य योजनाएं और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का विकास राष्ट्रीय बालश्रम पूर्णवास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे 9-14 वर्ष के बच्चों की विशेष अधिगम आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए कृषि, व्यवसाय एवं वाणिज्य, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, सह-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रायोगिक विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे मुख्य क्षेत्रों में, मुक्त अधिगम व्यवस्था के माध्यम से लगभग साठ व्यावसायिक शिक्षा विषयों में शिक्षा व्यवस्था की गई। आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों की व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता के उद्देश्य के साथ, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा, ग्रामीण व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण एवं सेवा केन्द्रों को आवश्यकतानुसार संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने हेतु ग्रामीण-सामुदायिक कार्यशाला कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया।

किशोरियों हेतु शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, महिला समाख्या कार्यक्रम के माध्यम से किशोरियों की विशेष आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। सात राज्यों- कर्नाटक, गुजरात, उत्तरप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और असम में महिला समाख्या के अन्तर्गत महिला शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। जिनका उद्देश्य किशोर बालिकाओं एवं युवतियों को शैक्षिक सुविधाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करना है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को बीच में ही छोड़ चुकी किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। विगत वर्षों में इस कार्यक्रम को काफी सफलता एवं प्रसिद्धि मिली है क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरियों की औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने की बढ़ती हुई माँग, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं व्यावसायिक दक्षता की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हुई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरी/चेली संघ (किशोरियों का समूह) की स्थापना की गई, यह संघ विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को जीवन कौशल से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत ही किशोरी मेलों के आयोजन किये गए जिसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों में स्वयं का विकास एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त के अनुसार 240 जिलों में महिला समाख्या के विस्तार की योजना है।

वर्ष 1992 में राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम लागू किया गया, इसके अन्तर्गत वर्ष 1995 से किशोर-बालिकाओं हेतु लगभग छः माह का आवासीय शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर के प्रतिभागियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। उनको विभिन्न सबलीकरण एवं अधिकारिता कार्यकलाप भी सिखाए जाते हैं। लोक जुम्बिश के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालक और बालिकाओं हेतु अल्प अवधि के शिविर का आयोजन भी प्रारम्भ किया गया, इसमें किशोर-किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक क्षेत्रों से परिचित कराया जाता है। इसके अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया।

महिला एवं बाल-विकास विभाग के अन्तर्गत क्रियाकलाप

महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भी किशोर-बालिकाओं हेतु किये गए प्रयास एवं नीतियों को समर्थन प्रदान किया जाता है। यह देखा गया है कि किशोर-बालिकाओं को अभी भी जीवन-पर्यन्त भेदभाव का अनुभव करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी

रा.मु.वि.शि.सं. द्वारा नवसाक्षर एवं विद्यालय न जाने वाले किशोरों को मुक्त अधिगम व्यवस्था से जोड़ कर प्रारम्भिक प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। मुक्त प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क है।

वर्ष 1991-92 में, विभाग के मुख्य कार्यक्रम के रूप में किशोरी-शक्ति योजना लागू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर-बालिकाओं में स्व-विकास एवं सशक्तीकरण हेतु आत्मविश्वास विकसित करना एवं भविष्य में एक आत्मविश्वासी के रूप में अपने उत्पादक एवं प्रजनन दायित्वों का निर्वहन करना, ताकि वे न केवल परिवार बल्कि निर्माण अपितु देश-निर्माण में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। वर्तमान में किशोरी शक्ति योजना देश के 2000 आई.सी.डी.एस. से आधारित विकास खण्डों में चल रही है, इस योजना का विस्तार 2500 अन्य विकास खण्डों तक करने की योजना है।

बालिकाओं की असमान स्थिति में आ रही कमियों को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को सुविधा प्रदान करने में जीवन चक्र विधा का प्रयोग किया गया है। इस अवधि में, किशोर बालिकाओं के अधिकारों में आ रहे समस्त भेदभावों एवं अन्तर को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। इसके अन्तर्गत संगत कानून बनाकर एवं उनको कड़ाई से लागू कर मादा भ्रूणहत्या/शिशु-हत्या, बाल-विवाह, बाल-बुराई, बालश्रम और बाल वेश्यावृत्ति इत्यादि बुराईयों का उन्मूलन किया जायेगा। वर्ष 1991-92 में, विभाग के मुख्य कार्यक्रम के रूप में किशोरी-शक्ति योजना लागू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर-बालिकाओं में स्व-विकास एवं सशक्तीकरण हेतु आत्मविश्वास विकसित करना एवं भविष्य में एक आत्मविश्वासी के रूप में अपने उत्पादक एवं प्रजनन दायित्वों का निर्वहन करना, ताकि वे न केवल परिवार-निर्माण अपितु देश-निर्माण में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। वर्तमान में किशोरी शक्ति योजना देश के 2000 आई.सी.डी.एस. आधारित विकास खण्डों में चल रही है, इस योजना का विस्तार 2500 अन्य विकास खण्डों तक करने की योजना है। यद्यपि, वर्तमान स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण-सम्बन्धी जानकारी का पैकेज में, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक दक्षता कौशल विकास के अतिरिक्त सलाहकारी सुविधाओं को शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालिका स्मृद्धि योजना के नाम से एक लम्बी अवधि की विकास योजना लागू की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत इसका विस्तार न केवल बालिकाओं हेतु बल्कि बालिकाओं की माताओं के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, परिणामस्वरूप, वे अपनी बालिकाओं को समर्थन प्रदान करने में समर्थ हो सकें। जो प्रयास कुछ राज्यों में सफलतापरक सिद्ध हो चुके हैं उनको देश के अन्य भागों में लागू किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत क्रियाकलाप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कैशोर्य वर्ग की सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में कार्य करता है, इसके अन्तर्गत सामाजिक रूप से पिछड़े सामाजिक वर्ग की किशोर बालिकाओं जैसे-अनु0जा0, अनु0जन0जा0 को छात्रवृत्ति एवं आवासीय सुविधा योजना का प्रावधान कर, उनकी शिक्षा में अनुसमर्थन प्रदान करता है।

इस मंत्रालय द्वारा बाल-अपराध (Juvenile Justice Act 2000) बाल-अपराध न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत बाल न्याय योजना के माध्यम से अपराधी प्रवृत्ति के किशोरों की देखभाल, सुरक्षा, विकास एवं पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अपराधी एवं गैर-अपराधी दोनों प्रकार के किशोरों को विभिन्न स्तरों पर समझ विकसित करने, प्रतिरक्षण एवं पुनर्वास हेतु पृथक व्यवस्था का विकास एवं अनुसमर्थन प्रदान कर प्रभावित किशोरों को गुणवत्तापरक संस्थागत देखभाल में वृद्धि करना है।

वह अपराधी बच्चे, जिनको अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण प्रक्रिया के अन्तर्गत परिवार एवं समाज में ठीक नहीं किया जा सकता है, उनको पुलिस, न्यायालय एवं सुधार संस्थाओं (बाल-अपराध-गृह) द्वारा औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा बाल अपराधियों को सुधारने का प्रावधान इस मंत्रालय द्वारा किया गया। इस मंत्रालय के द्वारा स्वयंसेवी कल्याण संस्थाओं की सेवाओं का प्रयोग, बाल अपराधियों विशेषकर जो बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं, उनको विभिन्न स्तरों पर उपचार एवं पुनर्वास हेतु संस्तुति दिलवाने में किया जाता है।

बाल अपराध न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों हेतु संचालित संस्थाओं में कार्यरत सरकारी अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के व्यक्तियों हेतु अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बाक्स 7.1 : दूसरा दशक

"दूसरा दशक" कार्यक्रम 11-20 वर्ष के व्यक्तियों मुख्यतः किशोरों की शिक्षा एवं विकास हेतु है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, किशोरों को सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में विकसित करने की योजना है।

तर्कसंगत आधार

भारत की जनसंख्या का लगभग 23 प्रतिशत भाग किशोरों का है। उनके शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का उनके जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनके मन में अलगाव की भावना पनप जाती है और वे नशीले पदार्थों एवं शराब का सेवन करने लगते हैं। इस आयु वर्ग के व्यक्तियों में अपार शक्ति होती है एवं वे आदर्शवाद से प्रभावित रहते हैं। यदि उनको उपयुक्त शिक्षा एवं कौशल दक्षता प्रदान की जाये तो वे सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक समृद्धि के स्रोत बन सकते हैं। डकार रूपरेखा के अनुसार, सभी के लिए शिक्षा की कार्य योजना में इस वय वर्ग को विशेष रूप से संगठित कर उनको आवश्यकता आधारित समान अधिगम अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

11-20 वय वर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में, इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- * किशोर वर्ग की अधिगम सम्बन्धित आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति।
- * उनमें किशोरावस्था एवं पारिवारिक जीवन में स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों की समझ एवं उन्नयन हेतु भावना विकसित करना।
- * सामाजिक आर्थिक एवं लैंगिक असमानताओं के मुख्य कारणों के प्रति जागरूकता विकसित करना।
- * व्यावसायिक एवं जीवन कौशलों में अभिवर्द्धन करना।
- * राष्ट्र निर्माण हेतु उनकी शक्ति का संवर्द्धन करना।

- * जीवन सुधार हेतु विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग।

कार्य योजना :

मुख्य कार्य योजना एवं क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

- * सामुदायिक जागरूकता
- * शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन कौशल, मूल्य बोध कराने हेतु गुणवत्तापरक आवासीय शिविरों का आयोजन।
- * इन शिविरों में युवाओं में नवीन नेतृत्व का विकास किया जाता है ताकि वे शिविर से वापिस जाकर अपने संगीसाथियों एवं समुदाय के साथ अपनी जानकारी बांट सकें।
- * युवा मंच एवं किशोर मंच को प्रोत्साहन के साथ-साथ अन्य बातों पर भी जैसे लैंगिक-संवेदनशीलता, सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण पर भी ध्यान देना।
- * कार्यक्रम का पक्षपोषण एवं प्रचार करना।

जून, 2001 में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया एवं इसको राजस्थान के दो विकास खण्डों में क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना के लिए टाटा शिक्षा ट्रस्ट, यूनेस्को, यू.एन.पी.एफ.ए. यू.एन.आई.एफ.ई. के द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

निष्कर्ष

निम्नांकित मुख्य बिन्दु उभर कर आये -

1. 80 गांवों में सामाजिक जागरूकता एवं कार्यगतिशीलता।
2. 700 किशोरों हेतु आवासीय प्रशिक्षण का प्रावधान।
3. 42 गांवों में, जहाँ पर विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वहाँ पर युवा मंच बनाना।
4. दोनों विकास खण्डों के अकाल प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना।
5. सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से अपनाया गया।

जिन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को पूर्ण किया उनके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया।

बाल अपराध न्याय अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बच्चों में जो शैक्षिक एवं अन्य क्रियाकलापों में काफ़ी आगे थे, उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयास

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विद्यालयों में एच.आई.वी./एड्स शिक्षा, किशोरों हेतु रेडियो एवं दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृत्व देखभाल का प्रावधान, किया गया। इसके अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व, पोषण सुविधाएं एवं इच्छा रहित गर्भ से सुरक्षा इत्यादि आते हैं। यह मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से नशा उन्मूलन केन्द्रों के संचालन में मिलकर कार्य कर रहा है एवं इसी क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अनुसमर्थन प्रदान करता है।

यह मंत्रालय, किशोरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखभाल का कार्य करता है। युवाओं में एड्स को एक मुख्य समस्या के रूप में चिन्हांकित किया गया है, 15-24 वर्ष के मध्य के युवाओं में नवीन एच.आई.वी. संक्रमण फैलने का प्रतिशत लगभग 50 है। युवाओं में इस बीमारी के मुख्य भय का कारण उनकी लैंगिक एवं यौन संबन्धों, एच.आई.वी./एड्स/यौन संक्रमण एवं असुरक्षित यौन सम्बन्धों के प्रति अज्ञानता है। इसी सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किशोरों हेतु एच.आई.वी./एड्स, यौन संक्रमण के प्रति जानकारी के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न प्रयास किये गए हैं।

सर्वे
लिए
शिक्षा



प्रौढ़ों हेतु साक्षरता एवं जीवन कौशल कार्यक्रम

स.लि.शि. हेतु पूर्व बोध : प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन में रा.सा.मि. (NLM) की भूमिका प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (NPE) के निष्पादन के अन्तर्गत रा.सा.मि. लागू किया गया। सभी के लिए शिक्षा पर विश्व स्तरीय बैठक का आयोजन वर्ष 1990 में जोमेतियन (Jomtien) में आयोजित की गई, उसी समय से साक्षरता हेतु किये गए प्रयासों का सर्वेक्षण आरम्भ किया गया। साक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को अभियान के रूप में, भारत में चलाया गया। प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या से निपटने के लिए एक जन अभियान के रूप में उभर कर आया। स. लि. शि. का मूल्यांकन वर्ष 2000 में किया गया, उस समय, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (TLCs) के माध्यम से साक्षरता को कौशल विकास, गुणवत्तापरक जीवन, इत्यादि से जोड़कर कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए साक्षरता की प्राप्ति, शैक्षिक कार्यक्रमों की निरंतरता की कार्य योजना तैयार की गई। स.लि.शि. (EFA) की सफलता हेतु इन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक भागीदारी एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, रा.सा.मि., डकार कार्य योजना के अनुसार निर्धारित समय के पहले ही लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम है।

योजना का आच्छादन

वर्ष 1990 में अरनाकुलम (Ernakulam) में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ हुआ, देश के 600 जिलों में 587 जिले सम्पूर्ण साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रमों से आच्छादित हैं। मार्च, 2003 तक, 190 जिले सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के स्तर तक पहुँच चुके हैं। 196 जिले साक्षरता के बाद के चरण में हैं, जबकि 201 जिले शिक्षा की निरंतरता के स्तर की ओर अग्रसर है। इस जन अभियान के माध्यम से, 150 मिलियन से अधिक अशिक्षित जनसंख्या तक सम्पूर्ण साक्षरता मिशन की पहुँच से 98 मिलियन लोगों को साक्षर किया गया है। इनमें से 60% से अधिक महिलाएँ हैं। सामाजिक रूप से अपवंचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के निरक्षर लोगों की संख्या 36 प्रतिशत है।

साक्षरता का वर्तमान स्तर : राष्ट्रीय परिदृश्य

सारणी 8.1 के अनुसार, 7 वर्ष एवं इससे अधिक की जनसंख्या के प्रतिशत में प्रत्येक दशक में 26-27 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-91 के दौरान साक्षरों के प्रतिशत में लगभग 52 प्रतिशत वृद्धि हुई है एवं वर्ष 1991-2001 के दौरान 59 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-91 में निरक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन वर्ष

सारणी 8.1 : 1981-2001 की अवधि में भारत में साक्षरता वृद्धि: 7 वर्ष आयु वर्ग तथा उससे ऊपर

(मिलियन में)

	1981*	1991**	2001
जनसंख्या	541.4	688.1	867
साक्षर	235.9	359.3	567
निरक्षर	305.5	328.8	300
साक्षरता प्रतिशत	43.5	52.2	65.4

स्रोत : भारत की जनगणना आख्या

* असम को छोड़कर, जहाँ 1981 की जनगणना नहीं हुई थी

** जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जहाँ 1991 की जनगणना नहीं हुई थी

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पांच दशकों के दौरान, पिछले दशक में, साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक था—जो 52.2 से बढ़कर 65.38 प्रतिशत हुआ अर्थात् 13.2 प्रतिशत अधिकाधिक वृद्धि हुई। प्रथम बार, देश में महिला साक्षरता दर में पुरुषों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 14.87 प्रतिशत (39 से 54 प्रतिशत) है।

1991–2001 में यह पर्याप्त मात्रा में घट गई है। वर्ष 1981–91 के दौरान साक्षरता दर में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 1991–2001 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत लगभग 13.2 था। इस विश्लेषण से स्पष्ट है, कि वर्ष 1991–2001 में साक्षरता की प्रगति का प्रतिशत पूर्व दशकों की तुलना में अधिक था। इस प्रगति से स्पष्ट है, कि वर्ष 1991–2001 में पूर्व दशकों की तुलना में बेहतर शैक्षिक प्रयास किये गए। प्रथम बार ऐसा देखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में शैक्षिक प्रयासों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और असाक्षर व्यक्तियों की संख्या में कमी आना प्रारम्भ हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पांच दशकों में, पिछले दशक में, साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक था—जो 52.2 से बढ़कर 65.38 प्रतिशत हुआ अर्थात् 13.2 अधिकाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रथम बार, देश में महिला साक्षरता दर में पुरुषों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 14.87 प्रतिशत (39 से 54 प्रतिशत) है। पुरुषों में यह वृद्धि केवल 11.72 प्रतिशत हुई है (64 से 75 प्रतिशत)। इससे स्पष्ट है कि साक्षरता दर में लैंगिक असमानता का अन्तर मिट चुका है, जो वर्ष 1991 में 25 प्रतिशत था, वर्ष 2001 में यह घटकर 20 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण—शहरी साक्षरता दर में अन्तर में भी पहली बार परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1991–2001 के मध्य में ग्रामीण साक्षरता दर में 14.52 प्रतिशत एवं शहरी साक्षरता दर में मात्र 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अतः शहरी—ग्रामीण अन्तर में वर्ष 1991 में 28.39 प्रतिशत से वर्ष 2001 में 20.85 प्रतिशत कम हो गया है। उसी प्रकार असाक्षर व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है, यह आंकड़ा वर्ष 1991 में 328 मिलियन एवं वर्ष 2001 में 296 मिलियन था।

साक्षरता : क्षेत्रीय विविधता

राष्ट्रीय आंकड़ों से पृथक, राज्यों के मध्य साक्षरता के परिदृश्य में काफी अन्तर पाया जाता है। 35 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में से 9 प्रदेश उच्च साक्षरता दर के अन्तर्गत आते हैं, इन प्रदेशों में साक्षरता का प्रतिशत 81 से 90 के मध्य है। 65.4 प्रतिशत, राष्ट्रीय औसत के ऊपर तेरह राज्य आते हैं। अन्य तेरह राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में साक्षरता अभी राष्ट्रीय औसत से कम है—सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है।

इन आंकड़ों के अन्तर्गत, औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्यों में, पिछले दशक में साक्षरता दर में आकर्षक वृद्धि हुई है। इन राज्यों में, प्रौढ़ साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया। उदाहरणतः राजस्थान में सबसे अधिक साक्षरता दर में 22.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (महिला साक्षरता दर में 20.44 प्रतिशत वृद्धि हुई है)। कुछ राज्य ऐसे भी हैं

जैसे छत्तीसगढ़ जहाँ महिला साक्षरता दर में 24.88 प्रतिशत (भारत में सर्वोपरि) की वृद्धि हुई है, (वर्ष 1991 की महिला साक्षरता दर 1991 में 27.52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 52.40 प्रतिशत हो गई है)। मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पर पिछले दशक में महिला साक्षरता दर में 20.93 प्रतिशत वृद्धि रिकार्ड की गई है।

शेष निरक्षरता

साक्षरता दर में आकर्षक उपलब्धि के बावजूद, निरक्षरता को समस्या से पूरी तरह से निपटने में अभी काफी प्रयास करना है। सात से भी अधिक राज्यों में 15 मिलियन निरक्षर जनता है। भारत में निरक्षरता दर 64.81 होने के लिए ये सभी राज्य जिम्मेदार हैं। इनमें से मात्र 4 राज्य—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, भारत की 42.84 प्रतिशत निरक्षरता इतु जिम्मेदार है। इनके अलावा, चार अन्य और ऐसे राज्य हैं जहाँ निरक्षर जनसंख्या 10–14 मिलियन के मध्य है। 21.70 प्रतिशत तक लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है। ग्रामीण एवं शहरी

वाक्स 8.1 : हिमाचल प्रदेश : सतत् सफलता की कहानी

हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर, वर्ष 1961 में 21.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1997 में 77 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण साक्षरता दर के संदर्भ में, अपूर्व वृद्धि हुई है। 16 मुख्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्थान दूसरा है। वर्ष 1981 में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर था, अभी तक यह प्रदेश साक्षरता दर में अपना दूसरा स्थान बनाए हुए है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश में शैक्षिक प्रगति को कठिन बनाने वाले कई कारण होते हुए भी प्रगति हुई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता दर 77.13 प्रतिशत थी, जो औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत से अधिक थी। देश के मुख्य राज्यों में अब यह राज्य धीरे-धीरे तीसरे स्थान पर पहुँच रहा है।

साक्षरता दर की खाई को पाटने हेतु अतिरिक्त प्रयास किये गए, यह अन्तर कम से कम 20 प्रतिशत था। सबसे अधिक ज्वलन्त समस्या ग्रामीण महिला साक्षरता दर की है, राष्ट्रीय औसत 54.03 प्रतिशत की तुलना में 46.58 प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार अनु.जा. की 53 प्रतिशत, अनु.जन.जाति की 49 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर की तुलना में अनु.जा., अनु.जन.जाति की साक्षरता की स्थिति काफी कम है।

पिछले दशक में, प्रतिवर्ष 1.3 प्रतिशत साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। 7-14 वय वर्ग की जनसंख्या में, थोड़ी कमी आई है। वर्ष 2001 से 2003 तक, दो वर्षों के दौरान, साक्षरता दर में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है। वर्ष 2003 हेतु किये गए जनसंख्या आंगणन के आधार पर साक्षर और निरक्षर की संख्या, आंगणित की गई है। जबकि निरक्षर लोगों की संख्या में कमी आने का चलन हो गया है, साक्षर की संख्या में लगभग 4 प्रतिशत, प्रतिवर्ष वृद्धि आंगणित की गई है।

योजना आयोग द्वारा गठित तकनीकी समूह के द्वारा वर्ष 2016 तक भारत एवं भारत के राज्यों हेतु जनसंख्या आंगणन किया गया है। इस समूह द्वारा किये गए जनसंख्या आंगणन में मामूली समायोजन कर एवं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आंगणन के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े तैयार किये गए हैं। पिछले दशक के दौरान, प्रतिवर्ष 20 मिलियन की औसत दर से साक्षरों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 हेतु साक्षरों की जनसंख्या का आंगणन 892 मिलियन किया गया है, इस आंकड़े के अनुसार, साक्षरों की संख्या में वृद्धि का औसत 23 मिलियन प्रतिवर्ष होना चाहिए। यह साक्षरता वृद्धि आंगणन, देश की प्राथमिक विद्यालयी व्यवस्था में लगभग 17 मिलियन प्रतिवर्ष कक्षा चार तक की स्थायी साक्षरता स्तर के आधार पर एवं 5 से 6 मिलियन व्यक्तियों को प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से साक्षर बनाये जाने की योजना के अनुसार किया गया है²। इन आंगणनों के आधार पर, वर्ष 2015 तक, 7 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के बच्चों की साक्षरता दर 83 प्रतिशत एवं निरक्षर जनसंख्या 183 मिलियन आंगणित की गई है³।

डकार कार्य योजना की रूपरेखा

प्रौढ़ साक्षरता के अन्तर्गत स.लि.शि. (EFA) के मुख्य क्षेत्र

डकार कार्य योजना की रूपरेखा, विशेषतः प्रौढ़ साक्षरता के संदर्भ में, इस प्रकार है :

- सभी युवाओं एवं प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, समुचित अधिगम सम्बन्धी एवं जीवन-कौशल कार्यक्रमों के माध्यम की समान-पहुँच सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2015 तक, प्रौढ़ साक्षरता के विभिन्न स्तरों में 50 प्रतिशत उन्नयन की सम्प्राप्ति विशेषतः महिलाओं में एवं सभी प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु प्राथमिक एवं निरन्तर चलने वाली शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करना।

वर्ष 2015 तक 50 प्रतिशत डकार लक्ष्य की सम्प्राप्ति

प्रौढ़ साक्षरता के मापन के उद्देश्य से, यूनेस्को (UNESCO) ने 15 वर्ष और इस वय वर्ग से ऊपर की जनसंख्या को लिया है। पूर्व दशकों के दौरान, भारत में प्रौढ़ साक्षरता की दर में वृद्धि सारणी 8.3 में दर्शायी गई है। यूनेस्को के आकलन के अनुसार, वर्ष 2002 की अनुश्रवण आख्या में (Monitoring Report 2002) में भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर 57.2 प्रतिशत दर्शायी गयी है⁴। जबकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 1998-99 के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक की जनसंख्या की प्रौढ़ साक्षरता दर 58.5 प्रतिशत होनी चाहिए। इस प्रकार के अनुमानित आंगणनों के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि वर्ष 2000 में, भारत में प्रौढ़ साक्षरता दर 60 प्रतिशत तक होनी चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) एवं वर्ष 2001 की जनगणना में दर्शाये गए आंगणन के आधार पर वर्ष 2001

सारणी 8.2 : भारत में साक्षरता वृद्धि : 2003 से 2015 (7 वय वर्ग तथा उससे ऊपर)– एक प्रक्षेपण
(मिलियन में)

	2003	2015
जनसंख्या	900	1075
साक्षर	612	892
निरक्षर	288	183
साक्षरता प्रतिशत	68	83

सारणी 8.3 : भारत में प्रौढ़ साक्षरता वृद्धि

(मिलियन में)

जनगणना वर्ष	व्यस्क जनसंख्या	व्यस्क साक्षर की संख्या	निरक्षर की संख्या	व्यस्क साक्षर दर (%)
1971	317.82	108.31	209.51	34.08
1981	401.85	164.03	237.82	40.82
1991	526.20	255.42	270.78	48.54
1998-99*				58.46

एन.एफ.एच.एस.-2- नमूना अध्ययन पर आधारित

सारणी 8.4 : प्रौढ़ साक्षरता

(मिलियन में)

जनगणना वर्ष	व्यस्क जनसंख्या	व्यस्क साक्षर की संख्या	निरक्षर की संख्या	व्यस्क साक्षरता दर (%)
2001	675	412	263	61
2003	710	452	258	64
2015	900	720	180	80

आधार पर, साक्षरता दर में वृद्धि का आंगणन 12 प्रतिशत किया गया है। वर्ष 1971-81 के दौरान प्रौढ़ साक्षरों की संख्या में औसत वृद्धि लगभग 5.6 मिलियन प्रतिवर्ष के अनुसार हुई है। वर्ष 1991-2001 के दौरान किये गये वृहद प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस अवधि में प्रौढ़ साक्षरों की संख्या में औसतन 9 मिलियन की वृद्धि हुई है, इस अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि की दर लगभग 16 मिलियन थी। 21वीं सदी के दौरान, इस क्षेत्र में पुनः वृद्धि हो रही है। वर्ष 2015 तक साक्षरता दर, वर्तमान साक्षरता दर 64 प्रतिशत (वर्ष 2003) से बढ़कर 80 प्रतिशत होने की सम्भावना है। वर्ष 2015 तक 6-14 वय वर्ग के समूह एवं 15 वर्ष की आयु एवं उससे ऊपर के वय वर्ग की साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि होने की सम्भावना है। वर्तमान में 6-14 वय वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि दर कम हो रही है, अतः इसका प्रभाव आगे की 15-25 वय वर्ग की जनसंख्या पर पड़ेगा। अतः वर्ष 2015 तक भारत उन देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा, जहाँ प्रौढ़ साक्षरता दर 70-90 प्रतिशत पहुँच चुकी होगी।

वर्ष 2000 तक ऊपर दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रौढ़ साक्षरता दर लगभग 60 प्रतिशत थी। वर्ष 2015 तक, निरक्षर लोगों की वास्तविक संख्या के सन्दर्भ में भी, वर्ष 2001 में लगभग 263 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है जो वर्ष 2015 तक 150 मिलियन हो जायेगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन : मुख्य कार्य क्षेत्र

“स.लि.शि. का मूल्यांकन वर्ष 2000” से पूर्व वर्ष 1999 में, साक्षरता अभियान के साथ-साथ एक भाग के रूप में, रा.सा.मि. द्वारा कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जो बाद में डकार कार्य योजना की रूपरेखा में उभर कर आया।

- * वर्ष 2007 तक, 75 प्रतिशत साक्षरता दर की सम्प्राप्ति।
- * साक्षरता के क्षेत्र में क्षेत्रीय, सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं से निपटने हेतु बहु-आयामी कार्य योजना।
- * साक्षरता के क्षेत्र में लैंगिक असमानता की खाई को पाटने के लिए महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ एवं वृद्धि के लिए साक्षरता, पश्च-साक्षरता और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- * पश्च-साक्षरता एवं सतत्-शिक्षा कार्यक्रमों से आच्छादित जनपदों में सक्रियता लाने हेतु विशेष ध्यान

हेतु प्रौढ़ साक्षरता दर का आंगणन 61 प्रतिशत किया गया। (वर्ष 2001 की जनगणना में वय-वर्ग-वार साक्षरता दर अद्यतन अप्राप्त है)।

सारणी 8.4 के अनुसार, वर्ष 2015 में स्थिति उभर कर आई है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अनुमानित आंगणन एवं (जनसंख्या आंगणन हेतु गठित तकनीकी समूह) वर्ष 2001 की जनगणना के परिणामों के आधार पर न्यूनतम समायोजन कर जनसंख्या आंगणन किया गया है। वर्ष 1971-81 के दौरान प्रौढ़ साक्षरता दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगले दशक में अर्थात् वर्ष 1981-91 के दौरान साक्षरता दर में 8 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1991-2001 के दौरान, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के

**बाक्स 8.2 : नवसाक्षरों हेतु रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :
जन शिक्षण संस्थान, कोयम्बटूर**

जन शिक्षण संस्थान द्वारा निरक्षरों, नवसाक्षरों, शारीरिक रूप से अक्षम, झुग्गी-झोपड़ियों, बेरोजगार युवाओं हेतु आवश्यकता-आधारित एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव, मोटर ठीक करना, बिजली का काम, मशीनरी तैयार करना, खराब मशीन, कुम्हार का काम, मशीन चलाने वाला, पानी की पाइप लाइन डालना, कम्प्यूटर में कार्यक्रम निर्माण का खाका तैयार करना, कम्प्यूटर का प्रयोग, सौन्दर्य प्रसाधन, रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलन सम्बन्धी कार्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कपड़ा काटना एवं सिलना, कढ़ाई एवं परिधान सज्जा, धातु का काम इत्यादि। स्थानीय उद्योगों जिला रोजगार कार्यालय, अस्पताल, वाहन सेवा केन्द्र, भावी नियोक्ता, अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर पाठ्यक्रमों का चिन्हांकन एवं विकास किया गया।

कोयम्बटूर जिले में बहुत अधिक संख्या में कपड़ा मिलें हैं— बड़ी, मध्यम एवं छोटी। सेलम एवं इरोड जिले भी औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय औद्योगिक एवं सेवा निकायों की आवश्यकताओं से जोड़ते हुये तैयार किया जाता है। जन शिक्षण संस्थान कोयम्बटूर द्वारा नवसाक्षरों हेतु प्रभावी रोजगार कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1997-98 से 2001-02, तक जन शिक्षण संस्थान कोयम्बटूर द्वारा 8,457 व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया गया है एवं सभी नवसाक्षर प्रशिक्षार्थियों को सवेतन रोजगार एवं स्व-रोजगार हेतु नामांकित किया गया है।

दिया गया एवं महिला संगठनों को नव साक्षर एवं स्व-सहायतित समूह (SHGs) में परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहन।

- * दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु जिन क्षेत्रों को विशेष वरीयता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, उनके अन्तर्गत सामाजिक रूप से अपवंचित समूहों जैसे अनु.जा./अनु.जन.जाति एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- * क्षेत्रीय असमानताओं और विशेषतः कम साक्षरता दर वाले राज्यों को विशेष ध्यान देने हेतु चिह्नांकित किया गया है। 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता दर वाले 45 जिलों में साक्षरता दर में सुधार लाने हेतु बहु-आयामी कार्य योजना का प्रावधान किया गया है।
- * प्राथमिक साक्षरता, पश्च-साक्षरता और सतत्-शिक्षा के विभिन्न चरणों को अधिगम की निरंतरता बनाये रखने हेतु समेकित विधा अपनायी चाहिए।
- * जिला साक्षरता समिति, स्वशासित संस्था के द्वारा साक्षरता, पश्च-साक्षरता और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं निरीक्षण किया जाता है, जि.सा.स. को, युवा संघों, महिला मण्डलों, स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे पंचायतों, सहकारी समिति इत्यादि को सतत् शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु अब भागीदारी का नेटवर्क तैयार करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- * प्रशासनिक नागरिक समिति की भागीदारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला साक्षरता समिति (ZSS) का क्षमता-संवर्धन कर स्वयंसेवी संगठनों के साथ कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, साथ ही सतत् शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था का कार्य भी जिला साक्षरता समिति द्वारा किया जाना है।
- * जन शिक्षण संस्थान (JJS) की संख्या में वृद्धि कर 122 हो गई है। (पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ कहा जाता था) नवसाक्षर हेतु अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।
- * जन शिक्षण संस्थान (JJS) जो पास के जिलों में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों का विस्तार।

महिला साक्षरता में सुधार लाने हेतु, कुछ राज्यों में कम साक्षरता वाले जिलों में बहु-आयामी कार्य योजना के क्रियान्वयन का प्रारम्भ किया जा चुका है।

- * सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं के परिप्रेक्ष्य में, रा.सा.मि. द्वारा जिला साक्षरता समिति के सहयोग से साक्षरता एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रम हेतु अनु.जा., अनु.जन.जा. एवं महिलाओं के लिए विशेष कार्य योजना के रूप में रेखांकित किया गया है। सामाजिक हानियों और तीव्र आर्थिक समस्याओं, अनु.जातियों हेतु विशेष केन्द्र एवं उनकी कॉलोनी विकसित करने हेतु प्रोत्साहन। सतत् शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता एवं कौशल उन्नयन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों इत्यादि पर विशेष बल दिया गया है।
- * अनु.जा. के संदर्भ में उनकी गरीबी, शोषण, खराब स्वास्थ्य एवं सुदूर स्थानों में फैले हुए निवास स्थान की व्यवस्था, वित्तीय निर्धारण के संदर्भ में रा.सा.मि. द्वारा विशेष राहत दी गई है। अनु.जन.जा. विशेषतः महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने हेतु साक्षरता कार्यक्रम में क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को दूर करना।

साक्षरता में लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु कार्य योजनाएं : राज्य और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

भारतीय शिक्षा में, प्रौढ़ साक्षरता और सतत् शिक्षा जैसे समवर्ती विषयों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के समान दायित्व है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को एक विस्तृत योजना एवं अधिक वित्तीय अधिभार के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार की स.लि.शि. हेतु भी प्रतिबद्धता है, राज्यों द्वारा अपने उपलब्ध स्व-संसाधनों का प्रयोग कर रा.सा.मि. के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना। वर्ष 2001 की जनगणना से प्राप्त परिणामों के आधार पर, 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले जिलों को चिन्हांकित किया गया। विशेष साक्षरता अभियान हेतु 45 जिलों को पहले ही लिया जा चुका है।

महिला साक्षरता में सुधार लाने हेतु, कुछ राज्यों में कम साक्षरता वाले जिलों में बहु-आयामी कार्य योजना के क्रियान्वयन का प्रारम्भ किया जा चुका है।

साक्षरता के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की कार्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश दो उपागमों को समयोजित कर साक्षरता के लक्ष्य तक पहुँचने हेतु प्रयोग कर रहा है। शेष निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्रीय व्यवस्था के रूप में स्वयं सेवित समूहों (SHGs) का प्रयोग राज्य द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं के मध्य किया जा रहा है, एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि सेतु का कार्य कर रही है। द्वितीय उपागम के रूप में साक्षरता, उत्तर-साक्षरता, सतत् शिक्षा कार्यक्रम को समेकित रूप से सतत् शिक्षा केन्द्रों में प्रेरकों का समुचित क्षमता संवर्द्धन एवं सुनियोजित सामुदायिक स्वामित्व कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों की व्यवस्था कर संचालित किया गया।

राजस्थान द्वारा कम साक्षरता दर वाले जिलों में महिला निरक्षरता उन्मूलन हेतु पंचायतों की मुख्य रूप से उत्प्रेरक के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार के समर्थन से महिला साक्षरता हेतु "महिला पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन" चलाया गया।

लैंगिक असमानता के संदर्भ में एक अन्य कार्य योजना के अन्तर्गत महिलाओं के स्वयं सेवित समूहों का गठन साक्षरता केन्द्र के रूप में उभर कर आया है। यह कार्यक्रम महिलाओं में जागरूकता, सक्रियता, सशक्तीकरण एवं उत्तर शिक्षा (PL) एवं सतत् शिक्षा स्तर पर स्थिति में सुधार हेतु प्रभावी माध्यम के रूप में उभर कर आया है। शेष महिला साक्षरता के उन्मूलन हेतु इन समूहों को एक आधारभूत इकाई के रूप में प्रयोग का चलन बढ़ रहा है, इन्हीं महिला समूहों में से साक्षर स्वयंसेवकों का प्रयोग एवं जिला शिक्षण संस्थानों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण अधिगम प्रगति का पुर्नरीक्षण किया जाता है।

बाक्स 8.3 : कैंथुन साड़ी बुनकर :
जन शिक्षण संस्थान की साक्षरता सफलता की कहानी

राजस्थान के कोटा जिले में लाडपुरा विकास खण्ड में कैंथुन नामक एक क्षेत्र है, यह क्षेत्र साक्षरता कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करने हेतु अत्यन्त मुश्किल क्षेत्र है। यहाँ पर साक्षरता दर नगण्य सी है एवं गरीबी बहुत अधिक है। यहाँ के प्रत्येक घर में साड़ी बुनने का कार्य होता है। यहाँ का बच्चा पढ़ नहीं सकता परन्तु नमूनों (डिजाइन) को भलीभांति आसानी से पहचान सकता है।

प्रारम्भ में, महिलाएं साक्षरता कक्षाओं हेतु अपना कीमती समय (साड़ी बुनने का समय) न दे पाने के प्रति काफी दृढ़निश्चयी थीं क्योंकि वे समझती थीं कि साक्षरता कक्षाओं में समय बर्बाद होगा एवं समय बर्बाद करने का मतलब मजदूरी का नुकसान। परन्तु जिला साक्षरता समिति (ZSS) के कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सेवकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। साक्षरता के पक्षपोषण में स्वयं सेवित समूह बनाये गए। वर्ष 1991 एवं 2001 में कैंथुन के शहरी क्षेत्र की साक्षरता के तुलनात्मक आंकड़े दर्शाते हैं -

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला
1991	40.55	55.63	24.03
2001	81.25	89.59	77.61

जिला साक्षरता समिति एवं जन शिक्षण संस्थान, कोटा केवल इन महिलाओं को साक्षर बनाने में ही अपना योगदान नहीं दे रहा है, बल्कि उनके आर्थिक हित के संरक्षण हेतु भी वचनबद्ध है।

मध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश की कार्य योजनाएं स्वयं सेवित समूहों (SHGs) एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी (वित्त सहित) पर केन्द्रित है।

उत्तर प्रदेश में, बेसिक महिला साक्षरता कार्यक्रम को एक सक्रिय कार्यक्रम के अन्तर्गत, कम महिला साक्षरता वाले आठ जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन लगभग 100 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग छः माह की अवधि में लगभग 2.4 मिलियन महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य है।

उड़ीसा में भी उत्तर प्रदेश की भांति ही सात जिलों में जहाँ महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से नीचे है, यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

बिहार में साक्षरता उन्मूलन हेतु पृथक कार्यक्रम अपनाया गया है, इसके अन्तर्गत कम महिला साक्षरता दर वाले 15 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं, महिला स्वयं सेवी शिक्षकों एवं महिलाओं का स्वयं सेवित समूहों की भागीदारी से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 6-12 माह की अवधि के दौरान लगभग 3 मिलियन निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने की कार्य योजना है। अन्य राज्यों में शेष कम साक्षरता दर वाले जिलों हेतु इसी प्रकार के कार्यक्रम नियोजित किये गए हैं।

सतत् शिक्षा

रा.सा.मि. द्वारा वर्षों से निर्धारित साक्षरता अभियान के उद्देश्यों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (TLC) के प्रारंभिक चरण में क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करना, उत्तर साक्षरता स्तर पर ज्ञान का एकत्रीकरण एवं उन्नयन से आत्मसम्मान के स्तर तक पहुँचाना, एवं एक स्व-अधिगम-समाज की ओर कदम बढ़ाते हुए, स्व-निदेशित अधिगम एवं सतत् शिक्षा के माध्यम से इसका प्रयोग करना। द्वितीय, उद्देश्य के अन्तर्गत मात्र साक्षरता कौशलों के प्रयोग की क्षमता के माध्यम से ही नहीं अपितु जीवन एवं व्यावसायिक कौशल उन्नयन के क्षेत्र में भी गुणवत्ता उन्नयन सुनिश्चित करना।

सतत् शिक्षा हेतु मुख्य गतिविधियों के अन्तर्गत सतत् शिक्षा केन्द्रों की स्थापना केवल पुस्तकालय के रूप में ही नहीं अपितु विभिन्न सतत् शिक्षा कार्यक्रमों जैसे—प्रशिक्षण, सूचना, विचार—विमर्श, विकास, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन एवं अन्य व्यक्तिगत रुचियों को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य केन्द्र के रूप में की गई है।

प्रारंभिक साक्षरता चरण में, इतनी कम अवधि में मात्र साक्षरता के उद्देश्य का ध्यान रखा गया है एवं उन्नयन विषयक विभिन्न आयामों को उत्तर साक्षरता एवं सतत्-शिक्षा चरण में लिया जायेगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत 15-35 वय वर्ग के सभी निरक्षर प्रौढ़ों को क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करने के लक्ष्य से प्रौढ़ साक्षरता अभियान का प्रारम्भ किया गया। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत, न केवल प्रारम्भिक साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता स्तर पर 60 प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षार्थी थीं, अपितु सतत् शिक्षा स्तर पर भी यही स्थिति थी। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के स्तर एवं उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा स्तर जीवन कौशल-अभिमुखीकरण कार्यक्रमों हेतु सामाजिक सक्रियता हेतु कार्य योजनाओं में महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया।

सतत् शिक्षा हेतु मुख्य गतिविधियों के अन्तर्गत सतत् शिक्षा केन्द्रों की स्थापना केवल पुस्तकालय के रूप में ही नहीं अपितु विभिन्न सतत् शिक्षा कार्यक्रमों जैसे—प्रशिक्षण, सूचना, विचार—विमर्श, विकास, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन एवं अन्य व्यक्तिगत रुचियों को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य केन्द्र के रूप में की गई है। इन नियमित कार्यों के अतिरिक्त सतत् शिक्षा योजना के द्वारा लक्ष्य आधारित कार्यक्रम जैसे समानता, जीवन की गुणवत्ता, उन्नयन, स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों तथा स्थितियों के अनुसार कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

कतिपय राज्यों में, समुदाय की भूमिका में वृद्धि का चलन मात्र सतत् शिक्षा केन्द्रों की गतिविधियों के प्रबंधन तक की सीमित नहीं है, अपितु विभिन्न सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी है। सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति सामुदायिक स्वामित्व के बोध का विकास करने के लिए, कतिपय राज्यों द्वारा नवसाक्षर समितियों की व्यवस्था, सदस्यता पर आधारित, नाममात्र की सदस्यता शुल्क सहित, शुरु की गई। इसके अतिरिक्त मुद्रा एकत्र करने की व्यवस्था भी अपनाई गई है, ताकि 5 वर्षों हेतु राजकीय अनुदान के अतिरिक्त, समुदाय भी कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु दायित्व निर्वहन कर सके। इस योजना का प्रारम्भ आन्ध्र प्रदेश द्वारा किया गया। यह व्यवस्था अन्य राज्यों हेतु अनुकरणीय है।

देश में अधिकांश जिले सम्पूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता के चरण को पूर्ण कर चुके हैं। वे अब सतत् शिक्षा स्तर की ओर अग्रसर हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् वर्ष 2007 तक रा.सा.मि. (NLM) सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत समस्त जिलों को आच्छादित करने तथा समग्र देश को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना के प्रति आशान्वित है।

1 भारत और राज्यों की जनसंख्या आकलन, 1996-2016, महापंजीयक, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1996

2 टेलिकॉन्टैक्ट एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स-2000-2001, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

3 भारत और राज्यों की जनसंख्या आकलन, 1996-2016, महापंजीयक, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1996

4 सबके लिए शिक्षा-क्या विश्व प्रगति के पथ पर है, 2002, यूनेस्को

5 वही

6 भारत और राज्यों की जनसंख्या आकलन, 1996-2016, महापंजीयक, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1996

सबके लिए शिक्षा कार्यक्रमों हेतु वित्तीय अनुदान

वर्ष 1990 से स.लि.शि. (EFA) के अन्तर्गत निवेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992, के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना से (1992-1997) शिक्षा पर निर्धारित मद समान रूप से राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत रखा जायेगा, इस कथन में अभी भी संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान में (वर्ष 2000-01) में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का 4.1 प्रतिशत शिक्षा पर निवेश किया गया है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय अधिभार का अंश अभी भी कम है, यद्यपि पिछले पांच दशकों के दौरान इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है (0.48 प्रतिशत से लगभग 1.7 प्रतिशत)। शिक्षा विभागों द्वारा व्यय में वृद्धि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वर्तमान लागत में, वर्ष 1951-52 में 0.68 प्रतिशत से वर्ष 2000-01 में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पूर्व दशक में शिक्षा पर होने वाले केन्द्रीय व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय बजट योजना में शिक्षा पर बजट रुपये 30,360 मिलियन निर्धारित था, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) में बढ़कर 74,430 रुपये मिलियन हो गया। शिक्षा पर अनुदान को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6 प्रतिशत करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह अधिभार 3.9 प्रतिशत था, राष्ट्र अभी तक इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर पाया है। बढ़े हुए वित्तीय अनुदान का 50 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकारों की भागीदारी के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से केन्द्र की वित्तीय भागीदारी में वृद्धि हुई है। (सारणी 9.1 में प्रारम्भिक शिक्षा एवं इसके लिए वित्तीय व्यवस्था एवं शिक्षा पर वर्तमान नागरिक अधिभार का प्रतिशत दर्शाया गया है।)

सारणी 9.1 : प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत

वर्ष	शिक्षा के कुल चालू सार्वजनिक परिव्यय के प्रतिशत की भाँति चालू सार्वजनिक परिव्यय		सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत की भाँति चालू सार्वजनिक परिव्यय	
	प्राथमिक (कक्षा 1-5)	प्रारम्भिक (कक्षा 1-8)	प्राथमिक (कक्षा 1-5)	प्रारम्भिक (कक्षा 1-8)
1990	34.30	46.30	1.25	1.69
1991	34.22	46.30	1.18	1.60
1992	33.69	45.20	1.14	1.53
1993	34.20	46.20	1.02	1.38
1994	34.05	46.40	1.00	1.36
1995	35.30	48.50	1.05	1.44
1996	36.50	50.10	1.05	1.44
1997	37.10	49.08	1.08	1.85
1998	-	49.60	-	-
1999	-	49.03	-	-
2000	-	45.54	-	-

स्रोत : आय-व्यय विश्लेषण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इसी अवधि में वृहद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक संसाधनों को सक्रिय बनाने में विशेष ध्यान दिया गया। इसके अन्तर्गत विशेष रूप से विद्यालय की भौतिक संरचना में सुधार किया गया।

1990 के दशक में, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर सम्पूर्ण शिक्षा पर केन्द्रीय नियोजन में बजट निर्धारण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर 38 प्रतिशत बजट निर्धारित था, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (1992-97 में) यह प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया।

वर्तमान समय में, व्यय निर्धारण व्यवस्था में परिवर्तन से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण कारण, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की तुलना में प्रारम्भिक शिक्षा पर वित्तीय अधिभार में क्रमोत्तर वृद्धि होना है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाएँ इस बात की गवाह हैं कि केन्द्र सरकार के शिक्षा विभाग पर होने वाला व्यय अधिभार प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा पर मुख्य रूप से केन्द्रित है और इससे स.लि.शि. हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की ओर केन्द्र सरकार की सक्रिय भूमिका परिलक्षित होती है।

अभी कुछ समय पहले तक, भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं वृहद स्तर पर बाह्य सहायता से मुक्त थी। 1990 का दशक इस बात का गवाह है कि अधिकांश प्राथमिक शिक्षा परियोजनाएँ बाह्य सहायतित होने लगी हैं विशेषतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसी अवधि में वृहद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक संसाधनों को सक्रिय बनाने में विशेष ध्यान दिया गया इसके अन्तर्गत विशेष रूप से विद्यालय की भौतिक संरचना में सुधार किया गया।

स.लि.शि. हेतु वित्तीय अनुदान की आवश्यकता

भारत में यह निर्णय लिया गया है, कि देश की नियोजन प्रक्रिया के साथ, स.लि.शि. हेतु नियोजन प्रक्रिया कदम से कदम मिलाकर चलाई जायेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002 में प्रारम्भ होकर वर्ष 2007 तक चलेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु लक्ष्य निर्धारण करते समय, इस बात का ध्यान रखा गया कि डकार बैठक में स.लि.शि. हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्राप्त कर लिया जाए। उसी के अनुसार, स.लि.शि. हेतु वित्तीय आवश्यकता आंगणन वर्ष 2007 तक दर्शाया गया है। सभी के लिए शिक्षा हेतु कुल वित्तीय आवश्यकता आंगणन हेतु सेक्टरवार वित्तीय आवश्यकता का आंगणन किया जायेगा। निम्नांकित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वित्तीय आंगणन किया गया है :-

- * शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE)
- * प्रारम्भिक शिक्षा
- * विद्यालयों में मध्याह्न-भोजन योजना
- * बालिका एवं महिला सशक्तीकरण हेतु शिक्षा
- * शिक्षक शिक्षा
- * विद्यालय न जाने वाले युवा एवं किशोर की शिक्षा
- * प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम

अतः यह स्पष्ट है कि ऊपर दर्शाए गए समस्त क्षेत्र स.लि.शि. हेतु निर्धारित छः लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु कार्यरत हैं। इसलिए, डकार बैठक में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (ECCE) हेतु वित्तीय आवश्यकता

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु वित्तीय अनुदान उपलब्ध है। उदाहरणतः, स.शि.अ. के अन्तर्गत, शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा के अन्तर्गत नवाचार कार्यक्रमों हेतु 1.5 मिलियन रु., प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले हेतु व्यवस्था की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश एवं महिला समाख्या के अन्तर्गत इसी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है। यद्यपि ई.सी.सी.ई. के अन्तर्गत किये गए समस्त प्रयासों का यह बहुत छोटा भाग है

एवं इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्व में ही वित्तीय व्यवस्था की जा चुकी है।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS) कार्यक्रम के माध्यम से शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु (ECCE) मुख्य प्रयास किये गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इस योजना का सार्वभौमीकरण किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम हेतु 122,470 मिलियन रुपए का बजट निर्धारित है।

सारणी 9.2 : शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु आवश्यक निधि

(रु. 0,000,000)

प्रारम्भिक शिक्षा हेतु वित्तीय आवश्यकता

अध्याय IV में, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को, डकार बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु प्राथमिक सीढ़ी के रूप में, व्याख्या की गई है। सारणी 9.3 में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए विभिन्न प्रयासों को दर्शाया गया है। ऊपर दर्शाये गए आंगणन के आधार पर, दस वर्षों में (वर्ष 2010 तक) प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु कुल आवश्यकता का आंगणन 980,000 मिलियन रुपए किया गया है। इसमें से, वर्ष 2007 तक की अवधि हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु वित्तीय आवश्यकता का आंगणन 522,800 मिलियन रुपए किया गया है, जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य सहभागिता से किया जायेगा। इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय सहभागिता को सुगम बना दिया गया है।

क्रमांक	योजना के घटक	व्यय
1.	समेकित बाल विकास सेवाएँ	10392
2.	विश्व बैंक सहायित आई0स0डी0एस0 परियोजनाएँ	1293
3.	आई0सी0डी0एस0 कर्मचारियों का प्रशिक्षण	462
4.	बालिका समृद्धि योजना	100
		12247

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानित योजनाओं में संसाधन उपलब्ध कराने की पारंपरिक व्यवस्था के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के अन्त में संसाधन उपलब्ध कराये जाते थे, तत्पश्चात् कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता था। नियोजन अवधि के समाप्त होने पर, सभी प्रकार के व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा हेतु लक्ष्य निर्धारण तथा कार्यक्रम-नियोजन एवं योजना क्रियान्वयन इत्यादि के लिए हमेशा कारगर रहती है। अतः राज्यों को वृहद स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में समस्त खर्चों, वेतन सहित व्यवस्था करनी होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था को भंग करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य सुनियोजित वित्तीय भागीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय भागीदारी का अनुपात 85:15 था। दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत, केन्द्र एवं राज्य सरकारों पर वित्तीय अधिकार का अनुपात 75:25 है जो आगे 50:50 हो जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बी अवधि हेतु वित्तीय नियोजन सुनिश्चित किया गया है, एवं यह व्यवस्था राज्यों को अधिक सुगमता प्रदान करती है। उदाहरणतः, राज्य अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर सके इसलिए वित्तीय सहायता हेतु यह आश्वासन दिया गया कि घटते हुए क्रम में, केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहेगी। स.शि.अ., यद्यपि प्रथम कार्यक्रम है, जो राज्यों को बहुआयामी वित्तीय नियोजन के माध्यम से अनुसमर्थन प्रदान करने का प्रावधान करता है एवं स.लि.शि. के कार्यवाही बिन्दुओं को महत्व देता है।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS) कार्यक्रम के माध्यम से शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा हेतु (ECCE) हेतु मुख्य प्रयास किये गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इस योजना का सार्वभौमीकरण किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम हेतु 122,470 मिलियन रुपए बजट में निर्धारित है।

दूसरा एवं समान महत्व का परिवर्तन वित्तीय अनुदान व्यवस्था के तरीके में किया गया है।

(Method of fund Flow) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान सीधे राज्य क्रियान्वयन समितियों को हस्तांतरित किया जायेगा एवं यह समिति राज्यांश सहित वित्तीय हस्तांतरण ग्राम शिक्षा समितियों (VECs) एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMCs) के बैंक खातों में हस्तांतरित करेगी। ये समितियां विद्यालय तथा शिक्षक अनुदान, एवं वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षकों को वेतन/भत्ता देने का कार्य करती हैं (एवं कुछ संदर्भों में नियोजित विद्यालयी शिक्षकों को)। इस प्रकार की विकेंद्रित संरचना से लेखा परीक्षण पर सामाजिक नियंत्रण एवं प्रमुखता का निर्धारण अधिक हो सकता है।

सारणी 9.3 : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मान्य हस्तक्षेप तथा परियोजना अवधि में समग्र आवश्यकता

क्रमांक	मानक	कुल अनुमानित संख्या
1.	नये विद्यालयों की स्थापना	नीचे दी गयी कक्षा-कक्ष में संख्या सम्मिलित
	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक विद्यालय यदि 1 किमी. में कोई विद्यालय नहीं है और ● उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के 1:2 के अनुपात को बनाये रखने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय 	
2.	स्वीकृत शिक्षक	1.15 मिलियन टीचर
	<ul style="list-style-type: none"> ● 40 बच्चों हेतु 1 अध्यापक का अनुपात बनाये रखने के लिए ● कम से कम प्राथमिक विद्यालय के लिए दो अध्यापक ● कम से कम एक कक्षा के लिए एक अध्यापक 	
3.	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	1.135 मिलियन कक्षा-कक्ष (नये विद्यालय भवन को सम्मिलित करते हुए)
4.	मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	100 मिलियन बच्चे
	● बालिका एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए यदि राज्य उपलब्ध नहीं करा रहा है।	
5.	मरम्मत अनुदान	800,000 विद्यालय
6.	शिक्षण-अधिगम सामग्री	180,000 प्राथमिक और 85,000 उच्च प्राथमिक विद्यालय
7.	वार्षिक विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान	800,000 विद्यालय तथा 4.2 मिलियन अध्यापक
	प्रति विद्यालय @ 2000/- रु. तथा उच्च प्राथमिक हेतु @ 500/- रु.	
8.	अध्यापक प्रशिक्षण	4.2 मिलियन अध्यापक
	सेवारत हेतु 20 दिन, अप्रशिक्षित अध्यापकों हेतु 60 दिन तथा नये अध्यापकों हेतु 30 दिन	
9.	सीमेट की स्थापना	हर राज्य में एक जहाँ सीमेट नहीं है।
10.		8 मिलियन बच्चे
	@ 1200/- रु. प्रति बच्चा	
11.	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा संकुल संसाधन केन्द्र की स्थापना	300 विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा संकुल संसाधन केन्द्र
12.	नवाचार क्रियाएं	600 जनपद
13.	सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण	6.4 मिलियन व्यक्ति
	8 व्यक्ति प्रति विद्यालय शिक्षण समिति हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण	
14.	शोध, मूल्यांकन एवं अनुदान	800,00 विद्यालय
	@ 1500/- रु. प्रति विद्यालय	
15.	प्रबंधन लागत	लागत के 6 प्रतिशत तक
16.	शिक्षा गारण्टी योजना के केन्द्र	180,000

स.शि.अ. के अतिरिक्त, अन्य कार्यक्रमों जैसे डी.पी.ई.पी., लोक जुम्बिश परियोजना (LJP), शिक्षा कर्मी परियोजना (SKP) एवं जनशाला के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन कार्यक्रमों में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय भागीदारी की व्यवस्था में थोड़ा अन्तर है। जबकि डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी का अनुपात 85 : 15 है। जनशाला कार्यक्रम में शत-प्रतिशत वित्तीय अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत राज्यों के साथ केन्द्रीय अनुदान पांचवा-छठा भाग है। जबकि शिक्षा कर्मी

परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी की व्यवस्था पचास-पचास है। इस नमूने पर आधारित, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल आवश्यकता 522,800 मिलियन रु. के अनुसार 397597.5 मिलियन रु. केन्द्र की भागीदारी एवं राज्य की भागीदारी 125202.5 मिलियन रु. (सारणी 9.4) है। केन्द्रीय अनुदान की कुल भागीदारी से, योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 212.710 मिलियन रु. अनुदान दिया है। सारणी 9.5 के अनुसार, इस अन्तर को दूर करने हेतु,

अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए बाहरी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान की व्यवस्था हेतु योजना आयोग बातचीत के माध्यम से इस अन्तर को मिटाने हेतु प्रयास कर रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु वित्तीय आवश्यकता

1990 के दशक में, भारत सरकार द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। पूर्व में यह योजना मात्र औपचारिक विद्यालयों तक ही सीमित थी और अधिकांश राज्यों में बच्चों द्वारा कच्चा अनाज घर ले जाया जाता है। जबकि, दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सभी बच्चों को अनाज देने की योजना के बजाय उन्हें पके हुए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस योजना का विस्तार अनौपचारिक विद्यालयी व्यवस्था तक भी हो गया है। कुल वित्तीय आवश्यकता इस प्रकार है :

11 करोड़ बच्चों के लिए अनाज की वार्षिक आवश्यकता (200 दिन)
अनाज की लागत @ 5500 रु. प्रति मेट्रिक टन
दुलाई लागत 500 रु. प्रति मेट्रिक टन
परिवर्तन लागत 01 रु. प्रति बच्चा प्रति दिन
(राज्य के द्वारा वहन किया जायेगा)
वर्ष 2007 तक कुल लागत—

केन्द्र	66000 मिलियन रु.
राज्यों	110000 मिलियन रु.
कुल	176000 मिलियन रु.

यद्यपि, प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत भोजन योजना के लिए 176,000 मिलियन रु. धन की आवश्यकता है।

बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण हेतु वित्तीय आवश्यकता

सारणी 9.6 के अनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन मुख्य बालिका शिक्षा कार्यक्रमों हेतु वित्तीय आवश्यकता 41,080 मिलियन रु. है।

सारणी 9.4 : 2007 तक केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निधि की आवश्यकता

(रु. '0,000,000)

कार्यक्रम	कुल व्यय	भागीदारी का तरीका	केन्द्रांश	राज्यांश
सर्व शिक्षा अभियान	46,133.00	75:25	34599.75	11,533.25
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	5,647.00	85:15	4,800.00	847.00
लोक जुम्बिश परियोजना	300.00	5:1	250.00	50.00
शिक्षा कर्मी परियोजना	180.00	50:50	90.00	90.00
जनशाला-भारत सरकार	20.00	100% केन्द्रीय	20.00	0.00
कुल	52,280.00		39,759.75	12,520.25

सारणी 9.5 : दसवीं योजना अवधि में बाह्य निधि सहायता

(रु. '0,000,000)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	दसवीं योजना की अवधि में आवंटन	2000-01	2001-02	2002-03
1.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	4000.00	858.29	1199.35	1287.00
2.	शिक्षा कर्मी	47.00	24.46	10.00	15.02
3.	लोक जुम्बिश	137.00	56.10	50.00	60.00
4.	भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र (जनशाला)	20.00	0.00	10.00	13.50
5.	महिला समाख्या	100.00	8.74	7.75	9.00
6.	सर्व शिक्षा अभियान	600.00			27.00
	कुल	4904.00	947.59	1277.10	1411.52

2.2 मिलियन मेट्रिक टन
12100 मिलियन रु.
1100 मिलियन रु.
22000 मिलियन रु.

सारणी 9.6 : बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण हेतु निधि की आवश्यकता

(रु. '0,000,000)

योजना	केन्द्र	राज्य	योग
बालिकाओं हेतु मुफ्त शिक्षा	1125	375	1500
महिला समाख्या	250	0	250
के.जी.एस.वी.	1200	0	1200
माध्यमिक शिक्षा	1158	0	1158
कुल	3733	375	4108

शिक्षक शिक्षा हेतु वित्तीय आवश्यकता

स.शि.अ. के अन्तर्गत गुणवत्ता उन्नयन हेतु निवेश के अतिरिक्त, देश में शिक्षक शिक्षा हेतु एक अन्य कार्यक्रम लागू किया गया है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक रूप से महसूस किया गया कि राज्यों की वित्तीय भागीदारी व्यवस्था के अन्तर्गत उनको योगदान में किसी प्रकार की वित्तीय कमी न रह जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र अनुदानित होना चाहिए। यह निर्णय स.शि.अ. को अतिरिक्त सम्बल प्रदान करेगा एवं साथ ही गुणवत्ता आधारित विभिन्न आयामों की सम्प्राप्ति में सहयोग करेगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम हेतु 9500 मिलियन रु. व्यय अधिभार निर्धारित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले, राज्य स्तरीय शिक्षक शिक्षा के पर्सपेक्टिव प्लान के आधार पर वित्तीय अनुदान निर्धारित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् हेतु वित्तीय अनुदान का निर्धारण हो जाता है। दूसरा, शिक्षक-प्रशिक्षकों की शिक्षा एवं शिक्षक-शिक्षा में नवाचार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बजट निर्धारित किया जाता है।

संसाधन अनुसमर्थन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना एवं जनसंचार प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं अन्य संसाधन संस्थानों से इन वित्तीय अनुदानों को विभाग में लगाने की उम्मीद की जाती है। राष्ट्र स्तरीय वित्त का प्रयोग, राज्य स्तरीय कार्यकलापों के संस्थागत समर्थन एवं पर्यवेक्षण हेतु किया जाता है। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य हेतु वित्तीय निर्धारण किया जाता है। व्यय विवरण के आधार पर, दर्शायी गयी धनराशि से 50 प्रतिशत अधिक धनराशि राज्यों द्वारा व्यय की जा सकती है। अनेक क्रियाकलापों का निर्धारण किया जा चुका है परन्तु राज्यों द्वारा अपनी स्वयं की प्रमुखताओं का चुनाव किया जा सकता है।

विद्यालय न जाने वाले किशोरों एवं युवाओं की शिक्षा

दसवीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा गठित किशोरावस्था कार्यकारिणी समूह के द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय के लिए (युवा एवं खेल मंत्रालय) दसवीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत किशोरों हेतु कल्याण कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1120 मिलियन रु. की धनराशि निर्धारण हेतु संस्तुति की गई। इस धनराशि से, 1000 मिलियन रु. की धनराशि पांच वर्ष की अवधि के दौरान 01 मिलियन किशोर

जनसंख्या हेतु समेकित परियोजनाओं हेतु प्रारम्भ में अवमुक्त की गई। किशोरों हेतु शिविरों का संचालन करने हेतु 80 मिलियन रु. की धनराशि के प्रावधान हेतु संस्तुति दी गई। प्रशासन एवं शोध-कार्यों में प्रत्येक के लिए 20 मिलियन रु. की धनराशि अवमुक्त की गई। इसके अतिरिक्त, यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन फण्ड (UNFPA) इस योजना के लिए 125 मिलियन रु. धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। अन्य मंत्रालय जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभागों द्वारा अपने बजट से किशोरों हेतु अनुसमर्थन कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे।

इस बजट निर्धारण के अतिरिक्त, युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय एवं बाहरी एजेन्सियों द्वारा वित्तीय सहायता, पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निगमों, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दानकर्ताओं की

सारणी 9.7 : अध्यापक शिक्षा के लिए आवंटन

(रु. `0,000,000)

1. दसवीं योजना हेतु कुल आवंटन	950.00
2. राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलापों हेतु आवंटन	47.5(5%)
3. पूर्वोत्तर राज्यों हेतु आवंटन	95 (10%)
4. केन्द्र शासित एवं अन्य राज्यों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि	807.50

सारणी 9.8 : राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलापों हेतु आवंटन

(रु. `00,000)

1. राजकीय क्रियाकलापों का मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण	
(क) राज्य योजना	40.00
(ख) टी.ई.आर.जी. द्वारा राज्य का पर्यवेक्षण	12.50
(ग) मध्यावधि समीक्षा, शोध एवं मंत्रालय सुदृढता	100.00
(घ) एन.सी.टी.ई. को वेतनादि हेतु सहायता	50.00
2. एन.सी.टी.ई. द्वारा संगणकीय शिक्षा में आई.सी.टी. की समन्वयता	500.00
3. संसाधन सहायित कार्यक्रम	3836.50
4. संसाधन सहायित कार्यक्रम का प्रबन्धन	93.00
	4750.00

मदद लेने हेतु भी संस्तुति की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम योजना वर्ष 2002-2003 में विद्यालय न जाने वाले किशोरों एवं युवाओं की शिक्षा हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बजट निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा मंत्रालय विशेष तौर पर युवा वर्ग और किशोर वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा महिला समाख्या कार्यक्रम संचालित कर रहा है। यद्यपि इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि उपलब्ध करा दी गई है जो इस शीर्ष में प्रदर्शित नहीं की जा रही है।

किशोरावस्था से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1000 मिलियन रु. की धनराशि निर्धारित की गई है।

अतः विद्यालय न जाने वाले युवा एवं किशोरों हेतु कुल वित्तीय आवश्यकता 17,520 मिलियन रु. मात्र का आंकलन किया गया है।

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों हेतु वित्तीय आवश्यकता

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान समय में, देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या लगभग 296 मिलियन है। इसलिए यह जनसंख्या,

सारणी 9.11 : प्रौढ़ शिक्षा हेतु आवश्यक निधि :

(रु. '0,000,000)

योजना	श्रेणी	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
साक्षरता अभियान एवं आपरेशन पुनःस्थापना	केन्द्रीय	130	130	110	60	34	464
नव-साक्षर हेतु सतत शिक्षा	सी.एस.एस	670	918	1166	1240	1256	5250
जन शिक्षण संस्थान	केन्द्रीय	40	45	50	55	60	250
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	केन्द्रीय	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	केन्द्रीय	3	3	3	3	3	15
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	केन्द्रीय	26	28	30	32	34	150
प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	सी.एस.एस	3	4	4	4	5	20
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	केन्द्रीय	3	3	4	4	5	20
गैर-शासकीय संस्थानों की सहायता	केन्द्रीय	30	32	34	36	38	170
योग		905	1,163	1,401	1,434	1435	6,340

रा.सा.मि. के अन्तर्गत प्राथमिक लक्ष्य समूह के रूप में स्वीकार की गई है। उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम योजना, सम्पूर्ण नवसाक्षर जनसंख्या एवं समाज के अन्य समूहों हेतु चलाई जा रही है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग 100 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य एवं लगभग 100 मिलियन नवसाक्षरों को पुनः निरक्षरता की श्रेणी तक न आने देने की प्रतिबद्धता का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल व्यय आंगणन 63,400 मिलियन रु. है। सारिणी 9.11 में योजना-वार विस्तृत मद निर्धारण दर्शाया गया है।

कुल वित्तीय आवश्यकता

अतः सभी के लिए शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकता का आंकलन 952,770 मिलियन रु. किया गया है। सारणी संख्या 9.12 में कुल वित्तीय आवश्यकता आंकलन को मद-वार दर्शाया गया है।

सारणी 9.9 : विद्यालय से बाहर नवयुवकों तथा किशोरों की शिक्षा हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन

(रु. '0,000,000)

योजना का नाम	दसवीं योजना अवधि
माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	
केन्द्र	350.00
राज्य	650.00
समुदाय पालीटेक्नीक	475.00
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	65.00
कुल	1540.00

सारणी 9.10 : विद्यालय से बाहर नवयुवकों तथा किशोरों की शिक्षा हेतु निधि की आवश्यकता

(रु. '0,000,000)

मंत्रालय	केन्द्र	राज्य	योग
युवा कल्याण	112	-	112
मानव संसाधन विकास	890	650	1540
सामाजिक न्याय	100	-	100
योग	1102	650	1752

सारणी 9.12 : 'स.लि.शि.' हेतु कुल आवश्यक निधि

(रु. '0,000,000)

क्रम संख्या	सेक्टर	केन्द्र	राज्य	योग
1.	शैशवकालीन शिक्षा और देखभाल	12247	0	12247
2.	प्रारम्भिक शिक्षा	39760	12520	52280
3.	मध्यमआहार	6600	11000	17600
4.	बालिका शिक्षा	3733	375	4108
5.	अध्यापक शिक्षा	950	0	950
6.	नवयुवक एवं किशोर	1102	650	1752
7.	प्रौढ़ शिक्षा	6340	0	6340
	योग	70732	24545	95277

नियोजन और अनुश्रवण कार्यक्रमों हेतु संगठनात्मक व्यवस्था

स.लि.शि. के लक्ष्य की ओर

राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया में स.लि.शि. को शीर्षस्थ वरीयता प्रदत्त है। इस वरीयता को नित्य प्रति की गतिविधियों में क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि संगठनात्मक ढांचे और अनुश्रवण संरचना को देश के उच्चतम राजनैतिक स्तर से प्राधिकार प्राप्त हो। स.लि.शि. के राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। योजना के अन्तर्गत प्रगति का अनुश्रवण उच्चतम स्तर पर किया जाता है। इस कार्यक्रम की महत्ता की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दसवीं योजना में

निर्धारित 11 अनुश्रवण योग्य लक्ष्यों में से तीन लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा से सम्बन्धित हैं। ये लक्ष्य हैं :

- * वर्ष 2003 तक सभी बच्चे स्कूल में हों, सभी बच्चे 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा 2007 तक पूर्ण करें,
- * वर्ष 2007 तक साक्षरता में लैंगिक अन्तर में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी,
- * योजना अवधि में 75 प्रतिशत तक साक्षरता दर की वृद्धि।

सर्व शिक्षा अभियान में क्रियान्वयन हेतु पूर्व में स्थापित संस्थाओं द्वारा सभी के लिए शिक्षा योजना को क्रियान्वित कराया जायेगा। इन संस्थाओं में यथोचित संशोधन उन तत्वों के समावेश के लिए किया जायेगा जो सम्प्राप्ति स.शि.अ. में नहीं हैं।

राष्ट्रीय स्तर की प्रबन्धन संरचना

अभिसरण की सुगमता हेतु, एक राष्ट्रीय मिशन होगा जिसमें कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व होगा। सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय मिशन ही इस योजना का भी मिशन होगा, किन्तु इसमें कतिपय अतिरिक्त पणबन्धारियों को सम्मिलित किया जायेगा, जिससे स.लि.शि. योजना के वृहद पटल के परिप्रेक्ष्य में देखभाल हो सके। सामान्य परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। कार्यकारिणी समिति के सभापति मानव संसाधन विकास मंत्री और सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता इसके उप-सभापति होंगे। संयुक्त सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा) राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक होंगे। साथ ही सामान्य परिषद् और कार्यकारिणी समिति के सदस्य-सचिव भी होंगे। स.लि.शि. योजना के विभिन्न उपागमों का सम्बन्धित विभागों, जो पूर्व से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, के द्वारा क्रियान्वयन कराया जायेगा। राष्ट्रीय मिशन की एक समन्वयी और अनुश्रवण की भूमिका होगी। स.लि.शि. की यह उच्चतम विनिर्धारक निकाय होगी।

राज्य मिशन प्राधिकरण

स.शि.अ. के राज्य मिशन प्राधिकरण का यथोचित विस्तार कर इसे स.लि.शि. मिशन प्राधिकरण बनाया जायेगा। सामान्य परिषद् के अध्यक्ष मुख्य मंत्री होंगे तथा कार्यकारिणी का सभापतित्व मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/शिक्षा सचिव करेंगे। मिशन की गतिविधियों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित

अनेक राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है। परिवर्तित रूपरेखा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नये विधान अंगीकृत किए गए हैं।

करने के लिए अशासकीय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा महिला समूहों को भी सम्बद्ध किया जायेगा।

स.लि.शि. के अधीन क्रियान्वयन दल शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन की रूपरेखा के अनुरूप कार्य करेगा और समुदाय के प्रति उसकी पूर्ण जवाबदेही होगी। पंचायती राज संस्थाएं और स्कूल स्तरीय समितियाँ प्रशासन की मुख्य धारा की संरचना के साथ कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सम्मिलित होंगी।

विकेन्द्रीकृत नियोजन और प्रबन्धन

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध हेतु सभी स्तर की प्रबन्धन संरचना राज्य विशिष्ट की व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विकेन्द्रीकरण को शैक्षिक नियोजन और प्रबन्धन की दक्षता और प्रभावकारिता की अभिवृद्धि एवं जवाबदेही की सार्थक रूपरेखा के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्रतिपादित किया है। बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है। परिवर्तित रूपरेखा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नये विधान अंगीकृत किए गए हैं। कतिपय राज्यों ने शैक्षिक प्रबन्धन की पद्धति को विकेन्द्रीकृत करने की दिशा में समुदाय की अधिक सहभागिता और प्रतिभागिता की पहल की है। देश सामुदायिक सहभागिता की प्रक्रियाओं का सूत्रपात कर विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहेगा और क्रमशः निर्णय लेने की वैधता को राज्य से जनपद स्तर और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अधोमुखी परिवर्ती किया जायेगा।

नियोजन और प्रबन्धन रणनीति के इस परिवर्तन के लिए शहरी स्थानीय सरकारें तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गठित शैक्षिक संगठनों को प्रशिक्षित करने और सतत् सहायता की आवश्यकता होगी। शासकीय कर्मियों के दृष्टिकोण और दायित्वबोध के पुनर्बोधन की अत्यावश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न संदर्भ संस्थाओं के कार्यक्रमों के पुनर्बोधन के प्रयास किए जायेंगे। इसी उद्देश्य से, शिक्षा और समवर्ती क्षेत्र की स्थानीय स्तर की संस्थाओं को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह परिकल्पित है कि दूर शिक्षा के तंत्र यथोचित सुदृढ़ और पुनर्बोधन के उपरान्त स्थानीय स्तर के कर्मियों की क्षमता अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी।

नियोजन की इकाई जनपद

परम्परागत रूप से शिक्षा के विकास का नियोजन प्रदेश शासन स्तर पर किया जाता रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा इस प्रवृत्ति को बदला गया और जनपद स्तर पर अभियान विधि को अपनाया गया। सभी कार्यों का मूल्यांकन जनपद स्तर पर ही किया गया। इसके अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षा का नियोजन विशेष रूप से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) का सुदृढ़ सूत्रधार जनपद स्तर पर किया गया। इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के विकास हेतु देश यह प्रस्तावित करता है कि एक समन्वित उपागम को अंगीकृत किया जाए। ऐसा परिकल्पित है कि यह उपागम ऐसे जनपद जहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और विभिन्न प्रकार के विनियोग जिससे समता के प्रश्न को उपयुक्त ढंग से निस्तारित किया जा सकेगा को चिन्हित करने में सहायक होगा।

गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से विकास खण्ड, संकुल तथा ग्राम स्तर के नियोजन के संचालन को प्रोत्साहित और सहायता प्रदान की जायेगी। जनपद शैक्षिक नियोजन की आधारभूत इकाई होगी किन्तु वास्तविक योजनाएं बस्तियों, ग्रामों और विशिष्ट समूहों और उनकी आवश्यकताओं को केन्द्रित करते हुए तैयार की जायेंगी। समुदायों की स्थानीय स्तर की आवश्यकताएं तथा शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला योजना विकसित की जाएँगी। जैसा की पहले इंगित किया गया है कि विद्यालयों में नामांकन, उनकी धारण-क्षमता और विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति क्षेत्र आधारित और समुदायों विशिष्ट से संबन्धित होंगे जिससे कि इन स्तरों पर जो समस्याएँ हैं उन्हें अनुभावश्रित चिन्हित आवश्यकताओं के आधार पर प्रभावी ढंग से किया जायेगा।

सामुदायिक स्वामित्व

सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय द्वारा शिक्षा की मांग और सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जायेगा। शिक्षा में समुदाय की अधिक सहभागिता शिक्षा की गुणवत्ता की अभिव्यक्ति में सहायक होंगी। शिक्षा की उच्चतर मांग अर्थात् उच्चतर गुणवत्ता का। इस हेतु निम्नांकित कदमों को प्रोत्साहित किया जायेगा :-

- * विद्यालय में नामांकन, धारण-क्षमता और शिक्षा के अन्य पहलुओं के विकास हेतु सामुदायिक सहभागिता को और आगे बढ़ाया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्तर की संरचनाओं जैसे कि ग्राम शिक्षा समितियाँ, अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन्स, माता-अध्यापक एसोसियेशन्स इत्यादि सामुदायिक गतिविधियों के वाहक होंगे।
- * पूर्ण पारदर्शिता के लिए समुदाय आधारित अनुश्रवण व्यवस्था विकसित की जायेगी।
- * सूक्ष्म नियोजन और मानचित्रण सामुदायिक कार्य-गतिशीलता के लिए अनिवार्य किया जायेगा।
- * लक्ष्यों और रणनीति का क्रियान्वयन सहभागिता आधारित होगा।

बाक्स 10.1 : जन-शिक्षा की आख्या : गुणवत्ता हेतु जन साधारण के दायित्व निर्धारण के लिए एक पहल

मध्य प्रदेश का जन शिक्षा अधिनियम 2000 का निर्धारण, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, स्थानीय समुदाय एवं सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने हेतु निर्धारित दो समान लक्ष्यों, समानता एवं गुणवत्ता की प्रतिपूर्ति हेतु इन सभी के समन्वयित प्रयास की दृष्टि से किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है एवं विद्यालय पहुँचने में बच्चों के समक्ष आने वाली समस्त रुकावटों को दूर कर एवं सामाजिक दबाव बनाकर तथा शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करने का प्रावधान किया गया है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का दायित्व अभिभावकों हेतु निर्धारित करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ता प्रदान की जायेगी, इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित का दायित्व मुख्यतः निर्धारित किया गया है-अभिभावक, शिक्षक स्थानीय निकायों एवं सरकार। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक-संघ (PTA) का गठन किये जाने को मुख्य भूमिका के रूप में निर्धारित किया गया है।

इस अधिनियम का लक्ष्य, विद्यालय को स्थानीय समुदाय की एक मजबूत इकाई के रूप में विकसित करना है, जो अभिभावकों के प्रति जवाबदेह हो। योजना को स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति दायित्वपरक बनाने हेतु, जन शिक्षा योजना को अभिभावक-शिक्षक-संघ स्तर पर विचार किया गया। जन-शिक्षा-आख्या के अनुसार, मुख्य सूचकांकों, प्रक्रियाओं, विद्यालयवार-परिणामों, इत्यादि को शिक्षकों द्वारा एकत्र कर अभिभावक-शिक्षक-संघ के मंच पर प्रत्येक तीन माह में विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् (आंकड़े) आख्या जिले को प्रेषित की जाती है, जिले द्वारा राज्य को प्रेषित की जाती है। एवं जन शिक्षा आख्या की वार्षिक आख्या विधानसभा को निर्वाचन-क्षेत्र-वार प्रेषित की जाती है। लागत के संदर्भ में मुख्य निर्धारण क्षेत्र जैसे शिक्षा की पहुँच, शिक्षकों का प्रावधान, योग्यता, प्रशिक्षण का स्तर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, एवं अन्य शैक्षिक संसाधन इत्यादि है एवं परिणामों का मापन करने हेतु समानता पर विशेष बल देने वाले सूचकांकों को सम्मिलित किया जाता है। नागरिक समाज के प्रति जन शिक्षा व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था के पारदर्शिता एवं राजनीतिक स्वामित्व की व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अन्तर्गत व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा कि विद्यालयों में क्या हो रहा है? एवं विद्यालय की उपलब्धि क्या है? एवं कहाँ सुधार की आवश्यकता है। जन शिक्षा योजनाओं के पश्चपोषण के रूप में इन आख्याओं के आधार पर उन्नयन किया जाता है, इसके अन्तर्गत नियोजन एवं मूल्यांकन के मध्य एक प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है तथा इस योजना के परिणामों को जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है तथा राज्य की गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के दायित्व की प्रतिबद्धता से जन-साधारण को अवगत कराया जाता है।

क्षेत्रीय अन्वेषकों की स्थानीय प्रभावकारिता सुनिश्चित करने एवं स्थानीय स्तर पर सुधार की सम्भावनाएं सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की गई है। अनुश्रवण प्रक्रिया हेतु विश्वसनीय आंकड़ा (डाटाबेस) संग्रह प्रदान करने हेतु, दो प्रकार की सूचना व्यवस्था विकसित की गई। पहली व्यवस्था के अन्तर्गत, शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना व्यवस्था (EMIS- Educational Management Information system), इसके अन्तर्गत हर वर्ष 30 सितम्बर को विद्यालय-स्तर पर आंकड़ा एकत्र किया जाता है।

कार्यक्रमों के प्रबन्धन और वितरण में अभिसरण

देश में शिक्षा पद्धति के विकास के साथ सभी स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र का वृहद विस्तार हुआ है। अक्सर, पृथक प्रशासनिक संरचनाओं में यह पाया गया है कि उनके समान लक्ष्य हैं, यहाँ तक कि समान गतिविधियाँ हैं उदाहरणार्थ प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। समानान्तर प्रशासनिक तंत्र के सृजन की प्रवृत्ति से अति विस्तृत दपतरशाही तंत्र की अतिव्यापता की समस्याएँ हैं, जहाँ पर समन्वय की दिशा के प्रयास बहुधा अनुत्पादक रहें हैं। इस परिदृश्य में, सेवाओं के परिदान हेतु समन्वित नियोजन और अभिसरण के लक्ष्य का तीन प्रमुख दिशाओं में कार्यानुकरण किया जायेगा :-

- * विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समानान्तर संरचनाओं का निर्माण देखा जायेगा।
- * अधिक अभिसरण हेतु विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के मानकों और उनके संचालन की पद्धति का पुनः परीक्षण किया जायेगा।
- * केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को शिक्षा प्रबन्धन संरचनाओं को पुनः संगठित करने के लिए पर्याप्त सहायता के साथ प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को नियोजन में अधिक समन्वय और प्रभावी अभिसरण प्राप्त किया जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में अभिसरण महत्वपूर्ण है, किन्तु शिक्षा का अन्य विभागों, विशेष रूप से जिसका ध्येय जीवन की गुणवत्ता विकास की सेवाएं आवास, पोषाहार, परिवार कल्याण, गरीबी उन्मूलन, रोजगारों के अवसरों का सृजन, समुदाय के व्यावसायिक ढांचे का विविधीकरण आदि, प्रदान करना है, के साथ अभिसरण की आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता है कि इन सभी का शिक्षा पर प्रभाव है, प्रमुख रूप से क्षमता सम्बर्द्धन और पूर्व से उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का बच्चों की शिक्षा के लिए मांग बढ़ाने की दृष्टि से।

पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

अनुश्रवण हेतु तीन स्तरीय कार्य योजना के रूप में अनुश्रवण पर विचार किया जाता है। स्थानीय सामुदायिक स्तर पर अनुश्रवण, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण। ग्रामीण शिक्षा समितियों के माध्यम से समुदाय द्वारा विद्यालयों की प्रभावी कार्य प्रणाली का अनुश्रवण किया जाता है। विद्यालय कार्य प्रणाली में अधिकांश गुणवत्ता अनुभाग मात्र स्थानीय स्तर पर (जहाँ अनुश्रवण कार्य मुश्किल हैं) एवं राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता का अनुश्रवण प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु स्थानीय स्तर पर विद्यालय की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए सामुदायिक पर्यवेक्षण अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय होता है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय अनुश्रवण, राष्ट्रीय स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु विद्यालयी गुणवत्ता एवं परियोजना क्रियान्वयन एवं सभी के लिए शिक्षा परियोजना के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है।

सामुदायिक अनुश्रवण व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर, ग्राम एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय-स्वशासित निकायों (पंचायत) की अधिक भूमिका निर्धारित की गई है। स.लि.शि. परियोजना प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी हेतु ग्रामसभाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर, स.लि.शि. (EFA) हेतु कार्य योजना, वर्ष के प्रारम्भ में अनुश्रवण हेतु एवं वर्ष के अन्त में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण स्थानीय स्व-शासित निकायों के द्वारा किये जाने पर विचार किया जाता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया को सुलभ बनाने हेतु, स्थानीय निकाय के मुख्य एकजीक्यूटिव द्वारा प्रगति की वार्षिक आख्या तैयार की जायेगी। क्षेत्रीय अन्वेषकों की स्थानीय प्रभावकारिता सुनिश्चित करने एवं स्थानीय स्तर पर सुधार की सम्भावनाएं सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की गई है। अनुश्रवण प्रक्रिया हेतु विश्वसनीय आंकड़ा (डाटाबेस) संग्रह प्रदान करने हेतु, दो प्रकार की सूचना व्यवस्था विकसित की गई। पहली व्यवस्था के अन्तर्गत, शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना व्यवस्था (EMIS- Educational Management Information system), इसके अन्तर्गत हर वर्ष 30 सितम्बर को विद्यालय-स्तर पर आंकड़ा एकत्र किया

बाक्स 10.2 : राष्ट्रीय बाल आयोग

सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन का निर्णय लिया गया, जो संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत मूल रूप में बच्चों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है एवं बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा स्वतंत्र अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों पर इस आयोग को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और कानून के उचित अनुपालन हेतु प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाता है एवं कार्यक्रमों का अर्थ है बच्चों को जीवन, विकास एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आयोग की संरचना

- * प्रस्तावित आयोग के अन्तर्गत एक अध्यक्ष एवं छः अन्य सदस्य, एक सदस्य सचिव एवं अन्य अनुसमर्थनात्मक कर्मी आते हैं।
- * अध्यक्ष पद हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान जज या पूर्व जज या इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाला उच्च पदासीन व्यक्ति होना चाहिए।
- * अन्य छः सदस्य क्रमशः बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल्य देखभाल एवं विकास, बाल अपराधियों हेतु न्याय, अक्षम बच्चों, बालश्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए।
- * आयोग हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

कार्य, अधिकार एवं बजट

प्रस्तावित आयोग के कार्य निम्नवत् हैं :-

1. वर्तमान कानून के अन्तर्गत बच्चों को सुरक्षा प्रदान कराने के क्षेत्रों को चिन्हांकित कर मूल्यांकन करना।

2. इन सुरक्षा उपायों पर कृत कार्यों की वार्षिक आख्या या समय-समय पर अन्य आख्याओं को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. बच्चों के संदर्भ में नीतियों, कार्यक्रमों एवं अन्य क्रियाओं का समय-समय पर शोध अध्ययन करना एवं उत्कृष्ट क्रियाकलापों हेतु संस्तुतियाँ देना।
4. बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जनसाधारण के हित में वित्तीय निर्धारण।
5. यदि आवश्यक हो, तो बाल अपराधियों को कैद में रखने वाले स्थान चाहे वे केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हो या राज्य सरकार द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित, वह स्थान जहाँ पर बच्चों को इलाज, संरक्षण एवं सुधार के लिए रखा जाता है, वहाँ के संचालकों के प्रति उपचारात्मक कार्य किया जाता है।
6. बाल अधिकारों के हनन सम्बन्धी मुद्दों पर शिकायतों की सुनवाई, बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु कानून का पालन न करना, नीतिगत निर्णयों पर कार्यवाही या बाल कल्याण हेतु निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
7. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सम्बन्धित अन्य कार्य।

जाता है। इन आंकड़ों की सहायता से अनेक सूचनांक जैसे नामांकन, सम्पूर्ण नामांकन अनुपात, कुल नामांकन अनुपात, ठहराव दर, हास-अवरोध-दर, पूर्णता प्रतिशत, पुनरावृत्ति दर, कक्षा प्रगति दर, अन्तरण दर इत्यादि।

दूसरी प्रकार की सूचना व्यवस्था के अन्तर्गत, परियोजना प्रबंधन सूचना व्यवस्था (PMIS) का विकास किया जाना है, पर्सपेक्टिव प्लान एवं वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं भौतिक, दोनों प्रकार के संसाधनों की प्रगति के आंगणन पर विशेष बल दिया जाता है।

देश में सातवां अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, इसके अन्तर्गत देश के सभी आवासीय स्थानों से शैक्षिक आंकड़ों का विस्तृत एकत्रीकरण किया जायेगा। स.लि.शि. (EFA) हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया में यह सर्वेक्षण आधार प्रदान करेगा।

जबकि, सतत् मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, राज्यों में, इसकी प्रतिपूर्ति हेतु, प्रत्येक वर्ष दो अनुश्रवण टीम भेजी जायेंगी। यह अनुश्रवण टीम भारत सरकार के प्रतिनिधियों एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करने वाली संस्था के सदस्यों की होगी। अनुश्रवण टीम से यह आशा की जाती है कि वह प्रत्येक

राज्य का भ्रमण करेगी और कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति की स्थिति का प्रथम दृष्टया अनुश्रवण हेतु राज्यों के चुने हुए जिलों का भ्रमण करेगी। इस अनुक्रम विधा के अन्तर्गत सम्पूर्णतः आधारित अनुश्रवण किया जायेगा, साथ ही राज्य के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन के गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुश्रवण टीम द्वारा मुख्य क्षेत्रों को चिन्हांकित करना होगा। ये मुख्य चिन्हांकित क्षेत्र अनुश्रवण के केन्द्र बिन्दु होंगे एवं इनके मूल्यांकन के उपरान्त पाई गई कमियों में सुधार कर, भविष्य में अनुश्रवण टीम द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जायेगा।

जैसा कि यह देखा गया है, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य एक विस्तृत कार्य है, इसके लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। इस कार्य को केन्द्रीय रूप से संचालित करने के बजाय इसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से, विशिष्ट संस्थानों को भी इस कार्य में शामिल करना चाहिए। अनुश्रवण हेतु इन संस्थानों को पृथक-पृथक राज्य निर्धारित कर दिये जाते हैं, जिनके साथ वे लम्बी-अवधि तक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये संस्थाएँ राज्यों के योजना क्रियान्वयन कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण ही नहीं करती हैं अपितु राज्यों में कार्यक्रम क्रियान्वयन में भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग करती हैं। इस कार्य को करने के लिए कुछ संस्थाओं को चिन्हांकित कर सूची तैयार की गई है जिसमें उन संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण किये जाने हेतु राज्यों को भी चिन्हांकित किया गया है। संस्थाओं को एक साथ लाने हेतु, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आई.सी.एस.एस.आर. (ICSSR), विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग एवं अन्य विशिष्ट संस्थान (Professional Institutions) जो इस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले संस्थानों के लिए संयुक्त रूप से कार्य निर्धारित किया गया है। ऐसी संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी, जहाँ के कार्यकर्ता कार्य के प्रति समर्पित एवं योग्य हों एवं सामाजिक क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य के क्षेत्र में पूर्व अभिमुखीकरण हो चुका हों। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के साथ, इस प्रकार की एक संस्था को संयुक्त कर दिया गया है। बड़े राज्यों में दो या तीन संस्थाओं को इस कार्य हेतु संयुक्त किया गया है।

इन चयनित संस्थानों को अनुमोदित योजना के क्रियान्वयन की त्रैमासिक आख्या प्रेषित की जाती है। आशा की जाती है कि यह संस्थान कार्यक्रम क्रियान्वयन की आख्या केन्द्र एवं राज्य सरकारों को प्रेषित करेंगे। इन संस्थाओं को कुछ विशेष सूचकांकों जैसे-नामांकन दर, विद्यालय न जाने वाले बच्चे, कठिन पहुँच वाले बच्चों इत्यादि का कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान प्रगति से त्रैमासिक आख्या प्रेषित की जाती है, एवं आख्या को एकत्र कर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रेषित करने का दायित्व सम्बन्धित राज्य से संयुक्त संस्था का होता है। जिलों का चुनाव करने एवं जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने हेतु ये संस्थाएँ त्रैमासिक निरीक्षण करती हैं। प्रत्येक त्रैमास में वीक्षण किया जाता है। वर्ष के अन्त में, ये संस्थाएँ मुख्य मूल्यांकन सूचकांकों का जैसे-(GER) सम्पूर्ण नामांकन दर, कुल नामांकन दर (NER), विद्यालय न जाने वाले बच्चे, हास-अवरोध दर, पूर्णता दर, स्थानान्तरण दर, पुनरावृत्ति दर इत्यादि का आंगणन कर आख्या तैयार करती हैं।

इन संस्थाओं द्वारा वर्ष में दो बार सितम्बर-अक्टूबर एवं अप्रैल-मई में अनुश्रवण समूह के द्वारा वीक्षण किया जाता है। इन क्रियाओं के अतिरिक्त, राज्यों में शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में शोध अध्ययनों के समन्वय एवं क्रियान्वयन का दायित्व भी इन्हीं संस्थाओं का है। इन शोध अध्ययनों के आधार पर क्षेत्रीय समस्याओं का चिन्हांकन किया जाता है एवं उन समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान की संस्तुति की जाती है। ये समस्याएँ मूल्यांकन से सम्बन्धित होती हैं एवं किसी विशेष कार्यक्रम की प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु शोध अध्ययन पर प्रभाव डालती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर इन संस्थाओं के समन्वयन का कार्य राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NIEPA) एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा किया जाता है।

विशेष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु इन संस्थाओं के प्रयोग के अतिरिक्त, वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा-जोखा की जांच हेतु स्वायत्त लेखा परीक्षकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जायेगा। यह कार्य विधि द्वारा स्थापित लेखांकन की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगा।

वास्तविक चुनौती मात्र "संख्या" की नहीं

नयी सदी का प्रारम्भ नयी उम्मीदों से हुआ है। वर्ष 2007 तक, 75 प्रतिशत साक्षरता दर तक पहुँचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की रूपरेखा का पुनः गठन किया गया। वर्ष 2010 तक स.लि.शि. के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु, भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम, स. शि. अ. (SSA) चलाया जा रहा है अर्थात्, वर्ष 2005 तक सभी बच्चे (सभी राज्यों में) पांच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर सकें, इन सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिलाकर वर्ष 2010 तक कम से कम तीन वर्ष की अतिरिक्त विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कराना है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स.शि.अ. के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों में महत्वाकांक्षा, डकार बैठक में निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय सम्भावनाओं से आगे, डकार संस्तुतियों द्वारा स.लि.शि. प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2015 तक निर्धारित किया गया है। जबकि, इस प्रकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण पर किसी के द्वारा वाद-विवाद किया जा सकता है। क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के समय कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं, लक्ष्य निर्धारण हेतु आवश्यक भौतिक, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की सक्रियता के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया है। गरीबों एवं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा मात्र एक आशा एवं वायदे के रूप में जारी रहेगी। लेकिन, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु, क्षमता के सम्बन्ध में, जनसाधारण के मस्तिष्क में राज्यों की अक्षमता के कारण क्षोभ रहता है। यह अतिआवश्यक है कि राज्य द्वारा प्राथमिक विद्यालय एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में अनुदानित परिदान-व्यवस्था में जनसाधारण का विश्वास जागृत करने हेतु प्रयास करना होगा। संसाधनों की प्रभावी क्रियाशीलता के वास्तविक प्रदर्शन के माध्यम से समाज की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य किया जाता है। देश में स.लि.शि. के अन्तर्गत इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने एवं स.लि.शि. हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु मुख्य प्रयासों को गति प्रदान करना है।

NIEPA DC



D12117